लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४२, १९६०/१८८२ (शक)

[४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४२ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीयमाला, खण्ड ४२–अंक ४१ से ५०–४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)

अंक ४१—सोमवार, ४ अप्रैल, १९६०/१५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७१, १२७४, १२७६ से १२७८, १२८१ से १२८५ और १२८९ से १२९१ ४४०७–३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . ४४३४–३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७२, १२७३, १२७५, १२७९, १२८०, १२८६, १२८७, १२८८ और १२९२ से १२९६ ४४३७–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१७ से १७५९ ४४४३–६१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

वायुक्षेत्र के उल्लंघन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों में कथित विरोधाभास . ४४६२–६३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४४६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नौसेना के प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना . . . ४४६३–६४

अनुपस्थिति की अनुमति . ४४६४

समवाय (संशोधन) विधेयक . ४४६५

लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति ४४६५

अनुदानों की मांगें ४४६६–४५१३

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ४४६६–४५११

स्वास्थ्य मंत्रालय . ४५११–१३

दैनिक संक्षेपिका . . . ४५१४–१७

अंक ४२— बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०/१७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८, १२९९, १३०१ से १३०६, १३०८ से १३११, १३१५ और १३१७ से १३२१ ४५१९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२९७, १३००, १३०७, १३१२ से १३१४, १३१६, १३२२ और १३२३ . . .	४५४८–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७६० से १८३१ .	४५५२–८७
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . .	४५८७
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	४५८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४५८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बासठवां प्रतिवेदन .	४५८९
प्राक्कलन समिति	
अस्सीवां प्रतिवेदन . . .	४५९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पाकिस्तान को पानी का दिया जाना . . .	४५९०–९१
अमृत बाजार पत्रिका में लेख के बारे में . . .	४५९१
सदस्य को सजा	४५९१
अनुदानों की मांगें	
स्वास्थ्य मंत्रालय	४५९२–४६५८
कल्याण विस्तार परियोजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४६५९–६२
दैनिक संक्षेपिका	४६६३–६८
अंक ४३—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९६०/१८ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ से १३३४ और १०९१ . .	४६६९–९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ से १३४५	४६९१–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८३२ से १८६४ . . .	४६९६–४७०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०८
प्राक्कलन समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	४७०९
अनुदानों की मांगें	
खान, इस्पात और ईंधन मंत्रालय	४७०९–५६
चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४७५६–६१
दैनिक संक्षेपिका . . .	४७६२–६५

अंक ४४—शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०/१९ चैत्र, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४६, १३४७, १३५०, १३५२, १३५६ से १३५८, १३६३ से १३६५, १३६७, १३६९ से १३७५, १३५३, १३६२ और १३६६ . . . . . ४७६७—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ४७९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४८, १३४९, १३५१, १३५४, १३५५, १३५९ से १३६१ और १३६६ . . . . . ४७९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६५ से १९१२ . . . . ४७९८—४८२३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४८२३—२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४८२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . ४८२६—२७

अनुदानों की मांगें . . . ४८२७—६४

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . . ४८२७—४९

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८४९—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—

बासठवां प्रतिवेदन ४८६५

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प . ४८६५—८६

विभिन्न प्रतिरक्षा परिषदों की स्थापना के बारे में संकल्प . . ४८८६—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८८९—९३

अंक ४५—शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०/२० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८० से १३८८, १३९१ और १३९४ से १३९८ . . . . . ४८९५–४९२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७८, १३७९, १३८९, १३९०, १३९२, १३९३ और १२३० . . . . ४९२२—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१३ से १९५३ . . ४९२४—४२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४९८२
प्राक्कलन समिति—	
बयासीवां प्रतिवेदन	४९८२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली . . .	४९४३–४४
सभा का कार्य	४९४४–४५
कांडला पत्तन के बारे में वक्तव्य	४९४५–४६
अनुदानों की मांगें—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	४९४६—९४
दैनिक संक्षेपिका	४९८२—९४
अंक ४६—सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०।२२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०१ से १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४११ और १४१४ से १४१८	४९९९—५०२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४००, १४०५, १४०७, १४०९, १४१२, १४१३, और १४१९ से १४२२ . . .	५०२२—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९५४ से १९८९ और १९९१ से १९९३	५०२६—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०४२–४३
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही—सारांश	५०४३
याचिकाओं का उपस्थापन	५०४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की पूर्व सूचना के बारे में . .	५०४३
अनुदानों की मांगें . .	५०४४—५११४
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय .	५०४४—९७
पुनर्वास मंत्रालय . . .	५०९७—५११४
दैनिक संक्षेपिका	५११५—१८

विषय	पृष्ठ
अंक ४७—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०।२३ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ से १४३६ .	५११९—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ से १४५४ .	५१४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ से २०३३ और २०३५ से २०४१	५१५४—७६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	५१७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५१७७
सदस्य द्वारा पद त्याग . .	५१७८
समिति के लिये निर्वाचन	५१७८
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	५१७८
अनुदानों की मांगें .	५१७८—५२३६
पुनर्वास मंत्रालय . .	५१७८—५२१२
सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . .	५२१२—३६
दैनिक संक्षेपिका .	५२३७—४१
अंक ४८—बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०।२४ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५५–१४५८, १४६०, १४६१, १४६३–६६, १४६८, १४७० और १४७१ . .	५२४३—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५९, १४६२, १४६७, १४६९ और १४७२ से १४८०	५२६६—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४२ से २०८०	५२७२—९१
प्रश्न की शुद्धि	५२९१
राज्य-सभा से सन्देश	५२९१
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक—सभा पटल पर रखा गया	५२९१
अनुदानों की मांगें	५२९१—५३५२
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	५२९१—५३३६

पृष्ठ

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय : . . . ५३३६—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३५३—५६

अंक ४६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०।२५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ से १४८४, १४८६, १४८७, १४९० से १४९४, १४९६, १४९७, १५००, १५०१ और १५०५ . . . ५३५७—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५, १४८८, १४८९, १४९५, १४९८, १४९९, १५०२ से १५०४ और १५०६ से १५१४ . . . ५३८२—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८१ से २१४७ . ५३९२—५४२०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ५४२०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ५४२०

प्राक्कलन समिति—

नवासीवां प्रतिवेदन ५४२०

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ५४२१

अनुदानों की मांगें . . . . . ५४२१—७६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ५४२१—६४

वित्त मंत्रालय . . . . . ५४६४—७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५४७७—८१

अंक ५०—शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०।२७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ से १५१८, १५२१, १५२२, १५२६, १५२९, १५३०, १५३३ से १५३६, १५४० और १५४१ . . ५४८३—५५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२०, १५२३ से १५२५, १५२७, १५२८, १५३१, १५३२, १५३७, १५३८ और १५३९ . . . ५५०६—११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४८ से २१९८ . . . . ५५११—३२

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

आसाम के मिज़ो हिल्स ज़िलों में अकाल की स्थिति ५५३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५३४

राज्य-सभा से सन्देश ५५३५

प्राक्कलन समिति--

चौरासीवां प्रतिवेदन ५५३६

तारांकित प्रश्न संख्या १४३० और ९१९ के उत्तरों की शुद्धि ५५३६-३७

सभा का कार्य ५५३७

अनुदानों की मांगें--

वित्त मंत्रालय ५५३७--५४

वेतन की अधिकतम सीमा (ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में) विधेयक--श्री अ० मु० तारिक द्वारा पुरस्थापित ५५५४-५५

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध) विधेयक--श्री नागी रेड्डी का विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ५५५५--७२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नये खंड ७क का रखा जाना)--श्री त० ब० विट्ठल राव का विचार करने के लिये प्रस्ताव ५५७२--७४

संविधान (संशोधन) विधेयक--(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) श्री च० का० भट्टाचार्य का--पुरस्थापित ५५७४-७५

कार्य मंत्रणा समिति--

पचासवां प्रतिवेदन ५५७५

दैनिक संक्षेपिका ५५७६--८१

नोट :--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND--LS III--329 (Ai) LSD--4-6-60--135.

लोक-सभा

शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०

२० चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के लिखित उतर

भारत-अमरीकी संयुक्त दल

†*१३७६. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या कृषि संबंधी शिक्षा, अनुसन्धान और विस्तार के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये द्वितीय भारतीय-अमरीकी संयुक्त दल ने अपना काम पूरा कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

†**श्री रा० च० माझी** : इस दल में कितने लोग है और इस का गठन कब किया गया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस दल में कुल १३ व्यक्ति हैं, नौ भारतीय और ४ अमरीकी।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या इस दल की किसी सिफारिश को क्रियान्वित किया गया हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं । अभी तो प्रतिवेदन ही मिलना शेष है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह दल कितने राज्यों का दौरा कर चुका है और कितने राज्यों का दौरा अभी करना शेष है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : उसने अपने दौरे पूरे कर लिये हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि उसने कितने राज्यों का दौरा किया है । उन्होंने कई ग्राम्य संस्थाओं, गृह-विज्ञान के कालेजों विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा किया है और कुछ राज्य-मंत्रियों, विस्तार कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस दल ने सरकार से क्या अन्तरिम सिफारिशें की हैं और सरकार को इसका प्रतिवेदन अनुमानतः कब तक मिल जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्रतिवेदन अगले महीने तक मिल जाने की आशा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि खेती के सुधार के लिये जो खास-खास प्रिंसिपल हैं, क्या सरकार उनको क्रियान्वित करने में लाचार है, जो वह विदेशों से इस तरह की टीमें बुलाती है ।

डा० पं० शा० देशमुख : यह कमेटी तो कुछ और तरह की है । ऐसी एक कमटी इस के पेश्तर भी बनी थी। पांच अमरीकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने हमारे यहां के कालिजिज़ से कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं और वे उन को इमदाद पहुंचाती हैं। यह टीम तो खाली एग्रीकल्चरल एजूकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन की प्राग्रेस को देखने के लिए है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह समिति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की भी जांच करेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं यह नहीं कह सकता । लेकिन इस बात की पूरी संभावना है—मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता—कि उन्होंने इस संस्था के अनुसंधान कार्यक्रम की जांच भी की होगी ।

जमाये हुए तेल

†*१३७७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं पर जमाये हुए तेलों का क्या असर पड़ता है, क्या सरकार इस संबंध में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच गई है ; और

(ख) यदि हां तो उपरोक्त निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी तक कुछ भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकले हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या दीर्घकालीन आधार पर प्रयोग करने के लिये कुछ निर्णय किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मैं सभी उपलब्ध तथ्य सभा के समक्ष रख चुका हूं। अब यह प्रयोग दीर्घकालीन आधार पर चालू रहेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अन्य तेलों की तुलना में नारियल का तेल संतोषप्रद नहीं बैठता। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस तेल से घी बनाने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ।

†**श्री करमरकर** : श्रीमन्, आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रश्न-काल तेलों के तुलनात्मक गुणावगुणों पर चर्चा के लिये नहीं होता। पैत्तविक स्तर[1] पर इनका प्रभाव पड़ने के संबंध में मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है वह यह है कि कुर्दी का तल सर्व श्रेष्ठ होता है और नारियल का तेल सब से खराब ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इन प्रभावों के संबंध में आबादी के सभी वर्गों का अध्ययन किया जा रहा है या आबादी के किसी वर्ग-विशेष का ?

†**श्री करमरकर** : भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का लिया जाता है। लेकिन इस मामले में किसी किसी एक वर्ग को भी किया जा सकता है ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि यह प्रश्न वर्षों से बिना निर्णय के पड़ा हुआ है और जब कभी इस प्रश्न पर कोई बात होती है, तो हमेशा टाल दिया जाता है आग के लिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस संबंध में विशेषज्ञों की राय में मत-भेद भी है, तो भी देश की तन्दरुस्ती की दृष्टि से या तो उस को रंग देना, या उस का जमाया जाना बन्द करना, इस संबंध में कोई न कोई निर्णय गवर्नमेंट करने वाली है या नहीं करने वाली है ।

श्री करमरकर : रंग देने का सवाल अभी हाउस के सामने नहीं है। इस समय हाउस के सामने हाइड्रोजेनेटिड आयल्ज़ के मेरिट्स का सवाल है । अभी माननीय सदस्य शायद काम के लिये गए हुए थे। उस वक्त मैं ने बताया था कि बेशक ताजा तेल हमेशा ही जमाये तेल से बहतर होता है । इस में तो कोई शुबहा ही नहीं है ।

अगर माननीय सदस्य मेरी राय पूछें, तो मैं कहूंगा कि फ्रैश आयल ही अच्छा है और हाइड्रोजेनेटिड आयल की कोई ज़रूरत नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं पूछ रहा था कि सरकार का कोई न कोई निर्णय इस संबंध में होने वाला है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रोज आता है ।

श्री करमरकर : निर्णय हुआ है कि आज तक इस बार में जो रिसर्चिज हुए हैं, उन में से यह बात निकली है कि हाइड्रोजेनेटिड आयल में एक स्टेइंग वैल्यू होती है। तेल यहां पर बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है और उसका फायदा देहातियों को होना चाहिए : तो तेल का तर्जुमा करते हैं हाइड्रोजेनेटिड आयल में। उस के अलावा हाइड्रोजेनेटिड आयल में कोई दूसरा गुण नहीं है, जो कि फ्रैश आयल से बहतर होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cholesterol level

सेठ गोविन्द दास : तो फिर उसको जमाना बन्द कर दिया जाय ।

†**श्री करमरकर :** तेलों की चिकनाई में ताजे तेल की चिकनाई उपभोक्ताओं के लिये सर्वश्रेष्ठ होती है । सरकार सोच विचार के बाद इसी परिणाम पर पहुंची है । मेरे मान्य मित्र के लिये कहना बड़ा आसान है कि इसे बन्द कर दिया जाय । यदि हम इस से कल से ही बन्द कर दें तो कृषकों पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे बन्द करने के लिये कोई कारण भी नहीं मिला है क्योंकि इसका खराब असर नहीं पड़ता । इस में ताजे तेलों की तुलना में कम गुण अवश्य होते हैं लेकिन बुरा असर डालने की तुलना में यह भिन्न बात है । इस समय हमारी राय यह है कि ताजे तेलों का उपयोग किया जाना चाहिये ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या धान की भूसी के जमाये हुए तेल की आजमाइश और जांच की गयी है ?

†**श्री करमरकर :** यह एक पृथक प्रश्न है ।

केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन

†*१३८०.**श्री विभूति मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संब स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन ने देश में विभिन्न उपनगरों का विकास करने की कुछ योजनायें तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन नगरों का विकास किया जाने वाला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन स्वयं अपने आप नये उपनगरों का विकास करने की योजनायें नहीं बनाता । यह राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और भारत सरकार के मंत्रालयों को सलाह देने और उनके मार्ग-दर्शन के लिये है ।

(ख) इस समय यह संगठन निम्नलिखित उपनगरों/परियोजनाओं के विकास की योजना तैयार करने में सहायता कर रहा है :—

१. राजस्थान नहर परियोजना

२. भारतीय तेल शोधक कारखाने—बरौनी में उपनगर

३. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—खम्भात में उपनगर

४. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम—उड़ीसा के किड़ीबुड़ में उपनगर

५. उतर प्रदेश सरकार तराई कृषि विश्वविद्यालय ।

श्री विभूति मिश्र : इन जगहों को जो डिवेलेप किया जायेगा, इस पर कितना खर्च करने का आयोजन किया गया है ?

श्री करमरकर : इनको डिवेलेप नहीं करना है । मैंने अंग्रेजी में यह कहा है कि इस संस्था का फंकशन डिवेलेप करना नहीं है बल्कि जो डिवेलेप करना चाहते हैं उनको सलाह देना है ।

श्री फीरोज गांधी : इनका सवाल यह था कि कितना खर्चा होगा ?

श्री करमरकर : थोड़ा बहुत होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : जब हिन्दुस्तान में हर एक चीज के वास्ते योजना बन रही है, योजना के मुताबिक काम हो रहा है तो जहां तक नये नगरों के निर्माण का संबंध है, जोकि हो भी रहा है, उसके भी क्या कोई ऐसी योजना स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं भेजी जा सकती है या यहां नहीं बनाई जा सकती जिससे कि एक ही तरह के नगरों का निर्माण हो ?

†**श्री करमरकर :** इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य राज्य सरकारों की मदद करना है । हम चाहते हैं कि राज्य सरकार सुनियोजित आचार पर अपने नगरों का निर्माण और विकास करें । हमने इसे दिल्ली में आजमा कर देखा था । हमने एक वृहद् ोजना बनायी थी और उससे हमें यह वांछनीय लगा कि राज्यों को परामर्श देने के लिये भी एक संगठन बनाया जाना चाहिये । जब राज्य परामर्श मांगते तो हम वह परामर्श दे देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी राज्य नये उपनगर सुनियोजित आधार पर बनायें ।

डा० सुशीला नायर : गांवों के प्लानिंग के बारे में या माडल विलेजिज के बारे में भी कोई तजवीज की गई है और क्या कोई सलाह मश्विरा दिया गया है । और क्या कोई नमूना भी ऐसा तैयार किया गया है कि कैसा गांवों का नक्शा होना चाहिये प्लानिंग के लिहाज से ?

†**श्री करमरकर :** जी हां । यह संगठन अब भी आरम्भिक अवस्था में है । मेरा ख्याल है कि यह संगठन ग्राम्य क्षेत्रों को भी, जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, सलाह देने के लिये उपबन्ध होगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स जिन जगहों के बारे में पूछेगी उनके बारे में तो सैंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी लेकिन क्या सैंट्रल गवर्नमेंट ने उन विल्लेजिज या नगरों को डिवेलेप करने के बारे में कोई तजवीज की है जहां पर कि तंग गलियां हैं, या पानी का निकास नहीं है, नालियों का निकास नहीं है ?

श्री करमरकर : उसी चीज के बारे में सलाह दी जायेगी, जिस के बारे में पूछा जायेगा । महाभारत में कहा गया है कि जो सलाह नहीं पूछता है उसको अगह सलाह दी जायेगी, तो उसको अलग कैटेगरी में रखना होगा ।

श्री वाजपेयी : महाभारत का पाठ भी करते हैं ।

श्री प्र० के० देव : भगवद्गीता के साथ करते हैं ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या केन्द्रीय सरकार अपने आप आगे आकर कुछ चुने हुये क्षेत्रों में नगर तथा गांवों के आयोजन में सुधार करने की दृष्टि से अग्रिम परियोजना चलाने की योजना बना रही है ताकि राज्य सरकारें प्रोत्साहन पाकर उसका अनुसरण कर सकें ?

†**श्री करमरकर :** श्रीमन् । जहां तक इस संगठन का संबंध है, यह शुद्ध रूप में परामर्श देने के लिये है । माननीय सदस्य ने जिस कार्य का उल्लेख किया वह हम करना तो चाहते हैं लेकिन कठिनाई यह है कि तृतीय चवर्षीय योजना में धन इतना कम होने की संभावना है कि हमारे लिये हरेक बात के बारे में सोच सकना कठिन होगा ।

कैंसर

†***१३८१. श्री प्र० के० देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैंसर के उपचार संबंधी अनुसंधान और उसे बढने से रोकने के लिये उचित ऐंटीबायोटिक्स के निर्माण की दिशा में सोवियत रूस में की गई प्रगति के बारे में जानकारी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी वैज्ञानिकों ने एक वृक्ष की छाल से एक शुद्ध स्वच्छ पदार्थ तैयार किया है जिसमें कैंसर विरोधी अधिकतम गुण होंगे ; और

(ग) क्या भारत सरकार इसे तैयार करने के तरीके के संबंध में रूस से जानकारी प्राप्त करने और भारत में इसका निर्माण प्रारम्भ करने के लिये प्रयत्न कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सोवियत संघ में किये गये कैंसर संबंधी अनुसंधान के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी उपलब्ध है क्योंकि इनका एकमात्र स्त्रोत वह थोड़े से उद्धरण होते हैं जो समय समय पर अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं।

सोवियत संघ की चिकित्सा विज्ञान अकादमी के सदस्य, प्रोफेसर लियोन शबाद ने खबर दी है कि 'हिप्पोफेई'[1] पौधे के छिलके से शुद्ध क्रिस्टल रूप में एक बहुत ही कार्सिनालिटिक पदार्थ अलग कर लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रयोग के काम आने वाले पशुओं पर उसकी शक्ति का पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है और अब चिकित्सा कार्य में प्रयोग के लिये अध्ययन किया जा रहा है। इस मिश्र पदार्थ की प्रतिशत प्राप्ति अथवा उसका रसायनिक स्वरूप प्रगट नहीं किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भेषज अभी प्रयोग की अवस्था में ही है और उसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया गया है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस एंटीबायोटिक का इस देश में उत्पादन करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

†**श्री करमरकर** : यह एंटीबायोटिक अब भी प्रयोगात्मक अवस्था में है। वहां जब इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकेगी और वे इसका उत्पादन आरम्भ कर देंगे तब बाद में जाकर यदि यहां उसके लिये गुंजाइश हुई और हमारे साधन पर्याप्त रहे तो हम उसके बारे में सोच सकते ठ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस भेषज का उपयोग सारकोमा[2] और इसी प्रकार की अन्य दुष्ट वृद्धियों[3] के उपचार के लिये किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : जी हां—विवरण में इसे स्पष्ट कर दिया गया है—मेरा ख्याल है कि सारकोमा भी इसमें शामिल है। यदि इसकी पुष्टि हो गयी तो यह बड़ी ही बहुमूल्य खोज होगी। मैं अपने कैंसर संबंधी परामर्शदाता से कह रहा हूं कि वह इस संबंध में और आगे जानकारी की खोज में रहें।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या मंत्री महोदय हमें इस एंटीबायोटिक के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं जो मेरे ख्याल से लखनऊ की भेषज अनुसंधान प्रयोगाशाला के निकट गंगा के तट पर रेत से पृथक की जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : माननीया सदस्य गंगा के तट की रेत के संबंध में जो बात कह रही हैं उसकी मुझे कोई खबर नहीं मिली है। मैं पता लगाऊंगा जो भी एंटीबायोटिक हो वह हमारे लिये बहुमूल्य होगी। मैं पता लगा कर माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी म

[1] Hippophae.

[2] Sarcoma.

[3] Malignant Growths.

पठानकोट-श्रीनगर मार्ग पर पर्यटकों के लिये वातानुकूलित बसें और कारें

†*१३८२. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पर्यटन संगठन ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार के परिवहन विभाग और उत्तर रेलवे की काश्मीर स्थित आउट-एजेंसियों से काश्मीर देखने जाने वाले पर्यटकों के लिये पठानकोट से श्रीनगर तक वातानुकूलत बसें और पर्यटक-कारें चलाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पठानकोट और श्रीनगर के बीच वातानुकूलित बसें और कारें चलाने का जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने उस रूट पर टूरिस्ट कारें (बसें नहीं टक्सियां) चलाने के लिये निम्न विकल्पों पर विचार करने का अनुरोध किया है :—

१. वर्तमान आउट-एजेंट को रेलवे को सन्तोषप्रद ढंग की कारों की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि रेलवे उसके आधार पर रेल-कम-सड़क वाले टिकट बेच सके,

२. यदि यह संभव न हो तो जम्मू तथा काश्मीर सरकार को ऐसी सर्विस चलानी चाहिये; अथवा

३. कोई और बड़ा मोटर सर्विस संचालक जिसे जम्मू तथा काश्मीर सरकार तथा रेलवे दोनों से मान्यता प्राप्त हो वर्तमान आउट-एजेंट के साझे में ऐसी सर्विस चलानी चाहिये।

रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री अ० मु० तारिक : स्टेटमेंट में कहा गया है कि हकूमत हिन्दुस्तान ने हकूमत जम्मू काश्मीर से और साथ ही साथ रेलवे आउट-एजेंसी से यह दरख्वास्त की है कि वह पठानकोट और श्रीनगर के बीच एयर-कंडिशंड बसिस चलाये। क्या हकूमत को मालूम है कि जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ इस किस्म की गाड़ियां चलाने का प्रोग्राम शुरू किया है आलरेडी और क्या हकूमत ने उसको बसिस और दूसरी ट्रांसपोर्ट और एलाट की हैं ?

श्री राज बहादुर : अगर माननीय सदस्य ने ठीक समझा है तो यह जाहिर होगा कि इस स्टेटमेंट में यह नहीं कहा गया है। जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट से एयर कंडिशंड बसिस चलाये जाने के लिये नहीं कहा गया है। ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट खुद अपने आप ऐसी बसिस चलाने की सोच रही है जो डस्ट प्रूफ हों। इसके अलावा बाकी जो इंतिजामात हैं, उनकी तफसीलात हैं, स्टेटमेंट में दे दी गई हैं।

श्री अ० मु० तारिक : स्टेटमेंट में कहा गया है कि हकूमत काश्मीर यह खुद न कर सके तो रेलवे आउट-एजेंसी इस काम को करे यानी अच्छी गाड़ियां और अच्छी बसिस चलाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या हकूमत हिन्द को इल्म है कि जम्मू और काश्मीर में जो पाबन्दियां परमिटों पर आयद कर रखी हैं उसकी वजह से एन० डब्ल्यू० आर० आउट-एजेंसी कोई से बसिस नहीं चला पाई है और मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में हकूमत हिन्द ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री राज बहादुर : बसिस के अलावा कार्स के लिये, टैक्सीस के लिये जरूर कहा गया है और उनको तीन आल्टरनेटिव दिये गये हैं । पहला यह कि या तो आउट-एजेंसी को वह खुद इजाजत दे जिससे कि रेल-कम-रोड टिकट दिये जा सकें, अगर ऐसा न हो सके, तो जम्मू और काश्मीर गवर्नमेंट खुद कारों का बन्दोबस्त करे, टैक्सीस का करे और अगर यह भी न हो सके तो किसी दूसरे बड़े आप्रेटर्स से मिल कर इंतिजाम किया जाये, वगैरह वगैरह । मैं समझता हूं कि जो आल्टरनेटिव दिये गये हैं, इनमें से किसी को मान लिया जायेगा और सहूलियत हो सकेगी ।

श्री त्यागी : चूंकि हिन्दुस्तान की इकोनोमी पर कर्जों का काफी जोर पड़ रहा है प्लानिंग की वजह से, इस वास्ते क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर गौर किया है कि काश्मीर गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स को हिदायत कर दे कि जब तक प्लानिंग चल रहा है, तब तक ऐश और ऐयाशी के सामानों पर अधिक खर्च न करें ।

श्री राज बहादुर : बसों का सवाल है, ऐयाशी का तो जिक्र नहीं हो सकता है—.

श्री त्यागी : ऐश पर ।

श्री राज बहादुर : ऐश अलबत्ता हो सकती है । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो इंसानी जरूरियात हैं, उनका ख्याल रखते हुए बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको कुछ सहूलियत दी जा सकती है और दी जाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य कोई ऐतराज नहीं करेंगे ।

श्री पद्म देव : यह जो एयर-कंडिशन की व्यवस्था कर दी गई है, इससे यात्रियों के ऊपर खर्च का क्या बोझ पड़ेगा, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राज बहादुर : मैंने कहा है कि एयर-कंडिशन बसेज के बारे में कोई किसी किस्म की दरख्वास्त भारत सरकार ने जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट से नहीं की है । लिहाजा आपका सवाल पैदा नहीं होता है ।

†**श्री दी० वं० शर्मा :** काश्मीर में पर्यटन के संवर्द्धन के लिये क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर सरकार, रेलवे मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय का सम्मेलन यह प्रश्न शीघ्रतापूर्वक तय करने के लिये बुलायेगी और ज्यादा समय तक इसे अनिश्चित न रहने देगी ?

†**श्री राज बहादुर :** हम इस प्रश्न के शीघ्र निबटारे के लिये बहुत उत्सुक हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार अब इस बात के लिये राजी हो गयी है कि वह उन पर्यटकों के लिये, जो रेल-व-सड़क वाले टिकट खरीदें, रेलवे आउट-एजेंसी को कुछ बड़ी कारें चलाने की अनुमति दे देगी—पहले वह इसके लिये राजी नहीं थी ।

†**श्री तंगामणि :** क्या इस समय श्रीनगर तक का टिकट लेने वाले यात्रियों को आउट-एजेंसी टैक्सियों अथवा बसों द्वारा ले जाने की व्यवस्था करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर:** यही कठिनाई तो हमें हो रही थी । हमें आशा है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सहमति से हम इस कठिनाई पर विजय पालेंगे ।

श्री अ० मु० तारिक: क्या यह हकीकत है कि पठानकोट और दिल्ली के दरम्यान या पठानकोट और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के दरम्यान रेलवे वाले कम उम्र के बच्चों के लिये आधा टिकट लेते हैं लेकिन पठानकोट से श्रीनगर तक के लिये ट्रांस्पोर्ट वाले पूरा टिकट लेते हैं ? क्या इससे सैयाहों पर काफी खर्चा नहीं पड़ता है और अगर पड़ता है तो मैं जानना चाहता हूं कि हकूमत इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री राज बहादुर : पहली बात तो यह है कि सैयाहों में बच्चों की गितनी बहुत कम होती है .....

श्री अ० मु० तारिक : मैं हिन्दुस्तानी सैयाहों की बात कर रहा हूं जिन में बच्चे ज्यादा होते हैं, बूढ़े कम होते हैं ।

श्री राज बहादुर: मैं समझता हूं कि जवान सब से ज्यादा होते हैं । मेरा ख्याल यह है कि जो सवाल आपने उठाया है कि बच्चों से बसेज में और टैक्सीज में आधा टिकट लिया जाये, इस मौके पर मैं उस का जवाब नहीं दे सकूंगा । बाकी हालत में आप से अलाहदा अर्ज कर चुका हूं ।

माल–डिब्बों का अनियमित रूप से रजिस्टर कराया जाना

†*१३८३. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ नगर के एक दलाल ने हस्तिनापुर और मवाना नगर आउट-एजेंसी में १७५ माल–डिब्बे नियम विरुद्ध रजिस्टर कराये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उसी दलाल ने प्रतिबन्धों के रहते हुए भी गुड़ के लगभग ५० माल डिब्बे बुक कराये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि उसने पश्चिम रेलवे पर प्राथमिकता वर्ग 'ई' में गुड़ भिजवा दिया था जबकि प्राथमिकता वर्ग "ए", "बी" और "सी" की तत्काल भेजी जाने वाली वस्तुओं के भेजे जाने के लिये "डिस्पैच आर्डर" प्राप्त नहीं हुए थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या दलाल के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां । लेकिन यह रजिस्ट्रेशन बाद में रद् कर दिया गया क्योंकि यह अनुमत सीमा से अधिक था ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३३ वैगन भेज दिये गये थे जब कि केवल प्राथमिकता वर्ग 'ग' के १३ वैगन क्लियरेंस की प्रतिक्षा में थे ।

(घ) और (ङ). आउट-एजेंसी वाले ठेकेदार रेलवे के प्रतिदार्थी हैं और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आसर** : क्या सरकार को अन्य स्टेशनों से भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे पता नहीं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या किसी विशेष दलाल के नाम से बड़ी संख्या में वैगन बुक करने के लिये किसी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही आरम्भ की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ये वैगन आउट-एजेंसी ने बुक किये थे । कार्यवाही आउट-एजेंसी के खिलाफ की जायेगी, रेलवे कर्मचारियों के नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, रेलवे अधिकारियों की ओर से जिसने १७५ वैगन एलाट किये क्या उसे सजा दी गयी है या उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने उत्तर रेलवे को इस मामले में जांच कर भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने देने की सलाह दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निवारण में सजा भी शामिल है । यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से १७५ वैगन रजिस्टर कर दे और बाद में रेलवे अधिकारियों का ध्यान दिलाने पर रेलवे अधिकारी इसे अनुचित समझ उसे रद् कर देते हैं । लेकिन इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही तो की ही जानी चाहिये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम इस मामले की जांच कर सभा को सूचित कर देंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या किसी विशेष दलाल का नाम काली-सूची में दर्ज कर दिया गया है और क्या यह सच नहीं है कि ऐसे दलाल अक्सर मांग से कहीं अधिक वैगन रजिस्टर कर देते हैं और बाद में तगड़ा मुनाफा ले कर जरूरतमन्द लोगों को वह रजिस्टर्ड वैगन बेच देते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जहां तक आउट-एजेंसियों का सम्बन्ध है, हमने उनसे अपना आचरण स्पष्ट करने और इस बात का कारण बताने के लिये कहा है कि उनका ठेका रद् क्यों न कर दिया जाये ।

†**श्री रामनाथन् चट्टियार** : स्टेशनों और आउट-एजेंसियों में वैगन किस सिद्धांत के आधार पर बुक किये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई सीमा विहित की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां, एलाटमेंट के कोटे से शासित होने वाले स्टेशनों के लिये तीन वैगन हैं । तीन से ज्यादा नहीं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह कार्य किसी एक दिन का था या लगातार महीनों तक चलता रहा था और यदि लम्बे अर्से तक चलता रहा हो तो इसे रोका क्यों नहीं गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रश्न के भाग (क) में जिन १७५ वैगनों का जिक्र किया गया था वे दिसम्बर, १६५६ से सम्बन्ध रखते थे । जहां तक अन्य वैगनों का सम्बन्ध है, उनमें १०६

---

†मूल अंग्रेजी में

वैगन थे जिनमें से केवल १३ को प्राथमिकता दी गयी थी । ये ७-१२-१९५९ से १०-१-१९६० तक के बीच बुक किये गये थे । जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यदि किसी रेलवे अधिकारी का इससे सम्बन्ध हुआ तो हम उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर देंगे ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है 'हां' । जब प्राथमिकता के आदेशों की क्लियरेंस की प्रतीक्षा की जा रही थी उस समय उन्होंने कुछ वैगन ऐसी वस्तुओं के लिये एलाट करने के आदेश दे दिये जो प्राथमिकता सूची में नहीं थीं । स्पष्ट है कि यह कार्य किसी रेलवे अधिकारी ने किया होगा । इसलिये प्रश्न यह है कि जिन वस्तुओं को प्राथमिकता प्राप्त नहीं थी उनके लिये वैगन एलाट करने के सम्बन्ध में रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर उस रेलवे अधिकरी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही आरम्भ की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं स्पष्ट कर दूं । यह सारा गुड़ रेलवे कर्मचारियों के सुपुर्द किये बिना ही रेल-हैड पर जमा कर दिया गया था । यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुयें हैं और क्षति के दावों से बचने के लिये इन्हें यथासंभव वहां से ले जाया गया । उन्हें प्राथमिकता वर्ग 'क' अथवा 'ख' में नहीं वरन् 'ग' में हटाया गया था ।

कारो नदी का जल—विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण

†*१३८४. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग से कारो नदी का जल—विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब से प्रारम्भ किया जायेगा और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने कारो नदी पर एक गाज-साइट[1] की स्थापना कर दी है और वह जल-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर पहा है । फिलहाल इस कार्य को ३१ मार्च, १९६० तक करने का प्रस्ताव था ।

†**डा० सामन्त सिंहार** : कितनी बिजली पैदा की जायेगी और इस परियोजना की लागत कितनी है ?

†**श्री हाथी** : यह सिंचाई अथवा बिजली सम्बन्धी योजना थोड़े ही है । यह योजना तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ओर से किड़ीबुडू को जल-संभरण करने के लिये आरम्भ की गई है ।

चीलर नदी योजना

*१३८५. **श्री राघेलाल व्यास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को चीलर नदी सिंचाई योजना प्रस्तुत की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Gauge site.

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने उस योजना के बारे में क्या निर्णय किया है ;

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और उससे क्या लाभ होंगे ; और

(घ) इस योजना पर कार्य कब प्रारम्भ हो सकेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). जी, हां । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को परियोजना प्रतिवेदन मिल गया था और इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।

(ग) योजना की अनुमित लागत ६२.८ लाख रुपये है । इससे १३,००० एकड़ भूमि की प्रति वर्ष सिंचाई होगी, तथा शजापुर नगर को ४ करोड़ घनफुट पीने का पानी मिलने की संभावना है ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री राघेलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ६२.८ लाख रु० खर्च की रकम होगी, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किस तरह से की जायेगी क्या इस पर कुछ सोचा गया है ?

श्री हाथी : हां इस बारे में स्टेट की प्लैनिंग के लिये स्टेट के साथ हर साल वर्किंग ग्रुप डिस्कशन करता है, और कितना पैसा चाहिये और कितना देना पड़ेगा, इस सब के बारे में उसमें तय होता है ।

श्री राघेलाल व्यास : क्या यह सही नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस परियोजना के लिये रकम निर्धारित की गई है ? और क्या उसमें से खर्च की व्यवस्था नहीं हो सकेगी ?

श्री हाथी : उसमें से भी हो सकेगी, लेकिन प्रति वर्ष के भीतर कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना शार्ट फाल हुआ, इसको देख कर फिर भी अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा दिया जा सकता है ।

केरल में इडुकी जल—विद्युत् योजना

†*१३८६. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की इडुकी जल—विद्युत् योजना सम्बन्धी जांच पड़ताल पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक पूरी होगी ; और

(ग) योजना पूरी हो जाने पर जो विद्युत् पैदा की जायेगी उसकी कितनी लागत आयेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) मौजूदा प्राक्कलनों के अनुसार मार्च, १९६१ तक ।

(ग) बिजली पैदा करने की लागत तभी कूती जा सकती है जब जांच पूरी हो जाय और परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मणियंगाडन : क्या वहां पैदा की गयी बिजली की लागत सरकार द्वारा अन्यत्र पैदा की जाने वाली बिजली की लागत से कहीं कम होगी ?

†श्री हाथी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि बिजली पैदा करने की लागत तभी कूती जा सकती है जब जांच हो जाय और परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाय ।

†श्री मणियंगाडन : क्या यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में आरम्भ कर दी जायगी ?

†श्री हाथी : जांच पूरी होने के बाद जब राज्य सरकार परियोजना प्रतिवेदन भेज देगी तब इस बात पर विचार किया जा सकता है ।

†श्री के० ईयाचरण: यह योजना कब आरम्भ की गयी थी और जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

†श्री हाथी : यह १९५७ में आरम्भ की गयी थी और मार्च, १९६१ तक पूरी हो जायेगी।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : मूल कार्यक्रम के अनुसार जांच कब तक पूरी हो जानी चाहिये थी और क्या यह कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी होगी ?

†श्री हाथी : यह मूल कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी होगी ।

†श्री कोडियान : क्या केरल सरकार ने इस योजना को केन्द्र के क्षेत्र में शामिल कर लेने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का रुख क्या है ?

†श्री हाथी : नदी घाटी परियोजनाओं का कोई केन्द्रीय क्षेत्र नहीं है ; ये सभी राज्य की योजनाओं में हैं । हीराकुड को छोड़ कर अन्य किसी भी योजना को केन्द्र ने क्रियान्वित नहीं किया । केन्द्र सभी परियोजनाओं के लिये ऋण मंजूर करता है ।

†श्री पुन्नूस : जांच का कार्यक्रम होता है जिसमें यह विहित रहता है कि इसे फलां दिन आरम्भ होना चाहिये और अमुक अमुक समय तक समाप्त हो जाना चाहिये । क्या जांच में कुछ विलम्ब हुआ है ?

†श्री हाथी : मेरे ख्याल से जांच में कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है ।

†श्री रामी रेड्डी : केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और राज्यों के क्षेत्र की योजनाओं में क्या अन्तर होता है ?

†श्री हाथी : सभी नदी घाटी परियोजनायें राज्यों के क्षेत्र में हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में एक भी नदी घाटी परियोजना नहीं है । केवल हीराकुड को केन्द्र ने क्रियान्वित किया था क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त आवश्यक मशीनें नहीं थीं ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा वित्त व्यवस्था की जाती है ?

†श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऋण देगी । लेकिन इसका अर्थ यह थोड़े ही हुआ कि वह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच है कि राज्य के योजना सम्बन्धी व्यय-कार्यक्रम में इन योजनाओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है ?

†**श्री हाथी** : वह योजना का अंग तो नहीं होगा लेकिन यदि राज्य के पास साधन न हों तो केन्द्र द्वारा ऋण दिये जाते हैं ।

†**श्री मणियंगाडन** : क्या इस योजना के फलस्वरूप सिंचाई सम्बन्धी योजनायें भी उपलब्ध हो जायेंगी ?

†**श्री हाथी** : आरम्भिक रूप से यह बिजली पैदा करने की योजना है । लेकिन आगे चल कर हो सकता है कि यह सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान कर दे । मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता । यह हम जांच पूरी होने के बाद बता सकते हैं ।

†**श्री मणियंगाडन** : इस समय जो जांच चल रही है क्या वह इस पहलू से भी सम्बन्धित है ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं, फिलहाल वे बिजली पैदा करने के बारे में ही जांच कर रहे हैं ।

चन्देरपुरा के लिये बॉयलर

†*१३८७. { **श्री याज्ञिक** :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्देरपुरा के लिये बॉयलर खरीदने के लिये एक अमरीकी फर्म को आर्डर दिया जा रहा है जिसमें इन बॉयलरों का जो मूल्य स्वीकार किया गया है वह टेक्निकल रूप से स्वीकार्य निम्नतम मूल्य के टेण्डर में दिये गये भाव से ३० प्रतिशत अधिक ऊंचे हैं, और इस प्रकार लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान होगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात के बावजूद कि अमरीकी फर्म दामोदर घाटी निगम की टेक्निकल आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ रही थी और सन्तोषजनक गारन्टी देने के लिये तैयार नहीं थी, उससे बॉयलर खरीदने के लिये ३० प्रतिशत अधिक कीमत मंजूर की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). चन्देरपुरा के लिये बॉयलरों के खरीदने के प्रश्न पर अमरीकी फर्म के साथ बातचीत की जा रही है ।

†**श्री याज्ञिक** : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या अन्य अभिकरणों ने जितने के टेन्डर दिये हैं, अमरीकी फर्म को उससे अधिक राशि दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : इस पर अभी बातचीत की जा रही है, हमने अन्तिम रूप से आदेश नहीं दिये हैं । धनराशि और शर्तों के सम्बन्ध में अभी निश्चय नहीं किया गया है । अभी से यह कहना समय से पूर्व है कि क्या आदेश दे दिया गया है । आदेश नहीं दिया गया है , इस पर अभी बातचीत की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यात्निक** : बॉयलरों के लिये यह धन अमरीकी ऋण से दी जायेगी अथवा अमरीकी बैंक से ?

†**श्री हाथी** : यह विकास ऋण निधि से दी जायेगी जो कि अमरीकी सहायता निधि है ।

आगरा स्टेशन पर लोहे और कोयले की चोरी

†*१३८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को इस बात का पता है कि आगरा में रेल से आने-जाने वाले लोहे और कोयले की रास्ते में काफी चोरी हो जाती है ;

(ख) चोरी का कितना अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह सच नहीं है कि आगरा में रेल से आने जाने वाले लोहे और कोयले की रास्ते में काफी चोरी होती है।

(ख) १९५९ में केवल ४२ रुपये के कोयले तथा ५ रुपये के लोहे की चोरी का मामला दर्ज हुआ था ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुये कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सरकारों के विभागों से भी जिन्हें आगरा होकर अधिकांश माल भेजा जाता है, हमेशा यह शिकायत प्राप्त हुई है और इसलिये उन्हों वहां विशेष अभिकर्ता नियुक्त कर दिये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरी जानकारी में राज्य सरकारों से ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आगरा जमुना पुल और टूंडला के बीच में रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की साजिश से कोयला चोरी जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं । यह तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता ।

†**सेठ अचल सिंह**: क्या यह सच नहीं है कि आगरा जमुना पुल और टूंडला के बीच एक गिरोह पुलिस की सहायता से बराबर चोरी के काम में लगा हुआ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको पता नहीं है । माननीय सदस्य उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री को मुझ से और श्री अचल सिंह से यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये कि रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की सहायता से एक स्थायी गिरोह इस काम में लगा हुआ है और राज्य सरकारों को भी इसमें बड़ी कठिनाई महसूस हुई है और उन्होंने उसकी देखभाल के लिये वहां पर विशेष अभिकर्ता नियुक्त कर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इस बात के लिये कृतज्ञ होऊंगा यदि माननीय सदस्य मुझको लिखें और मैं उचित जांच कराऊंगा ।

राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था

†*१३९१. **श्री मू० चं० जैन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था की इमारत बनाने तथा अन्य कार्यों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलों द्वारा कोयले का मार्ग में रोका जाना

†*१३९४. **श्री ब्रज राज सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों के लिये बुक किये गये माल डिब्बों को मार्ग में रोक कर उनमें ले जाये जाने वाले कोयले का इस्तेमाल कर लेने के कोई आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के फीरोजाबाद की कांच की चीजें बनाने की विभिन्न कम्पनियों के नाम बुक किये गये ३० से अधिक माल डिब्बों को मार्ग में रोक लिया गया था और उनमें जो कोयला ले जाया जा रहा था उसका रेलों द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस अधिकार के अन्तर्गत किया गया और क्या जिनका कोयला इस्तेमाल किया गया था उन लोगों को उनके कोयले का इस्तेमाल करने से पहले कारण बताने का नोटिस (शो काज नोटिस) दिया गया था ;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि फीरोजाबाद तथा अन्य विभिन्न स्थानों के उद्योगों को मजबूर होकर अपना काम रोक देना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुंचेगा और हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे ; और

(ङ) मामले को ठीक करने के लिये सरकार क्या तात्कालिक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ग). कोई विशेष आदेश नहीं जारी किये गये हैं किन्तु कुछ रेलों को अत्यावश्यक रेलवे सेवाओं को कायम रखने के लिये पब्लिक कोयले को अन्य काम में लाना पड़ता है । ऐसे मामलों में कोयला नियंत्रक तथा माल मंगाने वालों को उसके बारे में तार द्वारा सूचित कर दिया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(घ) कोयला नियंत्रक उसके स्थान पर दूसरा प्रबन्ध करके उद्योगों को बन्द होने से रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करता है । जब रेलों के पास काफी मात्रा में फालतू कोयला होता है तब वे मुसीबत के समय प्रत्येक सार्थ की सहायता भी करती है ।

(ङ) कोयला भेजने का काम बढ़ाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह :** प्रश्न के भाग (क) और (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि सरकार को प्राइवेट पार्टियों के नाम में भेजे जाने वाले कोयले को मार्ग में रोकने का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। रेलें केवल गाड़ियों का काम कर रही हैं। प्राइवेट पार्टी को कोई सूचना दिये बिना रेलें यह कोयला क्यों और किस अधिकार के अन्तर्गत रोक लेती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह पुरानी प्रथा है कि जब कभी हमारे पास कोयले की कमी पड़ जाती है तो अत्यावश्यक सेवाओं को कायम रखने के लिये हम कोयले को अपने काम में ले लेते हैं तथा कोयला नियंत्रक और कोयला मंगाने वालों को उसकी सूचना भेज देते हैं। कोयला नियंत्रक तुरन्त इसे भेज देंगे।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** वे किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं करते ? क्या यह सच है कि फिरोजाबाद जाने वाले कोयले के ३० माल डिब्बे रेलों द्वारा बीच में ही रोक लिये गये थे। दूसरे दिन इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने यह बताया था कि कोयला खानों के मुहानों पर २७ लाख टन से अधिक कोयला उपलब्ध था। जब वहां इतना कोयला उपलब्ध था, तो वे उद्योग चलाने के लिये प्राइवेट पार्टियों को भेजे जाने वाले कोयले को क्यों रोक लेते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** बहुत कम माल भेजने के कारण दिसम्बर, १९५९ से रेलवे के पास कोयला का स्टाक बहुत कम है। १ अक्तूबर, १९५९ को १६.९ दिन का जो कुल स्टाक था, उसमें से १ मार्च, १९६० को ६.४ दिन का ही रह गया जबकि कम से कम १० दिन का स्टाक रहना चाहिये। हम कोयला नियंत्रक से अधिक से अधिक कोयला भेजने को हमेशा कहते रहे हैं। ऐसा एक तरफा नहीं किया जाता। जब कभी हमारे पास अधिक कोयला होता है, हम उन्हें कोयला भेज देते हैं और जब कभी हमें आवश्यकता होती है, हम उसे रोक लेते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। जहां तक उत्तर रेलवे द्वारा रोके गये ३४ माल डिब्बों का संबंध है, २९ माल डिब्बे दिये जा चुके हैं और ५ दिये जा रहे हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या रेलवे द्वारा रोके गये कोयले का मल्य अथवा कोई प्रतिकर पार्टियों को तुरन्त दिया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता है। जैसे ही हम कोयले को अपने काम में ले लेते हैं, कोयले का मूल्य कोयला नियंत्रक के पास भेज दिया जाता है और वह माल मंगाने वाले को दे देता है। यदि वह हमें नियंत्रक को देने का अधिकार नहीं देता, तो हम माल मंगाने वाले को ही सीधे दे देते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या प्राइवेट लोगों का कोयला उनकी स्वीकृति से काम में लिया जाता है अथवा बिना उनकी स्वीकृति के और यदि उनकी बिना स्वीकृति के किया जाता है तो ऐसा किस कानून के अन्दर किया जाता है, क्या यह बहुत पुरानी प्रथा है, या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** पहले ही बता चुके हैं कि यह बहुत पुरानी प्रथा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आता ?

†**अध्क्षय महोदय :** क्या माननीय उपमंत्री इस समय की विधि संबंधी स्थिति से अवगत हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मुझे कानूनी स्थिति का ज्ञान नहीं। इस पर विधि मंत्रालय विचार करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बहुत पुरानी प्रथा है और किसी ने शिकायत नहीं की है। माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि किस प्राधिकार के अन्तर्गत वे ऐसा कर रहे हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** मुख्य प्रश्न के उत्तर के दौरान माननीय उपमंत्री ने 'पब्लिक कोयले' का उल्लेख किया। इसका क्या अर्थ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** पब्लिक के काम आने वाला कोयला।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** उसका मतलब रेलवे के लिये गैर सरकारी कोयला खान के कोयले से है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खान के कोयले से ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों के अलावा अन्य निकायों के काम में आने वाले कोयले से मतलब है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इतनी कम मात्रा भेज जाने के क्या कारण है ? क्या इसके लिये माल डिब्बे नहीं मिलते अथवा और कोई कारण है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जैसा मैंने कहा, ऐसा कम मात्रा में कोयला भेजने से होता है। माल डिब्बे काफी हैं। संभरण की स्थिति के बारे में प्रश्न लोहा तथा इस्पात मंत्री को संबोधित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** कल ही मैंने माननीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से बार बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। उन्होंने बताया था कि कोयला खानों के मुहानों पर हमेशा इतना कोयला रहता है जिससे किसी भी आपात अवस्था में उससे काम चल सकता है। वहां इतनी सप्लाई है। उन्होंने यह भी बताया कि माल डिब्बे देने की स्थिति नहीं सुधर रही है। अतः वहां पर केवल इस बात की कमी है कि मिलकर काम नहीं होता और कुछ नहीं। माननीय मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** रोके गये कोयले के मूल्य के रूप में कितना धन दिया गया क्योंकि फीरोजाबाद की कुछ सार्थों को भेजे जाने वाले ३० माल डिब्बे रोक लिये गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले की छानबीन करें। क्या जनता की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं ?

†**श्री ब्रज राज सिंह :** वस्तुतः मुझे शिकायतें मिली हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु वे मंत्री नहीं हैं। उनके पास शिकायत भेजने से क्या लाभ ? उन्हें माननीय मंत्री के पास अपनी शिकायतें भेजनी चाहियें।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** उन्होंने माननीय मंत्री से भी शिकायत की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन्होंने माननीय मंत्री से शिकायत की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उन्होंने प्रतिकर मांगा है। किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत उन्हें प्रतिकर दिया जा सके। वस्तुतः जो ३४ माल डिब्बे रोके गये थे उन में से हमने २९ भेज दिये हैं और ५ भेजे जाने वाले हैं। इस प्रकार, सारा कोयला दे दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : कोयला रोकने से लेकर उसके बदले में और कोयला भेजने में कितना समय लगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास इस समय समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। फीरोजाबाद में इस उद्योग में ५०,००० कर्मचारी लगे हुए हैं और इन ३० माल डिब्बों को रोकने से इस उद्योग के सभी कर्मचारी बेकार हो गये हैं। लगभग एक महीने तक उद्योग को बन्द करना पड़ा। मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। हमें क्या करना है ? वस्तुतः कानून के अन्दर उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस विषय में कोई सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है । यदि माननीय सदस्य माननीय मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है, वे इस पर चर्चा करने की अनुमति मांग सकते हैं और तब सभा मार्ग दर्शन करायेगी तथा माननीय सदस्य यह जान सकेंगे कि क्या बिना किसी कानून के रेलवे मंत्री को माल डिब्बे रोकने का अधिकार है । मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि उचित रूप में पूछा गया तो मैं इस पर चर्चा के लिये कुछ समय दे दूंगा ।

दिल्ली के लिये वृहद् योजना

+

†*१३९५. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री गोरे :
श्री बैं० च० मलिक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये वृहद् योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की खास खास बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कब तक बृहद् योजना बन कर तैयार हो जायेगी क्योंकि यह काफी समय से विचाराधीन है ?

†**श्री करमरकर** : जैसा मैं ने पहले कहा, इसको अन्तिम रूप देने में ५-६ महीनों से अधिक नहीं लगेंगे । क्योंकि सारी प्रक्रिया पर विचार करना है । नगर आयोजना संगठन ने

†मूल अंग्रेजी में

अब इसे दिल्ली विकास प्राधिकार को दे दिया है जिन्होंने जनमत मांगा है । जनमत प्राप्त होने पर वे इसे सरकार के पास भेज देंगे, जिस पर वह विचार करेगी और इसके बाद उसे अन्तिम रूप देगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** जनमत संग्रह के लिये क्या तरीका अपनाया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम कि वे किस प्रकार जनमत का संग्रह कर रहे हैं जिसका मैं पता लगाऊंगा । मुझे केवल इतना ही मालूम है कि यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकार के विचाराधीन है और वे जनमत का संग्रह कर रहे हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** जनमत का अच्छी तरह पता लगाने के लिये क्या दिल्ली में कोई क्षेत्रीय समिति बनाई गई है ?

†**श्री करमरकर :** मैं यह सुझाव दिल्ली विकास प्राधिकार के पास भेज दूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अन्तिम विश्लेषण में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभागीय रूप से इस योजना की जांच की जायेगी अथवा योजना को अन्तिम रूप देने के लिये वे कोई अन्य प्रक्रिया अपनायेंगे ?

†**श्री करमरकर :** हमें स्वयं ही इस पर विचार करना है और अन्ततः भारत सरकार को उस सम्बन्ध में निर्णय करना है । मेरे विचार में यह मंत्रिमंडल के पास भी जायेगी । किन्तु अन्तिम योजना के लिये सम्पूर्ण भारत सरकार उत्तरदायी होगी ।

†**श्री दासप्पा :** क्या इस वृहद योजना के कुछ भाग संसद् भवन के कमरा संख्या ६२ में प्रदर्शित किये गये थे और यदि हां, तो कितने संसद्-सदस्यों ने उन्हें देखा ?

†**श्री करमरकर :** हमने उन्हें दो दिन तक दिखाया था और मेरी जानकारी यह है कि अधिक संसद्-सदस्यों ने उसका लाभ नहीं उठाया । किन्तु मैं श्री दासप्पा जैसे संसद्-सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने उसे देखा ।

†**श्री त्यागी :** क्योंकि इस अवधि में भूमि की बिक्री आदि के मामले में काफी मुनाफाखोरी हुई है, क्या सरकार ने योजना में निर्धारित हरियाली वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में वृहद् योजना का प्रचार करने हेतु कुछ योजनायें बनाई हैं ।

†**श्री करमरकर :** हमने ये नक्शे विशेष रूप से संसद् सदस्यों को दिखाये थे क्योंकि हम उनकी राय और सलाह चाहते थे । अब प्रविधिक रूप से मामला दिल्ली विकास प्राधिकार के पास है । अब यह उनके ऊपर है कि वे इस विषय में जो आवश्यक समझें करें ।

रत्नागिरि तट का सर्वेक्षण

†*१३९६. **श्री आसर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा रत्नागिरि तट का निकट भविष्य में सर्वेक्षण करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और वह कब तक पूरा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) इस सवक्षण को बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत रख लिया गया है । अभी यह कहना संभव नहीं है कि कब सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा अथवा पूरा होगा ।

†**श्री आसर** : क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में आंग्रे बैंक में, जो रत्नागिरि जिले से लगभग सौ मील दूर है, उन्हों ने एक बहुत ही अच्छा मछली पकड़ने के केन्द्र का पता लगाया है और यदि हां, तो क्या सरकार की उस केन्द्र को विकसित करने की कोई योजना है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कुछ पोत समय-समय पर रत्नागिरि के तट पर स्थित आंग्र बैंक तक जाते हैं । किन्तु यह पाया गया कि मछली पकड़ने के लिये जाल बिछाने के काम के लिये उसका तल मूंगे का है । अतः इस काम के लिये उसे उपयुक्त नहीं समझा गया । अब उन्होंने किनारे पर से मछली पकड़न का तरीका अपनाया है और वह बहुत सफल सिद्ध हो रहा है । हम सम्पूर्ण तह का ठीक-ठीक सर्वेक्षण करना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें समय लगेगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या पूर्वी तट पर भी ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हां, श्रीमान् । हमने विजगापटनम् में इसे आरम्भ किया है । यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण केन्द्र है जिसको देख कर माननीय सदस्य को लाभ ही होगा ।

माल ढोने वाले विमानों का गोहाटी से आगे चलाया जाना

†*१३९७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन गोहाटी से आग माल ढोने वाले जहाज क्यों नहीं चलाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम के लिये कलकत्ता से जो माल आता है उसमें से अधिकांश गौहाटी से आगे की जगहों को जाता है ;

(ग) गौहाटी से आगे के स्थानों को कितनी गैर-सरकारी कम्पनियां अथवा उनकी ओर से कितने हवाई जहाज माल ले जाते हैं और वापस लाते हैं ;

(घ) वे कितना माल ले जाते हैं ;

(ङ) क्या वे इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा इस्तेमाल में आने वाली अनुसूचित-हावई-पट्टियों के निकट वाले हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हैं ;

(च) अधिकांश माल की ढुलाई अननुसूचित कम्पनियों पर छोड़ने के क्या कारण हैं ;

(छ) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार इस लाभपूर्ण व्यापार को अपने हाथों में लेने का है ; और

(ज) यदि हां, तो किस प्रकार ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने सवारी विमानों पर गोहाटी से आगे माल ले जाता है। इसके अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कलकत्ता/गोहाटी/मोहनबारी के बीच एक माल ढोने वाला विमान चलाने की व्यवस्था की है जिसे मांग करने पर चलाया जाता है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) चार अननुसूचित कम्पनियां हैं जिनके पास १२ डकोटा विमान हैं और जो गौहाटी से आगे के स्टेशनों सहित पूर्वी क्षेत्र में माल ढोन का काम करते हैं।

(घ) १-४-५९ से ३०-९-५९ तक की अवधि में कलकत्ता तथा आसाम के बीच इनके द्वारा कुल ८५.२ लाख पौंड माल ढोया गया।

(ङ) हां, श्रीमान्।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश माल इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा ढोया जाता है।

(छ) और (ज). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने पास उपलब्ध क्षमता को देखते हुए वाणिज्यिक आधार पर अधिक से अधिक माल ढोने की कोशिश करता है।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अतिरिक्त इस काम को चार कम्पनियां कर रही हैं। इन अनुसूचित कम्पनियों के पिछले काम को देखते हुए क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की स्थिति दृढ़ करने के लिये इन मार्गों को अपने अधिकार में लेना चाहती है ?

†श्री मुहीउद्दीन : प्रश्न माल ले जाने के बारे में है, गैर-सरकारी कम्पनियों को अपने हाथ में लेने के बारे में नहीं।

†श्री स० मो० बनर्जी : मेरा मतलब यह था कि गत वाद-विवाद के दौरान में भी यह बताया गया कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को भारी हानि उठानी पड़ रही है। अतः मेरा कहना यह है कि इंडियन एयरलाइन्स ही सारे काम क्यों नहीं कर रही है, यह काम इन अननुसूचित कम्पनियों द्वारा क्यों कराया जा रहा है और सरकार इन लाइनों को अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेती।

†श्री मुहीउद्दीन : उनके काम के बारे में मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वे अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े उपस्थित कर सकता हूं। कलकत्ता-आसाम क्षेत्र में अप्रैल से सितम्बर, १९५९ तक के आठ महीनों में ढोये गये १९९.३ लाख पौंड माल में से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा ११४.१ लाख पौंड माल ढोया गया और प्राइवेट कम्पनियों द्वारा ८५.२ लाख पौंड। यदि मैं अगरतला भी सम्मिलित कर लूं तो दोनों द्वारा ३०५.३ लाख पौंड माल ढोया गया, जिस में से २२० लाख पौंड माल आई०ए०सी० द्वारा ढोया गया और ८५.२ लाख पौंड माल प्राइवेट कम्पनियों द्वारा। असम क्षेत्र में हवाई जहाजों से जो माल गिराया गया यदि उसको भी सम्मिलित कर लिया जाय तो अनुपात उससे भी अधिक आयेगा। हवाई जहाज से गिराये गये माल को मिलाकर जो ३४० लाख पौंड माल ढोया गया, उसमें से प्राइवेट कम्पनियों द्वारा केवल ८५·२ लाख टन माल ढोया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि एक प्राइवेट कम्पनी कलिंग एयरलाइन्स है और क्या अनेक घटनाओं तथा उनके बुरे काम के बारे में इस एयरलाइन्स के खिलाफ कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है। क्या यह सेवा समाप्त की जा रही है अथवा उनके लाइसेंस की तारीख बढ़ाई जा रही है ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** चार दिन पूर्व जांच के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था । जब वह प्रश्न पूछा गया था तो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रश्न श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री राम कृष्ण गुप्त के नाम में था, मेरे नाम में नहीं । इसके अलावा यदि उसका उत्तर दे भी दिया गया है तब भी मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जांच का क्या हुआ और क्या वही सेवा चालू रखी जायेगी । मेरा डर यह है कि इस सेवा को कायम रखने से बहुत से मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** अतः क्या होने जा रहा है ? क्या इस लाइसेंस की तिथि बढ़ाई जायेगी अथवा नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसे ही सरकार जांच की रिपोर्ट पर निर्णय कर लेगी, उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार यह बतायेगी कि १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५९ तक कलिंग एयरलाइन्स द्वारा कितना माल ढोया गया तथा उसी अवधि में आई० ए० सी० द्वारा कितना ढोया गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे पास उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं है । मैंने कुल आंकड़े दे दिये हैं।

†**श्री तंगामणि :** इसी अवधि में चारों प्राइवेट कम्पनियों द्वारा ढोये गये माल के मुकाबले में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कितना माल ढोया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उसके लिये एक पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

चीनी का भाव

\+

†*१३९८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के भाव के बारे में प्रशुल्क आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकारी संकल्प की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर ६ अप्रैल, १९६० को रख दी गई थी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : प्रशुल्क आयोग ने चीनी के जिस मूल्य का सुझाव दिया है, वह क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उन्होंने जो लागत अनुसूची तैयार की है, उसी के अनुसार सुझाव दिया है और हमने यह देखा है कि हमने जो मूल्य नियत कर दिया है, उस नियंत्रित मूल्य पर ही हमें डटे रहना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । अब मैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने सभा में बताया था कि लगभग २२ लाख टन चीनी तैयार करने का लक्ष्य है । यदि यह लक्ष्य इस वर्ष पूरा हो जाता है अर्थात यदि २२ लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन हो जाता है तो क्या सरकार चीनी के मूल्य में कमी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २५ लाख टन चीनी पैदा करने की आशा थी और २२·५ लाख टन चीनी पैदा करने का अनुमान लगाया गया था । वस्तुतः पिछली बार मैंने बताया था कि लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो जायेगा और हमें आशा है कि २३ लाख टन के आस पास चीनी का उत्पादन हो सकेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या २२ लाख टन या उससे अधिक चीनी का उत्पादन होने से मूल्य घटाया जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसकी संभावना नहीं है । खपत बढ़ती जा रही है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये हम ३० लाख टन से कुछ अधिक का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार कर रहे हैं । अतः इस समय मांग से अधिक संभरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मेरा स्थगन प्रस्ताव गन्ने के मूल्य के बारे में था । क्या मैं उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : जब प्रशुल्क आयोग इस मामले की जांच कर रहा था तब हमें सभा में बताया गया कि गन्ने के मूल्य के बारे में भी जांच कर रहे हैं । अब प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट के बाद हम समझते हैं कि प्रशुल्क आयोग ने गन्ने के मल्य के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है । क्या सरकार गन्ने का मूल्य तय करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को ही सौंपेगी अथवा किसी अन्य विशेष समिति को ?

†**श्री अ० म० थामस** : वस्तुतः उत्पादन की लागत के आधार पर प्रशल्क आयोग द्वारा गन्ने का मूल्य तय नहीं किया गया था । किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने के मल्यों का प्रश्न भी आ गया क्योंकि जब गन्ना उत्पादकों ने यह शिकायत की कि कारखाने के बाहर के मल्य का निर्णय

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये उत्पादन की जो लागत लगाई गई है वह कुछ अधिक है तो हमने इस मामले को प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया। प्रशुल्क आयोग ने गन्ने के वर्तमान मूल्य के आधार पर विचार किया है और उन्होंने यह पता लगाया है कि वर्तमान नियंत्रित मूल्य गन्ने की वर्तमान कीमतों को देखते हुये ठीक है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गन्ने की कीमत १ रुपया ६२ नये पैसे से बढ़ाकर १ रुपया ७५ नये पैसे रखना चाहते हैं ? क्या उन्होंने इसकी जांच की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वह ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हमें लिखा भी है कि कीमत १ रुपया ७५ नये पैसे कर दी जाये। हमने इस सम्पूर्ण प्रश्न का परीक्षण किया है। जैसा कि कई बार मैंने इस सभा में बताया, कई बातों को जैसे उत्पादकों के हित और उपभोक्ता और सम्पूर्ण कृषि अर्थ व्यवस्था को देखते हुये अब और अधिक कीमत बढ़ाना हितकर नहीं होगा। जो वृद्धि की गयी है हमने तीन आना बढ़ाया है, उसके अनुसार अब गन्ने की कीमत १ रुपया १० आने होती है। यह सिर्फ कम से कम कीमत है जो रखी गयी है। कीमत जोड़ने के सिद्धांत के अधीन यदि कारखाने को कोई बचत प्राप्त हुई हो तो गन्ना उत्पादक भी उसमें उचित हिस्से के हकदार हैं। हमने जो प्रोत्साहन दिये हैं उसके अधीन अभी कई कारखानों ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक दिया है। उन्होंने १ रुपया ७५ नये पैसे की दर से दाम चुकाया है। मैंने १६ कारखानों का उदाहरण दिया है जिनमें दानेदार चीनी के बजाय खांडसारी और गुड़ तैयार करने का प्रश्न था। १६ कारखानों ने १ रुपया १२ आने की दर से दाम चुकाया है और उत्तरी उत्तर प्रदेश में एक कारखाने ने न्यूनतम मूल्य से एक आना अधिक दिया है। इसलिये कई क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों को जो कम से कम कीमत तय की गयी है उससे अधिक मिल रहा है।

†**श्री खुशवक्त राय** : इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कल विधान सभा में बताया कि गन्ने की कीमत निर्धारित करने के संबंध में असन्तोष है, क्या सरकार गन्ने की कीमत के विषय को प्रशुल्क आयोग को सौंपने के लिये तैयार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यही चीज अभी बतायी है।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पहले ही बता चुका हूं। वास्तव में यह सवाल इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है और अभी हाल जब खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी तब एक कटौती प्रस्ताव भी था कि कीमत २ रुपये कर दी जाये। वह सभा में मतदान के लिये रखा गया और वह सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ। कई बार उस पर चर्चा हो चुकी है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वतः वह १६ कारखाने देखे हैं जिन्होंने १ रुपया ७५ नये पैसे की दर से गन्ने की कीमत दी है। और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और बिहार सरकार ने सरकार से सिफारिश की है, क्योंकि १ रुपया ७५ नये पैसे देने के बाद भी कारखाने नियंत्रित दर से मुनाफा कमा रहे हैं। यह क्या बात है कि सरकार उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं कर रही है और यह कहती है कि उसने अन्य बातों पर विचार किया है आदि। दो सरकारें कहती हैं कि वे दे सकती हैं और कारखान दे रहे हैं। तब गन्ना उत्पादकों को उस कीमत से क्यों वंचित रखा जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** वह इसलिये १ रुपया १२ आने दे सकती है कि प्रोत्साहन दिया गया है। सभा जानती है कि पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक वृद्धि पर उत्पादन शुल्क में ५ प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसलिये चीनी कारखाने पेरने के लिये ज्यादा से ज्यादा गन्ना प्राप्त करने के लिये वह कीमत दे सकते हैं। वह २ आने अधिक दे सकते हैं क्योंकि ५० प्रतिशत छूट से और गन्ने की पेराई जल्दी शुरू कर ने के कारण मिलने वाली रियायतों से उनकी भरपाई हो जाती है। चूंकि वित्त मंत्री ने ये रियायतें मंजूर कर ली हैं इसलिये चीनी कारखानों के लिये यह संभव हो सका है कि वे गन्ना उत्पादकों को कुछ अधिक मूल्य दे सकें।

†**श्री त्यागी :** किन कसौटियों और आधारों पर गन्ने की न्यूनतम कीमत निर्धारित की गयी है ? क्या कभी प्रशुल्क आयोग या किसी अन्य किसी संगठन के जरिये किसान की उत्पादन लागत का हिसाब लगाया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** क्या मैं बता सकता हूं कि गन्ना खेती की फसल है, वह प्रशुल्क को आयोग के पास नहीं जा सकती ? उसे प्रशुल्क आयोग के पास भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री त्यागी :** उत्पादन लागत मालूम करने के लिये क्या और कोई समिति नियुक्त की गयी थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** वह संभव नहीं है।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी आयोग या समिति ने उत्पादन लागत के प्रश्न की कभी छानबीन की थी या ये कीमतें बिलकुल मनमाने ही तय कर दी गयीं हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** किसी समिति ने खेती की किसी फसल के बारे में छानबीन नहीं की है। किन्तु जितनी सावधानी से उनकी छानबीन की जा सकती है, की गयी है और मौजूदा कीमतें गन्ना उत्पादकों के लिये बहुत बहुत लाभदायक हैं।

†**श्री त्यागी :** तब मैं यह समझूंगा कि उनके पास उत्पादन लागत के आंकड़े हैं। (**बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। उत्तर स्पष्ट है। उन्हें उत्पादन लागत मालूम है किन्तु वे इतनी गहराई में नहीं गये हैं फिर भी.....

†**कई माननीय सदस्य** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** एक औचित्य प्रश्न। माननीय मंत्री ने बताया....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है। गन्ने की कीमतों का प्रश्न प्रायः प्रतिदिन आया करता है। मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा कि वे इस प्रश्न को छः महीने में एक बार उठाया करें, रोज रोज नहीं। प्रत्येक सप्ताह में एक बार केवल गन्ने और चीनी का प्रश्न आता है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** उत्तर प्रदेश और बिहार विधान सभाओं ने सर्व सम्मति से संकल्प पारित किये हैं कि फी मन गन्ने की कीमत १ रुपया ७५ नये पैसे कर दी जाये। अब वे ही लोकतंत्र के रक्षक हैं। यदि वे स्वतः ही अपनी सरकारों की सिफारिशों से सहमत नहीं होते, तो हम क्या करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० म० थामस ।

मैं केवल यही सुझाव दे सकता हूं । अक्सर यह बात होती है कि राज्य सरकारें या राज्यों के मुख्य मंत्री या भारसाधक मंत्री कोई वक्तव्य देते हैं और उस वक्तव्य के आधार पर यहां प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया । क्या ऐसा संभव या वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच बैठकें होती रहें ? इस प्रकार के स्पष्ट विरोध यहां हीं लाये जाने चाहियें ।

†**एक माननीय सदस्य** : वह तो प्रत्येक पखवाड़े में हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा हो तो मंत्री क्यों वक्तव्य देते हैं ? मैंने सिफारिश की है किन्तु वे सहमत नहीं हुये । यह ठीक नहीं मालूम होता कि वे बराबर कुछ कहते जायें । यदि राज्य सरकार आग्रह करती है तो यह सरकार मान लेगी अन्यथा इसमें कोई अर्थ नहीं कि वे बराबर यह कहते रहें । मैं देखता हूं कि राज्यों में कई मंत्रियों ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने अमुक नहीं किया, लेकिन हम सब एक साथ काम करते हैं, और वे यह धारणा बताते हैं कि केन्द्रीय सरकार जिद करती है । यह तो उन्हें आपस में तय करना चाहिये । ऐसे मामलों के लिये जितना ही कम मौका दिये जाये, उतना ही अधिक अच्छा होगा । मैं यह धारणा उत्पन्न नहीं होने देना चाहता कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच विरोध चल रहा है ।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्होंने चीनी के दाम निर्धारित किये हैं.... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : जब हम सभा में ही यह देखते हैं कि वित्त मंत्री जिद पर हैं....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उनकी बात है । यदि वित्त मंत्री जिद करते हैं तो उन्हें आपस में समझौता कर लेना चाहिये, किसी न किसी को मान लेना चाहिये । उस विषय को उठाने में कोई अर्थ नहीं है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि सारी बातें बिगड़ जायें तो वित्त मंत्री मुसीबत में पड़ जायेंगे । इसलिये उसे दृढ़ होना ही पड़ता है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या मैं बता सकता हूं कि चीनी के लिये ५२ नये पैसे का मूल्य निर्धारित किया गया है । किन्तु राज्य में ५२ नये पैसे में कोई चीनी नहीं मिलती । और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दोष देती है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : किसी ने राज्य सरकार पर दोष नहीं लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह विषय छः महीने में एक बार यहां उठाया जाये, रोज रोज नहीं । माननीय सदस्य धीरज रखें । चाहे कुछ भी कहा जाये, मैं छः महीने में केवल एक बार चीनी और गन्ने पर वाद विवाद के लिये अनुमति दूंगा जैसा कि प्रत्येक वर्ष में एक बार खाद्य विषय पर वाद विवाद के लिये मैं अनुमति देता रहा हूं ।

†**श्री खुशवक्त राय** : गन्ने की कीमतें अभी १९६०-६१ के लिये निर्धारित की गयी हैं । उस पर चर्चा के लिये अनुमति दी जानी चाहिये । यह जरूरी नहीं कि छमाही चर्चायें हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है ।

†**श्री खुशवक्त राय** : मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद चर्चा होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र—श्री अ० म० थामस ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

†*१३७८. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने जहाज खरीदने के लिये एक विदेशी मुद्रा का "पूल" बनाये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका सुझाव स्वीकार कर लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

पूर्णा परियोजना के लिये तार सम्बन्धी सुविधायें

†*१३७९. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में पूर्ण परियोजना के लिये १९५९-६० में जो तार संबंधी सुविधा की व्यवस्था की जानी थी, वह अभी तक नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). तार संबंधी सुविधाओं के लिए पूर्णा परियोजना प्राधिकार से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी उस प्रशासन के लिए टेलीफोन की कुछ लाइनें देने की एक योजना १९६०-६१ के कार्यक्रम में शामिल की गयी है ।

काली नदी जल-विद्युत् परियोजना

†*१३८९. **श्री आचार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सरकार ने मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में काली नदी जल-विद्युत् परियोजना के शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या इस प्रश्न के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) परियोजना से कितनी विद्युत् पैदा की जा सकेगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस परियोजना से बहुत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होत ।

आसाम में रज्जुपथ[1]

†*१३९०. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम सरकार से चेरापूंजी (खासी पहाड़ियों) से पाण्डू तक एक रज्जुपथ बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Rope way.

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितना धन खर्च होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) शेला से पांडू तक एक हवाई रज्जुपथ बनाने के लिए आसाम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । यह रज्जुपथ दो दौरों में बनाया जायगा, पहले दौर में शेला से शिलांग तक और दूसरे दौर में शिलांग से पांडू तक ।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण ने शेला से शिलांग तक की रेखा का भू-सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम आसाम सरकार ने कलकत्ते की एक फर्म को सौंप दिया है ।

(ग) सम्पूर्ण परियोजना के लिए लगभग ३२० लाख रुपये ।

बारासेट-बसीरहाट रेलवे लाइन

†*१३९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारासेट-बसीरहाट बड़ी रेलवे लाइन के लिये जिन लोगों की जमीनें ले ली गई हैं उन्हें उस दर पर प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है कि जिससे वे उसी क्षेत्र में उतनी ही दूसरी ज़मीन खरीद सकें ;

(ख) कितने किसानों की ज़मीन ले ली गई हैं और उनमें से कितनों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) भुगतान करने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). रेलवे को इन ब्यौरों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि असैनिक अधिकारी ही प्रतिकर की दर निर्धारित करते हैं और वास्तव में भुगतान करते हैं । जब कभी असैनिक अधिकारियों द्वारा कहा जाता है तब रेलवे बिना विलम्ब के प्रतिकर की रकम जमा कर देती है ।

रतलाम-गोधरा लाइन

†*१३९३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की रतलाम-गोधरा रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिये कितनी धन-राशि मंजूर की गई है ;

(ख) इस कार्य पर वास्तव में कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) इस लाइन पर नियमित रूप से यातायात कब तक शुरू होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लागत का संशोधित अनुमान ९०७·४५ लाख रुपये है ।

(ख) मार्च १९६० के अन्त तक लगभग ८६६ लाख रुपये ।

(ग) इस लाइन का कुछ हिस्सा यातायात के लिए खुल चुका है । आशा है कि पूरी लाइन १९६० के अन्त तक खुल जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का पर्यटक मानचित्र

†१२३०. **श्री हेम बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वागडोगरा, जहां इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान जाते हैं, भारत के पर्यटक मानचित्र में पाकिस्तान के एक स्थान के रूप में दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मानचित्र में यह अशुद्धि ठीक करने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां । १६५६ में प्रकाशित मानचित्र में यह अशुद्धि असावधानी से रह गयी ।

(ख) यह विशिष्ट मानचित्र बाद में चलन से वापस ले लिया गया और शेष प्रतियों में आवश्यक सुधार करने के बाद ही उन्हें चलन में जारी किया गया ।

सहकारी खेती समितियां

†१६१३. **श्री भगवती :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में दिसम्बर, १६५६ तक कितनी सहकारी खेती समितियां बनायी गयी थीं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** दिसम्बर, १६५६ को समाप्त अवधि के लिए जानकारी अभी तैयार नहीं है । फिर भी ३०-६-५६ को समाप्त सहकारी वर्ष के लिए जानकारी सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]

रेलवे में निरीक्षक

†१६१४. **श्री सिदय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १६६० तक प्रत्येक रेलवे में कितने कर्मचारी निरीक्षक, न्यायनिर्णयाक निरीक्षण काम के घंटों के निरीक्षक और कल्याण निरीक्षक थे ;

(ख) प्रत्येक रेलवे में कितने स्थायी और कितने अस्थायी पद हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ग) क्या अस्थायी कर्मचारियों में से किसी को १ अप्रैल, १६६० को प्रत्यावर्तित कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में उनकी संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५

†१६१५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नलडंगा से निरगुन्डी लेवल क्रासिंग तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ बनाने के लिए आवश्यक जमीन प्राप्त करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) अगस्त, १६५६ में भारत सरकार ने निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दे दी थी किन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण राज्य सरकार ने संशोधित प्रस्थापन भेजी है जिसके बारे में भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में गांवों की सड़कें

†१६१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी ढंग पर गांवों की सड़कें बनाने के लिए उड़ीसा सरकार को १६५३–५४ में कितनी रकम दी गयी थी ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उस अनुदान का उपयोग १६५७–५८ में किया ; और

(ग) किन किन गांवों की सड़कें बनाने के लिए यह अनुदान काम में लाया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) राज्यों में गांवों की सड़कें बनाने का एक तिहाई खर्च पूरा करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रिज़र्व से पहली योजना अवधि में ६० लाख रुपये की रकम अलग रखी गयी थी । इसमें से ३ लाख रुपया उड़ीसा में गांवों की सड़कें बनाने के लिए रखा गया था । ४६० निर्माण कार्य मंजूर किये गये थे जिन पर २·८४ लाख रुपया खर्च होना था ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]

उत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों में डकैतियां

†१६१७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १६५६ से अब तक दिल्ली और मुगलसराय के बीच उत्तर रेलवे में चलती माल गाड़ियों और सवारी गाड़ियों में कुल कितनी डकैतियां हुईं ;

(ख) इन डकैतियों में कितनी कीमत का माल और नकद लूटा गया ; और

(ग) इन डकैतियों में कितने यात्री और रेलवे कर्मचारी आहत हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख). १ दिसम्बर, १९५९ से १५ मार्च, १९६० तक की अवधि में उत्तर रेलवे के दिल्ली मुगलसराय सेक्शन में चलती सवारी गाड़ी में डकैती की केवल एक ही घटना हुई। इस मामले में २,००० रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी।

(ग) इस घटना में कोई भी यात्री या रेलवे कर्मचारी आहत नहीं हुआ।

भाखड़ा में विद्युत् एकक

†१९१८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा राइट पावर प्लान्ट में १२०,००० किलोवाट के अलग अलग चार बिजली पैदा करने वाले एककों के संबंध में क्या सरकार को इस बीच पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से परियोजना संबंधी संशोधित अनुमान प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसकी जांच कर ली गई है और उसे मंजूर कर लिया गया है?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राजपुरा में ऊपरी पुल

†१९१९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजपुरा में ग्रांड ट्रन्क रोड पर वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरी पुल बनाने का प्रश्न किस दशा में है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : पंजाब सरकार ने उस योजना को तीसरी पंच-वर्षीय योजना में विचार करने के लिये स्थगित कर दिया है।

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के लिए नयी प्रतिकर योजना

†१९२०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को अदायगी की नयी प्रतिकर योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने की दिशा में अब तक और आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). प्रारम्भिक जांच पूरी हो चुकी है और आशा है कि सरकार इस विषय में शीघ्र ही निर्णय कर लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिब्रूगढ़ के पास विमान दुर्घटना

†१९२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डेमर कम्पनी के नाम में पंजीकृत डकोटा विमान वी टी–सी एक्स आर की २५ नवम्बर, १९५९ को डिब्रूगढ़ के पास दुर्घटना के कारण मालूम कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) और (ख) . दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसका परीक्षण हो रहा है ।

बंजर भूमि[1]

†१९२२. **श्री द० अ० कट्टी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से राज्यों में पड़ी बंजर भूमि के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने यह सूचना भेज दी है;

(ग) क्या मैसूर राज्य से यह सूचना प्राप्त हो गई है; और

(घ) किस रूप में सरकार इस योजना का उपयोग करने का विचार करती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां ।

(ख) अभी तक केवल पंजाब, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, जम्मू और काश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर से पूरी सूचना प्राप्त हुई है। आंशिक सूचना राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसाम को छोड़ कर जिनसे अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, अन्य सब राज्यों से प्राप्त हुई है ।

(ग) मैसूर राज्य से केवल आंशिक सूचना प्राप्त हुई है ।

(घ) राज्यों से सम्पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, समिति, भूमि कृष्यकरण और बन्दोबस्त के लिये उपलब्ध कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण करने और तब अपनी सिफारिशें देने का विचार करती है

हिमाचल प्रदेश में भेड़-पालन केन्द्र

१९२३. **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५९ में कितने भेड़-पालन केन्द्र खोले गये और उन्होंने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) इन केन्द्रों में भारतीय और विदेशी नस्ल की कितनी-कितनी भेड़ें हैं; और

(ग) चालू वर्ष में लोगों को कितनी भेड़ें दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Waste land

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) १९५९ में एक भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में खोला गया जिसके लिये जनवरी-फरवरी १९५९ में प्रारम्भिक रूप से २०० भेड़ें खरीदी गईं। इसके अतिरिक्त चार भेड़ और ऊन प्रसारण केन्द्र भी शुरू किये गये, जिनमें महासू जिले के चीनी और सांगला और चम्बा जिले के चूरी और मेहला में एक एक केन्द्र शुरू किया गया।

चम्बा में भेड़ प्रजनन फार्म के बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष १९५९-६० में बिल्डिंग, भेड़ों के बाड़े और स्टाफ क्वार्टर बनाने पर ७०,००० रुपये की रकम खर्च होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त सांगला में भेड़-बाड़ा और स्टाफ क्वार्टर बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस समय भेड़ और ऊन प्रसारण केन्द्रों में मेंढे किराये की बिल्डिंगों में रखे गये हैं।

(ख) भेड़ प्रजनन फार्म, चम्बा १८१ देशी भेड़ें।

चम्बा जिला में चूरी और मेहला के भेड़ और ऊन प्रसारण केन्द्र हाफ ब्रेड पोलवार्थ (आस्ट्रेलियन नस्ल की क्रास ब्रीड) ३० देशी भेड़ें

आस्ट्रेलियन नस्ल के २ पोलवार्थ मढे और १ रेम्बोलिट मेंढा भी भेड़ प्रजनन फार्म चम्बा में क्रास ब्रीडिंग के हेतु पन्द्रहरह दिन के अन्दर भेजे जा रहे हैं।

भेड़ और ऊन प्रसारण केन्द्र, सांगला

३० हाफ ब्रेड आस्ट्रेलियन पोलवार्थ मेंढे, २४ देसी मेंढे—जिनमें से १८ हाफ ब्रेड और १२ देसी हैं,—भेड़ और ऊन प्रसारण केन्द्र चीनी के लिये हैं, जहां ये सांगला से शीघ्र ही भेजे जायेंगे।

इन क्षेत्रों में ये सब मेंढे पालकों को प्रजनन मौसम के लिये बिना मूल्य के दिये गये हैं और प्रजनन मौसम की समाप्ति पर वापिस लौटा लिये जायेंगे।

(ग) यह सब उपरोक्त मेंढे भेड़ पालकों को प्रजनन के लिये दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त १० मेंढे और पोलवार्थ नस्ल की १ फीमेल हौगट भेड़ पालकों को प्रशासन द्वारा नोटीफाइड मूल्य पर दिये गये।

बम्बई में पशु पालन और दुग्ध संभरण योजनाएं

†१९२४. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक बम्बई राज्य को वहां पशु पालन और दुग्ध संभरण कार्यक्रमों को चलाने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १९५९-६० के अन्त तक ४२०·१३ लाख रुपये।

(ख) १९५८-५९ तक २१९·७४ लाख रुपये। १९५९-६० में ५२·६८ लाख रुपये व्यय की सम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई के लिये मछली पकड़ने का सामान

†१९२५. **श्री पांगरकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिये प्रविधिक सहकारिता मिशन और अन्य सहायता कार्यक्रमों से, बम्बई राज्य को शीत संग्रहण उपकरण, बर्फ की फैक्टरी आदि के विभिन्न प्रकार के उपकरण दिये गये हैं; और

(ख) बम्बई राज्य के किन केन्द्रों में इन सहायताओं का उपयोग किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये प्रविधिक सहकारिता मिशन सहायता कार्यक्रम से बम्बई राज्य को दिये गये विभिन्न प्रकार के उपकरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]** विवरण में वे केन्द्र भी दिये हैं जहां इस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है । बम्बई राज्य को अन्य किसी विदेशी सहायता कार्यक्रम से ऐसा कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

त्रिपुरा में डाक्टर आदि

†१९२६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों आदि की कमी को दूर करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने डाक्टरों आदि की आवश्यकता होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ४० और डाक्टर ।

वन विभाग, अन्दमान

†१९२७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग, अन्दमान, ने उत्तर अन्दमान वनों के लाइसेंसदार, मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी को, आस्टिन स्ट्रेट, उत्तर अन्दमान के उत्तर और दक्षिण में पड़ने वाले वनों से कई लाख बांस काटने की उनसे स्वामित्व (रायल्टी) वसूल किये बिना, इजाजत दे दी;

(ख) यदि हां, तो स्वामित्व (रायल्टी) वसूल न करने का क्या कारण है ;

(ग) सरकार को उससे कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है या करने का विचार किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ) उत्तर अन्दमान वनों की इमारती लकड़ी काटने का पट्टा मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को, भारत सरकार और उनके बीच किये गये लाइसेंस करार के अन्तर्गत दिया गया है । लाइसेंस लेने वाला जब वृक्षों को काट लेता है, तो क्षेत्र विभाग के पास आ जाता है जिस पर वह फिर से इमारती लकड़ी लगाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्नवीकरण से अच्छा फल प्राप्त करने के लिये, इन क्षेत्रों में बांस के सब छोटे मोटे वृक्ष काटे जाते हैं और जला दिये जाते हैं। ये कार्य अन्दमान वन विभाग द्वारा किये जाते हैं। पट्टे वालों द्वारा बांस के वृक्ष पहले से कम किये जाने से पुनर्नवीकरण कार्य में विभाग का खर्च कम हो जाता है। इस कारण लाइसेंस वाले को स्वामित्व (रायल्टी) दिये बिना लकड़ी बहाने के काम में अपयोग के लिये, बांस काटने की अनुमति दे दी जाती है। इस बांस के लिये कोई बाजार नहीं है और अन्त में उन्हें हटाना और जलाना ही पड़ता है। अतः पट्टे वालों को स्वामित्व (रायल्टी) दिये बिना बांस काटने और उसका उपयोग करने देने से वन विभाग को यह लाभ होता है कि बांस काटने और जलाने में खर्च कम हो जाता है। पट्टा वाले जिस बांस को काटते हैं उसका, जब तक उपयोग के लिये अयोग्य नहीं हो जाता, बार बार उपयोग किया जाता रहता है।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर विभागीय डाक्टर

†१९२८. { **श्री बि० दास गुप्ता :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर कितने रेलवे डाक्टरों (असिस्टेंट सर्जनों) को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रूप में क्वार्टर दिये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : दक्षिण पूर्व रेलवे पर कितने करने वाले १५४ असिस्टेंट सर्जनों में से २९ को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रूप में रेलवे क्वार्टर दिये गये हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट सर्जनों के लिये क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

खाद्यान्न की राशन व्यवस्था

†१९२९. { **श्री बि० दास० गुप्ता :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में खाद्यान्न की पूर्ण या आंशिक राशन व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). इस समय किसी राज्य में खाद्यान्न की संविहित राशन-व्यवस्था नहीं है। तथापि सरकार बहुत सी उचित भाव वाली दुकानों के द्वारा जरूरतमन्द उपभोक्ताओं को निर्धारित भाव पर उचित परिमाण में खाद्यान्न दे रही है। कुछ स्थानों पर उचित भाव वाली दूकानों से माल खरीदने के लिये उपभोक्ताओं को पहचान-कार्ड दिये गये हैं।

सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर

†१९३०. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दशरथ देव :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर में अनुसूचित जातियों के लिये अतिरिक्त पद भरे नहीं जा रहे हैं, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

†१६३१. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दशरथ देब :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर के कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय रेलवे कर्मचारी वर्ग संहिता के नियम १४८ के प्रयोग के मामले हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या आज तक कितनी है; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, हां । अभी तक ४६ मामले हुए हैं । सब मामलों में, असंतोषजनक प्रोबेशन, निर्धारित सीमा से अधिक समय तक अस्थायी कर्मचारियों का लगातार अनुपस्थित रहना आदि कारणों से सेवा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गई है। इस फैक्टरी में किसी कर्मचारी को नौकरी समाप्त करने के लिये संक्षिप्त प्रक्रियों के प्रयोग का कोई मामला नहीं हुआ ।

(ग) एक ।

अगादीर (मोरक्को) में भूकम्प

†१६३२. श्री अ० कि० देब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूभौतिकी बोर्ड की भूकम्पीय शाखा ने मोरक्को में अगादीर में हाल में आये बड़े भारी भूकम्प का पता लगा लिया था; और

(ख) यदि हां, तो भूकम्प का क्या कारण था ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) २९ फरवरी, १९६० को अगादीर में जो भूकम्प आया था, उस की हल्की सी सूचना भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग की कुछ भूकम्पीय वैधशालाओं में मिली थी ।

(ख) इस भूकम्प के कारणों की जांच करना भारतीय भूकम्प वैज्ञानिकों और भू-वैज्ञानिकों के लिय संभव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य बनाई गई भूमि

१९३३. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कृषि योग्य बनाई गई भमि के आवंटन के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में कितने भूमिहीन और अन्य लोगों को कृषि योग्य बनाई गई भूमि दी गई; और

(ग) यह भूमि किन शर्तों पर दी जाती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

बरहामपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल

†१९३४. **श्री मोहन नायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर उड़ीसा में बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल बनाने के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) कब निर्माण आरम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई राशि मंजूर नहीं की गई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में डाक तार कर्मचारी

†१९३५. **श्री मोहन नायक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में डाक तथा तार विभागों में चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १ जनवरी, १९६० को ८४१।

(ख) १ जनवरी, १९६० को २४४।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†१९३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इर्विन अस्पताल दिल्ली में स्वच्छता संबंधी हालत को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अस्पताल में स्वच्छता संबंधी हालत अच्छी है। जब कभी आवश्यकता होगी स्वच्छता संबंधी हालत को सुधारने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

काश्मीर मेल

†१९३७. **श्री राम गरीब** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर मेल की 'डुप्लीकेट सर्विस' बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से, और क्यों ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली पठानकोट गाड़ियों पर हमेशा बड़ी भीड़ रहती है और यात्री प्रति दिन जगहों के लिये लड़ते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में झगड़े के कितने मामलों की खबर मिली है; और

(ङ) क्या सरकार इस हालत को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामास्वामी)** : (क) और (ख). ग्रीष्म काल में जब काश्मीर को और वहां से पर्यटक यातायात की भारी भीड़ होती है, प्रति वर्ष अप्रैल के मध्य से नई दिल्ली से मुकेरियां के रास्ते पठानकोट तक एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाती है और वह जब तक काश्मीर को और वहां से यातायात कम नहीं हो जाता, यह गाड़ी इन दो स्थानों के बीच चलती रहती है ।

पिछले साल, ये मौसमी गाड़ियां संख्या ५९अप/६० डाउन श्रीनगर एक्सप्रैस १५-४-५९ को चालू की गई थीं और १-१-६० को जब भीड़ कम हो गई, हटा दी गई।

(ग) से (ङ). दिल्ली-पठानकोट सैक्शन पर दोनों ओर बरास्ता अमृतसर दो गाड़ियां चलती हैं, अर्थात् ४५ अप/४६ डाउन दिल्ली-पठान कोट जनता ऐक्सप्रेस और ५७/५८ डाउन बम्बई वी० टी०-पठानकोट एक्सप्रैस, और बरास्ता मुकेरियां एक गाड़ी प्रत्येक दोनों ओर, अर्थात् ३३ अप, ३४ डाउन काश्मीर मेल, जो मौसमी गाड़ियों संख्या ५९/अप/६० डाउन श्रीनगर एक्सप्रैस के अतिरिक्त है, चलती हैं। इन गाड़ियों में से, संख्या ३३अप/३४ डाउन काश्मीर मेल पर ही थोड़ी भीड़ रहती है। जगह के लिये झगड़े या इस प्रकार के झगड़े की कोई सूचना पिछले तीन महीनों में रेलवे प्रशासन को नहीं मिली ।

तथापि अमृतसर और अम्बाला छावनी के बीच एक अधिक गाड़ी चलाने का विचार है। यह गाड़ी तब चलायी जायेगी जब इस के लिये इंजिन डिब्बे बगैरह उपलब्ध हो जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश अस्पताल, शिमला

१९३८. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश अस्पताल, स्नोडन, शिमला में प्रान्तीय प्रयोगशालायें चालू की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या प्रगति की है; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश अस्पताल, स्नोडन, शिमला में एक प्रान्तीय प्रयोगशाला १९५६–५७ में चालू की गई थी और वह सन्तोषपूर्ण काम कर रही है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन एक्सचेंज, आलोट (मध्य प्रदेश)

१९३९. **श्री राधे लाल व्यास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलोट (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) उपभोक्ताओं के मकान पर टेलीफोन लगाने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) तथा (ख). आलोट में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानीय टेलीफोन संयोजन की प्रार्थनाओं पर मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोन घर से उप-संयोजन देने का विचार किया गया है। आठ-उप-संयोजनों के लिये मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। जैसे ही अपेक्षित सामान प्राप्त होगा, उन्हें लगाने का कार्य पूरा हो जायेगा ।

मैसूर राज्य में तार और टेलीफोन व्यवस्था

†१९४०. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री सिद्ध जप्पा :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के सब तालुक सदर मुकामों में तार तथा टेलीफोन व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो किन तालुक सदर-मुकामों में ये सुविधायें नहीं हैं ;

(ग) क्या इन स्थानों पर तार घर और टेलीफोन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) कुल तालुका सदर मुकाम ११८ हैं, जिन में से १११ में तार की सुविधा है और ८६ में टेलीफोन व्यवस्था।

(ख) तथा (ग).

अभी जहां तार व्यवस्था नहीं है	**जहां अभी टेलीफोन व्यवस्था नहीं है**
*१. कुश्तागी	*१. हुमनाबाद
*२. सिंधनूर	*२. भानवी
*३. चिनचोली	*३. कुश्तागी
४. अफजलपुर	*४. सिन्धनूर
५. जेवारगी	*५. चिनचोली
६. सन्तपुर-और दबार हाली	*६. बागेबाडी
७. देव दुग	*७. तीर्थहाली
	*८. कोप्पा (कादूर)
	*९. होसदुर्ग
	*१०. अर्कलगुड
	*११. चेन्नार्यपाटन
	*१२. होलेनारसीपुर
	*१३. कृष्ण राजा पेत

---

*प्रस्थापनायें मंजूर हो चुकी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

जहां अभी टेलीफोन व्यवस्था नहीं है

*१४. नाग मंगला
*१५. कुनिगल
*१६. पेलंदूर
*१७. नरसिंहराजपुर
१८. अफजलपुर
१९. जेवारगी
२०. सन्तरामपुर और दबारहाली
२१. देव दुर्ग
२२. लिंगसूगुर
२३. शोरपुर
२४. शाहपुर
२५. सेरम
२६. पेलबारग
२७. गंगावती
२८. मूंडगोड
२९. होललकीर
३०. चेन्नागिरी
३१. श्रिंगीर
३२. चिन्तपुर

(घ) जब माल उपलब्ध हो जायेगा, तो मंजूर शुदा प्रस्थापनाओं पर अमल कर दिया जायेगा।

पूर्व रेलवे पर गाड़ियों का लेट चलना

†१९४१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८१ अप और ८२ डाउन (डी लक्स) गाड़ियां पूर्व रेलवे के बर्दवान स्टेशन पर अक्तूबर १९५९ से मार्च, १९६० तक, मासवार, लाइन किलयर का सिगनल न मिलने के कारण आउटर सिगनल या उस के आस पास कितने दिन ठहरीं;

(ख) प्रत्येक अवसर पर कितने मिनट के लिये ;

(ग) इन महीनों में ये गाड़ियां कितने दिन नई दिल्ली और हावड़ा समय पर पहुंची ; और

(घ) उपरोक्त काल में गाड़ियां अधिक से अधिक कितनी लेट थीं ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संग्लन है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]** :

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली वातानुकूलित ऐक्सप्रेस गाड़ियां संख्या ८१ अप/८२ डाउन आसनसोल और हावड़ा के बीच की १३२ मील की दूरी बीच में कहीं रुके बिना तय करती हैं। इस के लिये एक डब्ल्यू० पी० इंजन, जिस के टैंक में अधिक पानी रखे जाने की व्यवस्था होती है, मुगलसराय और हावड़ा के बीच इन गाड़ियों पर चलाने के लिये उपयोग में

*प्रस्थापनायें मंजूर हो चुकी हैं।
†मूल अंग्रेजी में

लाया जाता है। २१ जनवरी १९६० से ३०मार्च १९६० तक के काल में ऐसे टेंडर वाला डब्ल्यू० पी० इंजन, जो इन गाड़ियों को चलाने के लिये उपयोग में लाया जाता है, और वह इंजन जो 'स्टैण्ड बाई' के रूप में रखा गया था, वर्कशाप में होने के कारण चलाये नहीं जा सके थे। इन हालात में, इस अवधि में, एक डब्ल्यू० पी० इंजन जिस में अतिरिक्त पानी रखे जाने की विशेष व्यवस्था नहीं है, मुगलसराय और हावड़ा के बीच वातानुकूलित ऐक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने के लिये उपयोग किया गया था, जिस कारण लोको की आवश्यकताओं के लिये बर्दवान में गाड़ी रुकी रही। संख्या ८१ अप हावड़ा–नई दिल्ली वातानुकूलित ऐक्सप्रेस गाड़ी को 'लाइन क्लियर' के कारण कना नहीं पड़ा, बल्कि रुकने के कारण और थे। ८२ डाउन नई दिल्ली–हावड़ा वातानुकूलित ऐक्सप्रेस गाड़ी के बारे में यह बात है कि यह 'लाइन क्लियर' के लिये ३ अवसरों पर बर्दवान में रोकी गई थी, नवम्बर, दिसम्बर और फरवरी प्रत्येक मास में एक बार।

(घ) इस काल में ८१ अप हावड़ा–दिल्ली—सप्ताह में दो बार, वातानुकूलित ऐक्सप्रेस गाड़ी २१-१०-१९५९ को अधिक से अधिक १७८ मिनट लेट थी, जिस का कारण था कि एक दुर्घटना के कारण गाड़ी को बरास्ता कानपुर–लखनऊ सैक्शन से ले जाना पड़ा। ८२ डाउन दिल्ली–हावड़ा गाड़ी, २३-११-५९ को २१ डाउन रेक लिंक के नई दिल्ली लेट पहुंचने के कारण, जो एक दुर्घटना के कारण दक्षिण और मध्य रेलवे पर रोक ली गई थी, नई दिल्ली से लेट चलने के कारण अधिक से अधिक ६ घंटे ४८ मिनट लेट पहुंची थी।

रेलवे कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त करना

†१९४२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी १९४८ और १ फरवरी १९६० के बीच रेलव कर्मचारी वर्ग संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नौकरी से निकाला गया है या नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) उक्त काल में अपील पर कितने मामलों पर विचार किया गया है ; और

(ग) विचार करने के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को बहाल किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में विशेष कर्तव्य अधिकारी की सिफारिशें

†१९४३. **श्री एन्थनी पिल्ले :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कार्य अधिकारी (श्री पी० सी० चौधरी) की सिफारिशों सम्बन्धी सरकार के संकल्प को बड़ी पत्तनों के अधिकारियों ने कार्यान्वित किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उक्त संकल्प की कौन सी बातें क्रियान्वित नहीं की गईं ; और

(ग) किन बातों के बारे में निर्वचन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुए हैं ; और

(घ) ऐसे विवादों को हल करने के लिय सरकार क्या कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). निम्नबातों को छोड़ कर संकल्प क्रियान्वित किया जा चुका है :

निर्णय	वर्तमान स्थिति
१. वेतनक्रमों का सुव्यवस्थाकरण—संकल्प पैरा ५ द्वारा बड़े पत्तनों की तीसरी और चौथी श्रेणियों के पदों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण।	परिवहन विभाग के संकल्प संख्या २३–जी० एल० ए० (९१)/५८ तिथि २३ अगस्त १९५८ में एक समिति स्थापित की गई है और यह कार्य कर रही है ।
२. टैली क्लर्कों, शैड स्टाफ, स्टाकरों, चलती फिरती क्रेन के ड्राइवरों और माल गाड़ी लादने और उतारने वाले (जहां कहीं संकल्प के पैरा ९ द्वारा पत्तनों के उन का उपबन्ध है) जैसी श्रेणियों को काम के आधार पर भुगतान करने की प्रणाली बनाने की संभाव्यता का विचार।	यह मुख्यतः बम्बई और मद्रास पत्तनों पर लागू होता है जहां कुछ श्रेणियों के लिये काम के आधार पर पारिश्रमिक की योजना पहले से चालू है । कुशलता विशेषज्ञों की फर्म की सिफारिशें, जिस ने बम्बई पत्तन के चलती फिरती क्रेन ड्राइवरों सम्बन्धी समस्या की जांच की कर्मचारियों के प्रतिनिधि ों को स्वीकार्य नहीं है, जिन्हों ने समस्या की जांच करने के लिये एक समिति की स्थापना की मांग की है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।
३. संकल्प के पैरा ११ (ख) (२) के अनुसार सप्ताह के सब दिनों में पारियों के लिये कर्मचारियों की (क) और (ख) श्रेणियों की बारी बारी से बदली प्रणाली का चालू किया जाना।	ज्यों ही सरकार न्यूनतम मजू ी (केन्द्रीय) नियमों के नियम २३ में उचित संशोधन करेगी, बम्बई पत्तन न्यास इसे कार्यान्वित करेगा । मद्रास और कलकत्ता पत्तनों के श्रमिक संघ इसे बारी बारी से बदलने की प्रणाली जारी करने के पक्ष में नहीं हैं । अतः वहां यह प्रणाली जारी नहीं की जा सकी ।

(ग) तथा (घ). कुछ श्रमिक संघों ने निम्न बातों के निवर्चन पर आपत्ति की है :

निर्णय	वर्तमान स्थिति
१. संकल्प के पैरा २९ के अनुसार साप्ताहिक छुट्टी के दिनों और प्रतिस्थापित विश्राम दिन को किये गये काम के लिये मंजूरी भुगतान के लिये बम्बई प्रणाली का अपनाया जाना।	श्रमिक संघ चाहते हैं कि इन मदों के अन्दर आने वाले लाभ तीसरी और चौथी श्रेणियों के सब कर्मचारियों पर लागू होने चाहियें, यद्यपि सरकार के संकल्प में किये गये निर्णय का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है । सरकार

†मूल अंग्रेजी में

निर्णय	वर्तमान स्थिति
२. संकल्प के पैरा ४५ के अनुसार छुट्टी के रोज किये गये काम का, निर्देश संख्या १९५४ के (आई० टी०—सी० जी०) ४, में निर्णय के विरुद्ध अपील में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट में दिये गये सिद्धांत के अनुसार, भुगतान ।	स्थिति पर विचार कर रही है और शीघ्र ही अपना निर्णय देगी ।

रेलवे में जूते पालिश करने वाले लड़कों को लाइसेंस देना

†१९४४. **श्री एन्थनी पिल्ले** : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम और मध्य रेलवे ने बम्बई नगर में स्थित स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर जूते पालिश करने वाले लड़कों को काम करने के लिये व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है ;

(ख) क्या इस नीति के विरुद्ध उक्त दोनों रेलवे के ठेकेदारों और सहकारी समितियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि वास्तव में जूतों पर पालिश करने वाले लड़कों को ही श्रम सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जो नीति निर्धारित की गई है वह यह है कि जूते पालिश करने वाले लड़कों को जो विशिष्ट स्टेशनों पर वास्तव में यह काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप में या उन की सहकारी समितियों को या चमड़ा साफ करने, चमड़े की चीजें बनाने आदि के उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को जूते पालिश करने के ठेके दिये जायें ।

(ख) नहीं ।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैर-सरकारी कृषि संस्थाओं को सहायता

†१९४५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में किसी गैर-सरकारी कृषि संस्था को सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मालेगांव में बम्बई-आगरा सड़क पर पुल

†१९४६. **श्री जाधव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-आगरा सड़क पर जिला नासिक में मालेगांव में मोसम नदी पर पुल भारी गाड़ियों के लिये तंग है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अत्यधिक यातायात के घंटों में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को बाध्य हो कर पुराने पुल से गुजरना पड़ता है ;

(ग) क्या पुराना पुल जीर्ण और टूटा हुआ है और उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). मालेगांव में मोसम नदी पर पुल नगरपालिका की सीमा के अन्दर है और राज्य का लोक निर्माण विभाग राज्य की निधि से उस की देखभाल करता है । ऐसे नगरों की सीमाओं के अन्तर्गत सड़कों के हिस्से राष्ट्रीय राजपथों का अंग नहीं होते ।

वह पुल आधुनिक भारी गाड़ियों के लिये संभवतः तंग है । अन्य दूसरी जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार के लिए विमान

१९४७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष १९६० में अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति कब देने जा रही है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री और अफसर बिहार राज्य के हवाई जहाज को काम में लाते हैं ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). बिहार सरकार को उनके तीन एक इंजिन वाले नेवियन हवाई जहाजों की जगह पर तीन एक इंजिन वाले वोनांज़ा हवाई जहाज ले सकने को विदेशी विनिमय मुद्रा देने के लिए जुलाई १९५९ में एक दरखास्त मिली थी । बिहार सरकार ने कहा था कि नेवियन हवाई जहाज बहुत पुराने हो चुके हैं और उन्हें चलाना खतरनाक है । नागर विमान विभाग के अफसरों ने हवाई जहाजों का मुआइना किया और चूंकि उनमें से दो हवा में उड़ने लायक समझे गये और चूंकि विदेशी विनिमय मुद्रा की हालत सख्त चल रही है इसलिए बिहार सरकार से दरखास्त की गई कि इस वक्त वह अपने हवाई जहाजों के बदलने के इरादे पर ज़ोर न दे ।

(घ) बिहार सरकार के हवाई जहाज कभी कभी कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के ऊंचे अफसरों द्वारा इस्तेमाल में लाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी रेलवे पुलिस

†१९४८. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६० में रेलवे ने जिस सरकारी रेलवे पुलिस को राज्य सरकारों से लेकर प्रतिनियुक्त किया था उस पर रेलवे मंत्रालय ने कुल कितना खर्च किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर नहीं है । फिर भी ९४ लाख रुपये की रकम राज्य सरकारों को सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की गयी "आर्डर" पुलिस ड्यूटी के लिए दी जाती है । 'क्राइम' पुलिस का खर्च राज्य सरकारें खुद ही करती हैं ।

हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१९४९. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरेक हवाई अड्डे पर कर्मचारियों के कुल कितने क्वार्टर हैं;

(ख) असैनिक उड्डयन महानिदेशक, अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग और केन्द्रीय लोक-निर्माण कार्य विभाग के बीच उनका किस प्रकार बंटवारा किया गया है; और

(ग) ये क्वार्टर दिये जाने के लिए क्या नियम हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ग) "भारत के विभिन्न असैनिक हवाई अड्डों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टर दिये जाने के नियम" संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

मेघनगर और बामनिया स्टेशनों पर ऊपरी पुल

१९५०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के मेघनगर और बामनिया स्टेशनों पर हाल में बनाये गये ऊपरी पुलों में से प्रत्येक पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी; और

(ख) क्या इन ऊपरी पुलों का निर्माण ठेकेदारों द्वारा कराया गया था अथवा रेलवे विभाग ने उन्हें स्वयं बनाया था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) मेघनगर और बामनिया स्टेशनों पर ऊपरी पैदल-पुल बनाने में क्रमश: लगभग ५५,००० और २९,८०० रुपये खर्च हुए ।

(ख) यह काम रेलवे द्वारा किया गया है ।

पश्चिम रेलवे पर टिकटों की बिक्री

१९५१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के मेघनगर, उदयगढ़, बामनिया और रावटी स्टेशनों पर १९५७ से अब तक पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के कितते टिकट बेचे गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा उपरोक्त स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ?

रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जो सूचना मांगी गयी है, उसका बयान साथ नत्थी है ।

रतलाम-दोहद सेक्शन पर शिकायतें

१६५२. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेल के रतलाम-दोहद सेक्शन के बामनिया, रावटी, भैरोंगढ़, उदयगढ़ और मेघनगर स्टेशनों पर १६५७ से अब तक कितनी-कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं;

(ख) उपरोक्त शिकायतों के क्या कारण थे; और

(ग) अब तक कितनी शिकायतें निबटाई जा चुकी हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) इन स्टेशनों पर १-१-५७ से २६-२-६० तक दर्ज की गयो शिकायतों को संख्या इस प्रकार है :—

(१)	बामनिया	१४
(२)	रावटी	२
(३)	भैरोंगढ़	१
(४)	उदयगढ़	२
(५)	मेघनगर	४
		२३

(ख) जिन लोगों ने शिकायतें कीं उनकी दृष्टि में या तो इन स्टशनों पर सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं या कुछ कर्मचारियों का व्यवहार असंतोषजनक था ।

(ग) सब ।

पश्चिम रेलवे पर पीने के पानी की सुविधायें

१६५३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मोरवानी, बिलड़ी, रावटी, भैरोंगढ़, बामनिया, अमरगढ़, पंचपिम्पल्या, बजरंगगढ़, उदयगढ़, मेघनगर, नाहरगढ़, अनास और बोरड़ी स्टेशनों पर गर्मियों में यात्रियों को पीने का पानी पिलाने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन पर इस कार्य के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बार गर्मियों में यात्रियों को पानी पिलाने के लिए इन स्टेशनों में से हर एक पर जितने आदमी रखे गये हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

स्टेशन	पानी वालों की संख्या
मोरवानी	१
भीलड़ी	१
रावटी	३
भैरोंगढ़	५
बामनिया	४
अमरगढ़	२
पंचपीपलिया	१
बजरंगगढ़	१
उदयगढ़	३
मेघनगर	३
अनास	४
नाहरगढ़	१
बोरडी	२

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २६ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५५ ।

(२) दिनांक ३० मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७५ में प्रकाशित चावल और धान (आसाम) द्वितीय मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी०—२०७७/६०]

प्राक्कलन समिति

बयासीवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)**: मैं परिवहन मंत्रालय मध्यम और छोटे पत्तनों के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक सभा) के इक्यानवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा को गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का बयासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :

"जबलपुर के रांझी क्षत्र में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली से उत्पन्न स्थिति ।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । माननीय सदस्य के शब्दों अर्थात् "जबलपुर के रांझी क्षेत्र में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली से उत्पन्न स्थिति" से ऐसा प्रतीत होता है मानों केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में रहने वाले अपने कुछ कर्मचारियों की बेदखली की है अथवा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए वह जिम्मेदार है । माननीय अध्यक्ष महोदय असलियत यह है :

कि अप्रैल १९५८ में, डिपो कामगार यूनियन, सी० ओ० डी० जबलपुर; ओ० एफ० के० लेबर यूनियन (आर्डीनेंस फैक्टरी) खमरिया, और ५०६ आर्मी वर्कशाप्स ई० एम० ई० वर्कर्स यूनियन जबलपुर के महामंत्रियों ने एक संयुक्त पत्र में प्रतिरक्षा मंत्री को यह अभ्यावेदन किया कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत से कर्मचारियों से रांझी गांव की अपनी उस भूमि को खाली करने के लिए कह रही है जहां इन कर्मचारियों ने अस्थायी तौर पर झौपड़ियां बना ली हैं और वे वहां कुछ वर्षों से उस भूमि पर अपना अधिकार जमाये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वहां की सरकार को इस भूमि की आवश्यकता उस स्थान पर राज्य सरकार विशेष सशस्त्र सेना बल के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने के लिए है । कर्मचारियों एवं नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय दृष्टिकोण से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है । इसी प्रकार के अभ्यावेदन उन्होंने प्रधान मंत्री तत्कालीन श्रम मंत्री, निर्माण कार्य मंत्री, तथा सम्बंधित राज्य सरकार के मुख्य मंत्री और ज़िला पदाधिकारियों को भेजे । आप देखेंगे कि कोई ऐसा औद्योगिक झगड़ा अथवा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय हस्तक्षेप करता ।

केन्द्रीय सरकार से प्रार्थियों ने मध्य प्रदेश सरकार के आदेश को रोकने के लिए जो प्रार्थना की थी वह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर की बात थी और साथ ही यह नियोजक एवं कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्धों के क्षेत्राधिकार से भी बाहर की बात थी जिसकी वृद्धि के लिए सरकार प्रयत्न करती है ।

यूनियनों को यह परामर्श दिया गया कि वे सम्बन्धित कर्मचारियों से कहें कि वे राज्य के पदाधिकारियों से जाकर मिलें और दूसरे स्थानों के लिए आवेदन करें । जहां तक कि खमरिया आर्डीनेंस फैक्टरी के कर्मचारियों की बात है हम ने उस कारखाने के सुपरिनटेंडेंट को आदेश दिया है कि वह इन कर्मचारियों को कारखाने के पास ही बसाने की व्यवस्था के बारे में विचार करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

मैं यह बता देना चाहूंगा कि सितम्बर, १६५८ के बाद से केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में न तो स्थानीय यूनियनों से ही अथवा न ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लोयी फेडरेशन की ओर से, जिसकी ओर से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कोई अभ्यावदन मिले हैं। हां, दो दिन हुए कुछ तार अवश्य मिले हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने वहां विशेष सशस्त्र सेना बल का प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का अभी हाल में निर्णय किया है और उन व्यक्तियों को जो वहां अनधिकृत रूप से रह रहे हैं तथा अन्य पट्टेदारों को वह स्थान खाली करने के नोटिस दे दिये गये हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार जबलपुर स्थित चार प्रतिरक्षा संस्थानों के १,६०० कर्मचारी रांझी गांव में झौपड़ियां बनाकर मध्य प्रदेश सरकार की उस भूमि पर रह रहे हैं। इन कर्मचारियों में से २१५ कर्मचारी भूमि के पट्टेदार भी हैं। पिछले पांच वर्षों से इस स्थान पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को चाहे वे पट्टेदार भले ही हों प्रति वर्ष नोटिस दिये जाते हैं। पट्टेदारों को वहां के स्थानीय पदाधिकारियों ने उस भूमि के बदले में दूसरा स्थान देने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि वह स्थान कहां है। हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति की बेदखली नहीं की गई है।

यह सुपरिचित है कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह सभी असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को रहने के लिए स्थान दे। और न ऐसा करने के लिए सरकार बाध्य ही है। लेकिन इस घटना विशेष के बारे में हमारा यह विचार है कि मध्य प्रदेश सरकार से यह निवेदन करें कि वह इस कठिनाई को यथासम्भव अच्छे ढंग से हल करे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस क्षेत्र को अभी हाल में जबलपुर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है। इसलिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार से भली प्रकार बातचीत कर सकती है और यह प्रयत्न कर सकती है कि यह भूमि उन कर्मचारियों को दे दी जाये। आर्डीनेंस फैक्टरी खमरिया के पास अपने क्वार्टर हैं और वे अधिक क्वार्टर बना भी रहे हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया है। उनके लिए हम ने कुछ किया है। लेकिन जहां कहीं माननीय सदस्य हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ कठिनाई नजर आती है जबकि वस्तुतः, वहां कोई कठिनाई नहीं होती।

सभा का कार्य

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : संसद् कार्य मंत्री की ओर से मैं ११ अप्रैल, १६६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्यसूची में से बचे हुए किसी कार्य पर विचार;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) निम्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा और मतदान :

पुनर्वास मंत्रालय;
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय;
आवास, निर्माण और संभरण मंत्रालय; तथा
वित्त मंत्रालय

(३) शेष अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखना ।

कांडला पत्तन के बारे में वक्तव्य

†**संचार तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कांडला और गांधीधाम उपनगरों के बारे में हम ने सदैव ध्यान दिया है । हम वहां अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देने तथा बड़े और बीच के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता को पूरी तरह समझते हैं । हम ने, वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से परामर्श के बाद कांडला में एक अबाध व्यापार जोन की स्थापना करने का निश्चय किया है । चूंकि देश के लिए यह एक बिल्कुल नई चीज़ है अतः इसके बारे में बडी सावधानी से काम करने की आवश्यकता है ।

इस योजना के अनुसार बन्दरगाह का कुछ भाग लेकर उसके चारों ओर काफ़ी ऊंचाई तक कांटेदार तार लगा दिये जायेंगे और उसमें प्रवेश तथा उस क्षेत्र से माल निकालने पर उपयुक्त नियंत्रण किया जायेगा । इस क्षेत्र में उपयुक्त उद्योग स्थापित करने की सुविधाएं दी जा सकती हैं और आयात शुल्क दिये बिना उनको कच्चे सामान और आधा तैयार शुदा माल आयात करने की सुविधायें दी जा सकती हैं ताकि वे तैयार माल बना सकें और उसका निर्यात कर सकें ।

इस ज़ोन में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी और इन पर उपयुक्त देखभाल एवं नियंत्रण की व्यवस्था होगी लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि जो वहां कोई उद्योग स्थापित करेगा उसको इसी आधार पर आज्ञा दी जायेगी कि वह भारत में कहीं भी स्थित उसी प्रकार के उद्योग के साथ अनुचित प्रतिस्पर्द्धा नहीं करेगा । यदि यह मांग हुई कि इस क्षेत्र में बिना सीमा शुल्क दिये कुछ प्रकार के तैयार माल को आयात करने दिया जाये और उसका भांडार करने दिया जाये ताकि उसे निकटवर्ती देशों को फिर से निर्यात किया जा सके तो इस प्रकार की सुविधा देने पर भी विचार किया जा सकता है । लेकिन सोना, तथा अन्य विशेष चीज़ें जैसे हीरा, घड़ियां आदि के आयात पर लगाये गये सामान्य प्रतिबन्धों के बारे में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

इस ज़ोन में वस्तुओं के आयात, और उनके निर्यात का इस दृष्टि से नियमित लेखा रखा जायेगा ताकि भारत के अन्य भागों में माल चोरी छिपे न ले जाया जा सके और इस क्षेत्र में निर्मित अथवा तैयार की गई वस्तुओं को अन्य देशों को निर्यात करने से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके । इस क्षेत्र से देश में आने वाले किसी भी माल अथवा वस्तु पर सामान्य आयात प्रतिबन्ध लागू होंगे ।

इस योजना सम्बन्धी विस्तृत बातें तैयार की जा रही हैं । और निकट भविष्य में ही उनको प्रसारित किया जायेगा । इस योजना के बारे में वाणिज्यिक और औद्योगिक निकायों की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

आलोचना तथा प्रतिक्रिया के आधार पर ही सरकार इसको प्रारम्भ करने तथा प्रारम्भिक अवस्था में इसके कार्यक्षेत्र के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय करेगी। इस समय हमारा विचार यह है कि यह योजना कांडला में आर्थिक एंव औद्योगिक कार्यवाहियों को वांछित प्रेरणा देने में समर्थ हो सके।

अनुदानों की मांगें

प्रतिरक्षा मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगी।

†**श्री गोरे** (पूना) : सर्व प्रथम मैं आप के माध्यम से प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मंत्रालय के संबंध में की गयी आलोचना को व्यक्तिगत अपनी आलोचना न समझें। गत वर्ष उन्होंने ऐसी आलोचना को अपनी व सैनिकों की आलोचना की भांति समझा था।

जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का संबंध है, मैं समझता हूं कि सभा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वह प्रतिरक्षा के लिए धन स्वीकृत न करे। हम चाहते हैं कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा की जाये। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए स्वीकृत किया गया धन व्यर्थ में बरबाद न हो।

पर मैं देखता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में धन का सद्पयोग नहीं हो रहा है। अनेक प्रतिवेदनों से पता लगता है कि धन बड़ी बेपरवाही से बरबाद किया जा रहा है।

अभी कल लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है। मेरा निवेदन है कि उसे पढ़ कर बड़ी निराशा होती है।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : एक औचित्य प्रश्न है। महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में जो बातें कहीं हैं, उनका उत्तर मंत्रालय देगा। उसके बाद प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास जायेगा। क्या उसके पूर्व प्रतिवेदन में कही गयी बातों का उल्लेख इस वाद विवाद में किया जा सकता है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम) : अभी यह प्रतिवेदन अपने अन्तिम स्वरूप में नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : जब प्रतिवेदन सभा के पटल पर रख दिया गया है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वह सभा की सम्पत्ति बन गया है।

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : मैं जानना चाहता हूं कि जब तक मंत्रालय ने महालेखा परीक्षक की आपत्तियों का उत्तर नहीं दे दिया है, तब तक क्या उसका जिक्र किया जा सकता है ? मान लीजिए श्री गोरे अपने भाषण में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कही गयी कुछ बातों का जिक्र करते हैं और उत्तर देते समय माननीय मंत्री कहें कि महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कही गयी बातें गलत हैं। ऐसी दशा में एक विवादास्पद स्थिति पैदा हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** : जब प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है, तो उसका उपयोग सभा कर सकती है। माननीय मंत्री को भी अधिकार है कि वह कह दें कि प्रतिवेदन में कही गयी बातें सत्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न यह है कि क्या महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कही गयी बातों का उल्लेख किया जा सकता है। उस पर आपत्ति यह है कि वह प्रतिवेदन अभी लोक लेखा समिति के सामने जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को इस संबंध में क्या कहना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सभा पटल पर रखे जाने के बाद मैंने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन देखा ।

इस पर वाद विवाद किया जा सकता है या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जो आपके स्वविवेक का है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा ।

पर जहां तक मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति की कार्यवाही न्यायिक या अर्द्धन्यायिक प्रकार की होती है। इस प्रतिवेदन में कही गयी अनेक बातों का पूरा उत्तर मंत्रालय के पास है । मैं यह भी बता सकता हूं कि अनेक बातें १० वर्ष पुरानी हैं, जिन्हें इस रूप में रखा गया है, जैसे कि वे गत वर्ष की हों। मैं इन सभी बातों का तथा तत्संबंधी तथ्यों का उत्तर इस समय बिना पूर्व सूचना के नहीं दे सकूंगा ।

मैं जानता हूं कि इस पत्र के माननीय सदस्यों के सामने आने से माननीय सदस्यों के दिमाग में जो बातें आ गई हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। पर यदि इस संबंध में वाद विवाद होता है, तो दोनों पक्षों की बातें सुनी जानी चाहिएं और जैसे कि यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है, उसी तरह मंत्रालय का जवाब भी--इस के संबंध में--सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख दिया गया है। सामान्य रूप से यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के सामने जाता है और लोक लेखा समिति अपना काम करके सभा को अपना प्रतिवेदन देती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि इस प्रतिवेदन में कही गयी बातों का जिक्र किया जाये या नहीं। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन हो सकता है, हमें ६ महीने बाद मिले। ऐसी स्थिति में क्या सभा को प्रतिवेदन की बातों का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है ?

चूंकि प्रतिवेदन अभी कल ही रखा गया है, अतः हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि उसमें की गयी सभी आपत्तियों का जवाब भी हमें तुरन्त ही मिल सकेगा ।

वैसे सभा को अधिकार है कि वह प्रतिवेदन में कही गयी बातों का उल्लेख करे--उसे सही समझे या गलत और मंत्री महोदय को भी अपनी बात कहने का अधिकार है ।

जहां तक इस बात का संबंध है कि मंत्रालय का जवाब भी सभा पटल पर रखा जाये, मैं इस पर विचार करूंगा ।

†**डा० मेल कोटे** (रायचुर) : एक औचित्य प्रश्न है। क्या यह सभा इस अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार कर सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह अन्तरिम प्रतिवेदन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** (मालगांव) : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि यह अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं है । अतः यह औचित्य प्रश्न नहीं पैदा होता ।

माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन का उल्लेख कर सकते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक इस प्रतिवेदन को देखने से पता लगता है, यह एक काफी लम्बी अवधि के संबंध में है । मैं आप से पूछता हूं कि जब लोक लेखा समिति की छान बीन एक न्यायिक छानबीन मानी जाती है, तो क्या साथ ही साथ यह सभा व लोक लेखा समिति दोनों इस पर विचार कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक लेखा समिति तो सभा के काम को आसान बनाती है । वह दोनों पक्षों की बात सुनकर सभा के सामने अपना प्रतिवेदन दे देती है ।

चूंकि यह मामला काफी लम्बी अवधि के संबंध में है, अतः मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री स्वयं बतायें कि किस अवधि तक की बातों का उल्लेख माननीय सदस्य करें । उसी अवधि तक की बातों का माननीय सदस्य जिक्र करें व माननीय मंत्री उत्तर दें ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मेरा निवेदन है कि आप महालेखा-परीक्षक से कहें कि भविष्य में वह मंत्रालयों की मांग के कुछ दिनों पहले प्रतिवेदन दिया करें ताकि सभा के सदस्य उसका अध्ययन कर लिया करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : महालेखा-परीक्षक इस सभा के अधीन नहीं हैं । उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं । हम मंत्रियों से तो कुछ कह सकते हैं उनके अधीन पदाधिकारियों से नहीं । मैं चाहता हूं कि मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू होने से पहले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यहां आ जायें ताकि सभा के सदस्य उन्हें पढ़ कर उनका लाभ वादविवाद में उठा सकें । मुझे आशा है इसका ध्यान भविष्य में रखा जायेगा ।

†**श्री रंगामणि** (मदुरै) : क्या इस सभा को महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में कही गयी बातों की आलोचना करने का अधिकार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब प्रतिवेदन सभा के सामने है, तो सभा उसे या उसके कुछ अंगों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, यदि माननीय सदस्य यह कहें कि प्रतिवेदन की अमुक बात सही नहीं है, तो यह महालेखा-परीक्षक की आलोचना नहीं होगी । अतः मैं माननीय सदस्य की आपत्ति को ठीक नहीं समझता ।

†**श्री गोरे** : मैं बता रहा था कि इस प्रतिवेदन को पढ़कर बड़ी निराशा होती है । इसमें अनेक ऐसे मामलों का उल्लेख है, जिनमें धन का दुरुपयोग हुआ है ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ १० पर कुछ सामान खरीदने का जिक्र है । २,३०,००० और १,२६,१५७ रु० की लागत से कुछ सामान खरीदा गया । बाद में आन्तरिक लेखा-परीक्षक से पता लगा कि इन वस्तुओं का मूल्य केवल ७२० रु० और २८१६ रु० था । इस प्रकार ३०,४१० रु० के स्थान पर ठेकेदारों को ३,५६,४५७ रु० दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ १३ पर एक और मामला है। ३०८ मील सड़क के लिए ३०४·४७ लाख रु० की स्वीकृति थी। केवल ९८·११ मील सड़क बनने पर ३९२·६४ लाख रु० व्यय हो गये। इतना अधिक खर्च होने का कारण यह बताया गया कि बारूद पर अधिक खर्च करना पड़ा। यहां भी अनुमान बहुत गलत रहे।

पृष्ठ १६ पर एक संयंत्र का जिक्र है, जिसके लिए १० लाख रुपया स्वीकृत किया गया। यह संयंत्र धातु के बक्स बनाने के संबंध में था। ६·५३ लाख रु० खर्च होने के बाद अब कारखाना बेकार पड़ा है क्योंकि युद्धास्त्र कारखाने के निदेशक को बताया गया कि धातु के बक्स इस कारखाने में बनवाने के बजाय बाजार में सस्ते मिलेंगे। यह भी धन का अपव्यय है।

इसके बाद पृष्ठ २४ पर महालेखा-परीक्षक ने कमाण्डर नानावती को १०,००० रु० की दी गयी सहायता को अनुचित तथा अजीब बात बताया है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महालेखा-परीक्षक पर नाराज न हों। महालेखा-परीक्षक ने लिखा है कि हम इस बात को प्रतिरक्षा मंत्रालय के सामने लाते रहे हैं पर कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस सभा का समाधान करें कि महालेखा-परीक्षक ने जो कुछ लिखा है, वह सही नहीं है और वह बतायें कि धन को ठीक तरह से खर्च किया गया है।

प्रतिरक्षा संगठन के संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारी नौसेना की उपेक्षा की जाती है। हमारे नौसेना कर्मचारियों को पनडुब्बियों के संचालन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। वैसे हमारी नीति किसी पर आक्रमण करने की नहीं है, पर हमें प्रशिक्षण तो देना ही चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे सैनिक काम कर सकें। अतः मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्री कम से कम दो तीन पनडुब्बियां अवश्य खरीदें ताकि हमारी नौसेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिले।

प्रादेशिक सेना की भी अच्छी उन्नति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि इसका क्या कारण है? उन्हें ऐसे उपाय करने चाहिएं कि प्रादेशिक सेना को बढ़ावा मिले और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो।

प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि हमें अपनी हिमालय सीमा की रक्षा विशेष सावधानी से करनी है। चीन व भारत का झगड़ा तो लम्बा चलेगा, हमें इस संबंध में बड़ी तैयारी करनी है व सावधान रहना है, मुझे खेद है कि हिमालय के सीमान्त प्रदेश के संबंध में हमें बहुत ही कम जानकारी है। इसी आधार पर चीन के प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब हमने वहां सड़क बनाई थी, तो आप को पता भी नहीं था और आज ३–४ वर्ष बाद आप उसे अपना क्षेत्र कैसे कहते हैं? इससे साफ पता लगता है कि हम उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में कितने अनभिज्ञ हैं।

उस दिन हमें बताया गया कि चीन सरकार के पास हमने विरोध-पत्र भेज दिया है—वायुक्षेत्र उल्लंघन के संबंध में। बड़ी अजीब बात है कि हमारे क्षेत्र में विदेशी विमान आते हैं और हम उन्हें न रोक पाते हैं और न पहिचान पाते हैं। स्पष्ट है कि हम चीनियों के बारे में बहुत ही थोड़ा जानते हैं। वहां की सेना की शक्ति, युद्धविधि आदि के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री को वहां के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वहां की सेना को एक विशेष आदर्श की शिक्षा दी जाती है और वह आदर्श है एशिया से साम्राज्यवाद को नष्ट करना व उसके साथियों को नष्ट करना। हमें भी साम्राज्यवादियों का साथी बताया जा रहा है। अतः मेरा कहना है कि माननीय मंत्री हमारी सेनाओं में भी एक आदर्श भरें एक जागृति पैदा करें कि आखिर हमारा क्या उद्देश्य है हमारा क्या आदर्श है। हमारे सैनिकों को भी बताया जाना चाहिए कि हमारे युद्ध का मूल उद्देश्य क्या है।

[श्री गोरे]

मुझे बताया गया है कि चीन की वायुसेना बहुत शक्तिशाली है। उनके पास ४०००–५००० विमान हैं। वे विमान बनाते भी हैं। वहां की पदल सेना भी अच्छी तरह प्रशिक्षित है। उन्होंने हमारी सीमा पर अच्छे-अच्छे डिपो बना रखे हैं। करमसिंह ने स्वयं वहां जो कुछ देखा था और यहां आकर बताया था, वह प्रकट करता है कि उन्होंने उस क्षेत्र में भी, जिसे हमारे प्रधान मंत्री उजाड़ कहते हैं, अच्छे डिपो तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कर रखी हैं। अनुमान है कि चीन के पास ४०–५० लाख पैदल सेना है। वहां लगभग प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि उनकी वायुसेना–पैदल सेना व प्रशिक्षण आदि को देखते हुये हमारा स्तर उनके मुकाबिल बहुत कम है। हमें प्रयत्न करना है कि हमारा स्तर कम से कम उनके बराबर अवश्य हो जाये।

उत्पादन के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता कि हमारी सेनायें किस हद तक आत्मनिर्भर हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को बतायें कि किन-किन मदों के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। ७० प्रतिशत मदों या ९५ प्रतिशत मदों के कहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हो सकता है कि शेष २५ प्रतिशत या ५ प्रतिशत मदें ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों। अतः माननीय मंत्री इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों से बतायें कि हम किन-किन मदों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

मेरा निवेदन है कि उत्पादन, संगठन, सेना व प्रशिक्षण आदि सभी दृष्टिकोण से हमें अपना स्तर उतना उठाना चाहिये; जितना स्तर चीन का है।

मैं नहीं कह सकता कि कहां तक सच है पर एक अमरीकी लेखक का कहना है कि चीन की पैदल सेना संसार में सबसे अच्छी है। वह बड़ी शक्तिशाली है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेना चीन का मुकाबिला करने लायक बन जा , तो आपको प्रशिक्षण तथा शस्त्रास्त्र आदि के सम्बन्ध में अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना होगा और उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीमनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां): किसी देश की प्रतिरक्षा को अधिक प्रभावकारी एवं शक्तिशाली बनाने के दो साधन हैं। एक तो यह है कि प्रतिरक्षा के तीनों विगों के सभी कर्मचारी, पदाधिकारी आदि पूर्णतः सन्तुष्ट हों दूसरे प्रतिरक्षा बल आधुनिकतम सामान आदि से सुसज्जित हों।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों में यह भावना व्याप्त थी कि वहां उचित पदोन्नति नहीं मिलती अतः वे यहां आने में हिचकते थे लेकिन हमारे मन्त्री महोदय के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप कर्मचारियों को उचित पदोन्नतियां मिली हैं अतः यह भावना अब समाप्त हो गई है। कम से कम पदाधिकारी अब पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। आज हमारे यहां एक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा में साधारण कैडेट की हैसियत से आता है स्थायी लैफ्टिनेंट कर्नल के पद से अवकाश प्राप्त कर सकता है इस धारणा से पदाधिकारी बहुत ही सन्तुष्ट हैं। इतना होते हुए भी मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री उन लोगों पर भी उचित ध्यान दें जो कि प्रतिरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं अथवा आधार हैं। सिपाहियों की परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी पदोन्नति के अवसर इतने उज्जवल नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय इन लोगों को अधिक सुविधायें देंगे क्योंकि इन्हें अधिक समय तक यहां कार्य करना है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। उनको उचित ढंग से नहीं बसाया गया है। उनके लिये स्थापित किये गये केन्द्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के लिये जो योजनाएं शुरू की गई थीं उन पर बहुत सा धन व्यय किया गया किन्तु वे सभी असफल सिद्ध हुईं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने बहुत सी परियोजनायें चालू की हैं । यह मन्त्रालय पदाधिकारियों को बसाने के लिये भवन किराये पर लेने में बहुत सा धन व्यय कर रहा है । ये स्थान कहीं कहीं तो सैनिक जोन से बाहर होते हैं । यही कारण है कि सेना की बहुत सी गुप्त बातें मालूम हो जाती हैं । मेरा निवेदन है कि पदाधिकारियों को उपयुक्त स्थान दिये जाने चाहियें । उनके परिवारों की—जबकि सैनिक पदाधिकारी सैनिक क्षेत्रों से बाहर हों—उचित सुरक्षा की जानी चाहिये । सेना के मुख्यालय इन परिवारों की उचित देखभाल कर सकते हैं । देश की सीमा पर लड़ने वाले अथवा काम करने वाले सैनिकों को इस बात का आश्वासन रहना चाहिये कि उनका परिवार सुरक्षित है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने अम्बाला में जो परियोजना तैयार की है वह बहुत ही उपयुक्त है । इसके बनाने में उन्होंने बहुत कम समय लगाया है । लेकिन हम यह मालूम करना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने इस पर कितना धन व्यय किया है । ताकि देश को इस बात की जानकारी हो जाय कि सेना कम खर्च में इन परियोजनाओं को तैयार कर रही है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय को कुछ सैनिक परियोजना के कार्य के लिये भर्ती करने चाहिये ।

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में महालेखा-परीक्षक ने उन अनियमितताओं की ओर संकेत किया हैं जो आज से दस वर्ष पूर्व विभाजन के समय हुई थीं । हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि उन्होंने अब किस प्रकार उन अनियमितताओं पर विचार किया है तथा ठेकों एवं अन्य विभिन्न मदों पर किये गये व्यय एवं विशेष रूप से उस आवास पर जोकि ले तो लिया गया है किन्तु जिसका उपयोग नहीं किया गया है । लाखों रुपये लगाकर भवन बनाये गये हैं लेकिन उनका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया गया है । स्थान खाली पड़े हैं । इनके बनाने से पूर्व उचित परामर्श लिया गया होता तो अच्छा था । प्रश्नकाल के दौरान में हमने प्रतिरक्षा मंत्रियों से जानकारी लेने का प्रयत्न किया लेकिन हमें सही जानकारी नहीं मिली ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय छावनी में रहने वाले लोगों की सुविधाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है । वहां पानी आदि की सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं जबकि उनके निकटवर्ती म्यनिसिपल क्षेत्रों में इस प्रकार की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं । छावनी के अन्तर्गत आने वाले गांवों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इन गावों में, जबकि वे छावनियों को उचित कर आदि भी देते हैं, पीने के पानी की उचित सुविधा तक भी नहीं दी जाती । आशा है कि माननीय मन्त्री इसकी ओर ध्यान देंगे ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन कन्जरवेन्सी स्टाफ की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को ब्रिगेड से हटा कर गैरीसन इंजीनियरों के अधीन कर देना चाहिये क्योंकि वे लोग ही अपने अधीन ऐसे कर्मचारियों को रखते हैं । ब्रिगेड मुख्यालय को एक सीमित धन-राशि मिलती है उसी के आधार पर यह इस स्टाफ पर व्यय करता है ।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकारी अथवा गैर-सरकारी अथवा सहकारिता के आधार पर कार्य कर रहा है । इसके पास लगभग एक करोड़ रुपये की निधि है । लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंच रहा । सरकारी संस्था होने के कारण इसे बहुत सी वे सुविधा नहीं मिलतीं जो अन्य प्रकार की जैसे सहकारी संस्था आदि को मिलती हैं । इसके लाभों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी मैं मालूम करना चाहूंगा ।

†**श्री वारियार** (त्रिचूर) : देश की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । लेकिन वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत कम हमें बताया गया है । गत बारह वर्षों से हम अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियार]

पृष्ठ भूमि बनाने के बारे में ही अधिक जोर दे रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक हमारे यहां वही पुरानी बातें चली आ रही हैं। आर्थिक, राजनैतिक, यहां तक कि सेवा के सम्बन्ध में भी वही ब्रिटिश जमाने की बातें अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। अभी तक हम अंग्रेजों से ही चीजें खरीद रहे हैं चाहे वे कितनी ही खराब क्यों न हों। साज सज्जा तथा व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये हम उन्हीं पर निर्भर करते हैं।

नौसेना के मामले में हम राष्ट्र मण्डल में भाग ले रहे हैं लेकिन हमारे व्यक्तियों को उनकी सब बातें अथवा गुप्त भेदों का पता नहीं चलता। मेरा निवेदन तो यह है कि यदि ब्रिटिश अथवा राष्ट्र मण्डलीय सम्बन्ध हमारी पूर्ण स्वतन्त्रता में रुकावट डालते हैं तो हमें उनको छोड़ देना चाहिये।

आर्डीनेंस कारखानों केउत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। १९ कारखानों में पहले उत्पादन क्षमता २५ से ३० प्रतिशत थी जो अब बढ़ कर ४२ से ४५ प्रतिशत तक आ गई है। बी० इ० एन० में हमें कर्मचारियों ने बताया कि यह ठीक है कि यहां की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है लेकिन दिन प्रतिदिन के कार्य में जो हस्तक्षेप किया जाता है उससे उत्पादन की प्रगति को आघात पहुंच रहा है। वहां उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। वे किसी निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दे सकते।

इन संस्थानों में हमने देखा है कि हमारे प्रविधिक विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। आज हम देखते हैं कि भिलाई, रूरकेला, एच० ए० एल० आदि में सभी जगह विदेशी विशेषज्ञ हैं। इन कारखानों में कुछ भूलें हुई हैं। समय समय पर इन कारखानों के बारे में प्रतिवेदन मिलते हैं जिनसे जनता को इन भूलों की जानकारी मिल रही है। गैर सरकारी क्षेत्रों को जो राशि अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है वह भी करदाताओं की है। प्राक्कलन समिति ने भी यह स्वीकार किया है कि सरकारी क्षेत्रों में कुछ मशीनें ऐसी हैं जो आपातकाल के लिये तैयार रखी जाती हैं लेकिन सामान्य दिनों में उनका कोई उपयोग नहीं होता। चूंकि इन कारखानों में सुधार की अभी बहुत गुंजाइश है अतः इनको और भी अच्छी तरेह से सुधार किया जा सकता है। इनके सुधार के लिये हम पड़ौसी देशों से जानकार लोग ले सकते हैं।

हमें बताया गया है कि कुछ कारखानों में कर्मचारियों की दशा बहुत ही खराब है। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें रहने के लिये उचित मकान नहीं दिये जाते। मजूरी तथा बोनस की भी उनकी मांगें हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री उनकी स्थिति सुधारने के लिये प्रयत्न करेंगे इसके अतिरिक्त इन कारखानों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर भी उचित रोक थाम रखी जायेगी।

एच० ए० ए० में इंजिनियरों ने नयी डिजाइन के कुछ नये मौडिल तैयार किये हैं जिसके लिये निश्चय ही वे बधाई के पात्र हैं।

जवान एवं सिपाहियों में भारी असन्तोष है। उसको दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये। जवानों से चन्दा इकट्ठा करके आने वाले उच्च पदाधिकारी का स्वागत किया जाता है। कैसी विडम्बना है। फिर पूछा जाता है कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है भला यह कैसे सम्भव है कि एक जवान अपने पदाधिकारी के बर्ताव के बारे में शिकायत करे। यह कोई नहीं पूछता इस स्वागत सत्कार में जो रुपया व्यय हुआ है वह कहां से आया।

निम्न वर्ग के सैनिकों को बहुत कम वेतन वृद्धि मिलती है । जबकि पदाधिकारियों के लिये वेतन वृद्धि के निश्चित नियम हैं जिनके अनुसार उन्हें ठीक समय पर वृद्धि मिल जाती है । जवान को दैनिक भत्ता बहुत कम मिलता है । उदाहरण के लिये उसे १ रुपया दो आना प्रतिदिन मिलता है जबकि पदाधिकारी को १०) प्रतिदिन मिलता है ।

सैनिकों को काम भी अधिक करना पड़ता है उदाहरण के लिये सिगनल की तीसरी पारी में कर्मचारी को बारह घंटे काम करना पड़ता है । इसके लिये भी कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है ।

निर्माण कार्य में जबकि असैनिकों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता मिलता है, सैनिकों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता । अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को रहने के लिये मकान भी नहीं दिये जाते । कुछ दिनों उन्हें डिपो आदि में रखा जाता है । स्थानान्तरण होने से कुछ मास पूर्व उन्हें क्वार्टर दिये जाते हैं । ऐसी स्थिति में काफी दूर से अपने परिवारों को लाना उनके लिये सम्भव नहीं है ।

नौसेना के उन कर्मचारियों को जो इंगलिस्तान में प्रशिक्षण लेने जाते हैं केवल १३ शिलिंग प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है जो अपर्याप्त है । मेरा निवेदन है कि यह राशि बढ़ा देनी चाहिये ।

वायुसेना के लिये भर्ती करने वाले एक पदाधिकारी जो बंगलौर में हैं पिछले दो वर्षों से केरल राज्य में नहीं गये हैं जबकि अन्य स्थानों पर उन्हों ने दौरा किया है ।

सेना के लिये जिस साहित्य की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही घटिया किस्म का है । सैनिकों को उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिये और उन के लिये उपयुक्त सामाजिक कार्य तथा सांस्कृतिक समारोहों की व्यवस्था होनी चाहिये ।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन बहुत ही निराशाजनक है । सेना में काफी धन का अपव्यय हुआ है जिस के लिये सभी प्रतिरक्षा मंत्री संसद् के समक्ष जिम्मेदार हैं । इस अपव्यय को रोकने के लिये सारी व्यवस्था की जांच करनी होगी । मैं इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि एक उच्चस्तरीय परिषद् होनी चाहिये ।

नानावती को बचाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १०,००० अथवा १५,००० रुपये दिये हैं । हालांकि यह बहुत बड़ी राशि है । लेकिन फिर भी दया के आधार पर इतना रुपया दिया जा सकता है । क्या मंत्रालय इस को सिद्धान्त बनायेगा और छोटे पद के लोगों को भी ऐसी सहायता भविष्य में दी जायगी । मेरा निवेदन है कि किसी आदमी को बचाने के लिये आप रुपया व्यय कर सकते हैं लेकिन यह सुविधा छोटे पद के कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिये । अतः इस सिद्धान्त का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिये ।

†श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : प्रतिरक्षा के कर्मचारी सामान्य असैनिक कर्मचारियों की अपेक्षा विभिन्न वर्ग के हैं । जिन्हें अपने जीवन का बलिदान करने के लिये सदैव तैयार रहना पड़ता है । असैनिक उड्डयन कर्मचारियों की अपेक्षा वायुबल के कर्मचारी का जीवन बहुत खतरे में है । लेकिन एक वायुयानचालक जिसे ३ हजार रुपये मिलते हैं अगर काम करते हुए उस की मृत्यु हो जाती है तो उस की विधवा पत्नी को ५० हजार या एक लाख रुपये इकट्ठे मिल जाते हैं लेकिन दूसरे एक साधारण कर्मचारी की मृत्यु होने पर उस की पत्नी अथवा उस के उत्तराधिकारियों को केवल १५० या २०० रुपये ही मिलते हैं । मेरा निवेदन है कि एक ऐसी इकाई की स्थापना की जानी चाहिये

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

जोकि प्रतिरक्षा कर्मचारियों के सभी कल्याण कार्यों की भलीभांति देखरेख कर सके । साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि सारे प्रतिरक्षा कर्मचारियों को हमें एक परिवार के रूप में देखना चाहिये और उन में यह अन्तर नहीं करना चाहिये कि अमुक पदाधिकारी है और अमुक साधारण कर्मचारी ।

अब वह समय आ गया है जबकि प्रतिरक्षा में अधिक स्त्रियों को भी भर्ती किया जाय । नौसेना के नवयुवकों को जो इंगलिस्तान में प्रशिक्षण लेने के लिये जाते हैं उन को १३ शिलिंग का भत्ता बहुत कम है । अतः इसे बढ़ा कर कम से कम दुगना कर देना चाहिये ।

प्रतिरक्षा में पदाधिकारियों का स्थानान्तरण मानवीय आधार पर होना चाहिये ताकि उन्हें भी अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिल सके । देखने में आया है कि पदाधिकारी अपने परिवार के साथ अपने जीवन में कुल मिला कर ५ महीने अथवा कुछ वर्ष ही रह पाते हैं ।

प्रतिरक्षा में सैनिकों को राशन भी कम मिलता है । सैनिकों के बच्चों को स्कलों में दाखला मिलने में बड़ी कठिनाई होती है । अतः उन को स्कूलों में दाखला दिलवाने का उचित प्रबन्ध करना चाहिये । अतः मंत्रालय को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध कराया जायेगा । बच्चों की शिक्षा पर भी उन्हें काफी व्यय करना पड़ता है अतः मंत्रालय को उन्हें पूर्ण सन्तुष्ट रखना चाहिये जब तक सैनिक सन्तुष्ट नहीं रहेंगे तब तक उन से अच्छे काम की आशा कैसे की जा सकती है ।

हमें अत्यावश्यक गुप्त बातों तथा ऐसी बात जो अत्यन्त गुप्त नहीं है में भेद करना चाहिये । अत्यन्त आवश्यक गुप्त बातों की पूरी पूरी रक्षा करनी चाहिये । लेकिन उन बातों के बारे में जिन की गोपनीयता इतनी आवश्यक नहीं है हमें थोड़ी उदारता से काम लेना चाहिये ।

आर्डीनेंस कारखानों को चाहिये कि वे अच्छे वैज्ञानिक एवं प्रविधिज्ञों को तैयार करें ।

जल, थल तथा वायु सेना में हमारे यहां बड़े कुशल कर्मचारी हैं लेकिन, जल तथा वायुसेना के पास सभी साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत में सीमाओं पर एक अच्छी और सुव्यवस्थित रेडार व्यवस्था की आवश्यकता है जो बहुत कम समय में ही हमें शत्रुओं के सेना के आगमन की सूचना दे सकें । इस के अतिरिक्त ऐसी रेडार व्यवस्था की भी आवश्यकता है जो दूर हो और शीघ्र ही हमें सूचना दे सके ।

क्षेपास्त्रों का पता करने के सम्बन्ध में हमारे पास रेडार नहीं है । और न उन से बचाव का ही कोई उपाय है । हम अच्छी किस्म के रेडार भारत इलेक्ट्रोनिक्स में क्यों न तैयार करें । हमें भी अपने यहां ऐसी चीजें तयार करनी चाहिये जिस से कि हमारा वायुबल भी आधुनिकतम एवं शक्तिशाली बन जाये ।

हमारी वर्तमान क्षमता एवं हथियार बनाने के साधनों को देखते हुए हम यही कर सकते हैं कि पुराने ढंग के हथियार बना सकते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं । हमारे बस की यह बात नहीं है कि हम अमरीका अथवा रूस जैसे विशाल देशों का मुकाबला कर सकें इन के अतिरिक्त अन्य देश भी बहुत उन्नति कर रहे हैं । उन के पास आधुनिकतम हथियार हैं । लेकिन अब वह समय आ गया है जबकि हम अपने बारे में स्वयं निर्णय करें और अपने देश का विकास करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विषय पर विचार करते समय मैं ने सोचा कि क्या हम उन चीनी सैनिकों की प्रशंसा करें जो दो कटोरे चावल खा कर सेना का काम करते हैं या अमरीका अथवा रूस की वैज्ञानिक प्रगति पर मुग्ध हों। इन दोनों बातों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। हमें अपने ही देश की समस्याओं पर विचार करना है। इस कारण हमें आयुध कारखानों के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिये।

प्रतिरक्षा के विषय पर कोई भी बहुत से दृष्टिकोणों से कुछ कह सकता है। उदाहरणार्थ मैं यह कह सकता हूं कि गुरदासपुर जैसे नगर में छावनी होनी चाहिये क्योंकि वह नगर पाकिस्तान तथा जम्मू और कश्मीर सीमा पर है। इस के अतिरिक्त मैं यह भी कह सकता हूं कि मनोवैज्ञानिकों की पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि उन्हें अच्छे और उच्च पदाधिकारियों के साथ बोर्डों में बैठ कर महत्वपूर्ण निर्णय देने पड़ते हैं। इसी तरह से मैं यह भी कह सकता हूं कि सैनिक न्यायालयों के निर्णयों की अपील की व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु ये सब छोटी छोटी साधारण बातें हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि चीन के पास १५० लाख की सेना है परन्तु इस से क्या। हमें घबराना नहीं चाहिये। कोई भी देश जबरी भरती से इतनी विशाल सेना इकट्ठी कर सकता है। हमारे देश की परिस्थितियां भिन्न प्रकार की हैं। हमें ज्यादा बल अपने देश की प्रतिरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने पर देना चाहिये।

हमारे यहां क्षेत्रीय सेना है। आपद काल में यह सेना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतैव इस को मजबूत बनाना चाहिये। क्षेत्रीय सेना के सैनिकों को पूरी सैनिक शिक्षा दिलवा कर तैयार रखना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य है कि इस सेना का वह यथासंभव विस्तार करे।

इसी तरह से सरकार को लोक सहायक सेना तथा राष्ट्रीय छात्र सेना का भी विकास करना चाहिये। हमारे देश के छात्र बड़े प्रतापी हैं। वे भविष्य में देश की रक्षा के लिये सन्नद्ध रहेंगे। इस-लिये अभी से उन को उत्तम शिक्षण देना चाहिये। सहायक छात्र सेना का विकास भी देश के लिये लाभदायक होगा।

जहां तक साज सामान की स्थिति का सम्बन्ध है उस क्षेत्र में समुद्रीय घाटों तथा यार्डों का विकास भी जरूरी है। जब तक यह काम न होगा तब तक नौसेना प्रभावशाली काम न कर पायेगी।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमारे देश में एवरो ७४८ बनने लगेगा। हम आशा करते हैं कि आगामी कुछ ही वर्षों में वायुयानों के मामले में हम निश्चिन्त हो जायेंगे।

प्रतिरक्षा मंत्री की उत्पादन समिति बड़ा उपयोगी काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इस समिति का देश की सामूहिक सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित करने चाहियें। इन्हें स्पष्ट कार्यक्रम बना लेना चाहिये ताकि काम ठीक रीति से चल सके।

स्थल सेना के बारे में, मेरा यह मत है इन सैनिकों को बढ़िया प्रशिक्षण मिलना चाहिये। प्रतिरक्षा कालेज की स्थापना निस्सन्देह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आजकल के युद्धों को जीतने के लिये जितनी आवश्यकता साहस की है उतनी ही नवीनतम अस्त्रों की भी है। खेद है कि हमारे यहां नवीन शस्त्रास्त्रों के निर्माण का काम नहीं हो रहा। हमारे सैनिक वैज्ञानिक संगठन सामान्य काम कर रहा है। हमें इस देश की जलवायु तथा परिस्थितियों के अनुरूप नवीन हथियारों का आविष्कार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हमें आज न केवल विदेशी शत्रु से ही खतरा है पर हमारे अपने देश में कुछ अवांछनीय तत्व भी हैं। पर मेरा विश्वास है कि हमारी सेनायें इन खतरों को टाल देंगी। हमें एक बात याद रखनी चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है :—

"न जनयेत् बुद्धि भेदम्"

किसी को इस समय ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस से हमारे अपने आदमियों में शंकायें या संदेह फैलें। निस्सन्देह पीछे होते हुए भी भारत आज किसी भी देश से मुकाबला कर सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि हमें अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिये। कमजोरियां छिपाना राष्ट्रीय हित के लिये घातक होगा। प्रतिरक्षा के संबंध में हमारी विचारधारा सुस्पष्ट होनी चाहिये। बिना अच्छी प्रतिरक्षा व्यवस्था के देश समृद्ध नहीं हो सकेगा। परन्तु खेद है कि हमारी विचारधारा हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इसीलिये हमें देश की प्रतिरक्षा के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है उन के लिये हम आयोजन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिये विदेशी विमान हमारे देश के ऊपर उड़ते हुए निकल जाते हैं और हम उन्हें गिरा नहीं पाते हैं। यदि हमारे पास राडार और बम वर्षक विमान हों तो हमारी वायुसीमा का इस प्रकार उल्लंघन नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे आयुध कारखानों में इस प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाय। खेद है कि अभी जिन चीजों का निर्माण इन कारखानों में किया जा रहा है वे अधिक उपयोगी नहीं हैं। इस समय सब से बडी आवश्यकता देश की प्रतिरक्षा की है।

मेरा विचार है कि वर्तमान स्थिति के लिय हम स्वयं जिम्मेदार हैं। पहले तिब्बत एक स्वतन्त्र अन्तःस्थ राज्य था परन्तु अब चीन उस पर अपना दावा कर रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी सैनिक गुप्तचर सेवा, विमान बल सर्वेक्षण कार्यक्रम आदि हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाये जाने चाहिये क्योंकि पता नहीं चीन किस समय क्या कर बैठे। प्रतिरक्षा मंत्री को ये सब बातें मालूम होनी चाहिये थीं और देश की प्रतिरक्षा के लिये एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये था।

चीन के अतिक्रमण से समस्त निकटवर्ती राज्य इतने आतंकित हो गये है कि उन से कोई भी चीन की गलती का संकेत करने का साहस नहीं करता है। नेपाल के प्रधान मंत्री ने बताया है कि चीन न एवरेस्ट का दावा किया है। वास्तव में एवरेस्ट नैपाल का है इसलिये हमें नैपाल का समर्थन करना चाहिये। परन्तु आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति चीन के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा है। मेरा विचार है कि हमारी पिछली गलतियों के कारण ही चीन का सत्ता का मद बढ़ता जा रहा है। चीन जो कुछ मांगता रहा है वह हम चुपचाप मानते रहे है। यह बहुत बड़ी गलती हुई है। यही गलती हम अब भी कर रहे हैं। हमारे सैनिक वीरता में किसी से कम नहीं हैं। यदि हमारे गोरखा या सिख सैनिकों को भेज दिया जाय तो वे अकसाईचिन के भाग्य का निर्णय तुरन्त कर सकते हैं। परन्तु यहीं पर सरकार हिचक करती है। हमारे गोरखा सैनिक चीनियों को गन्नों के समान काट कर फेंक सकते हैं। परन्तु हमारी सरकार वैसा नहीं करना चाहती। मेरी समझ से यही सब से बड़ी गलती है।

देश की सीमाओं की जानकारी रखना और उन की रक्षा के लिये आयोजन करना ही प्रतिरक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य है। इस समय लगभग १२,००० वर्ग मील राज्य क्षेत्र चीनी आधिपत्य में है। मैं नहीं जानता कि उस के संबंध में अभी तक क्या किया गया है। यदि देश की प्रतिरक्षा

†मूल अंग्रेजी में

का समन्वित कार्यक्रम बनाया गया होता तो हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कार का निर्माण न किया जा कर हैलीकोप्टरों और बम वर्षक विमानों का निर्माण किया जाता। इसके अतिरिक्त समस्त हिमालय सीमान्त पर हमारा एक भी सैनिक अड्डा नहीं है। सरकार को लद्दाख से लेकर नेफा तक अधिकाधिक छावनियां और चौकियां स्थापित करनी चाहिए। कम से कम २५ छावनियां और सौ चौकियां बनाई जानी चाहियें। यही नहीं, सड़कों और पुलों का निर्माण भी आवश्यक है। इस के सम्बन्ध में अभी जिस गति से काम हो रहा है वह बहुत मन्द है।

जिस प्रकार से अमेरीका और रूस अपनी सीमाओं की रक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी प्रयत्न करना चाहिये। जब हमारे देशवासी गोआ में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें यह कह कर रोक दिया गया था कि वैसा करने से चीन फारमूसा में युद्ध छेड़ देगा। मेरा निवेदन है कि गोवा में प्रवेश न करने के बावजूद चीन हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आया है।

जहां तक हमारे सीमान्तों का सम्बन्ध है देहरादून स्थित सर्वेक्षण कार्यालय ने जो नक्शा प्रकाशित किया है उस में हमारा राज्यक्षेत्र बिल्कुल सही अंकित किया गया है। मैं चाहता हूं कि वह नक्शा संसद् सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिय। जब तक माननीय सदस्यों को देश की सीमान्तों की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वे अपने अधिकारों का सही प्रयोग कैसे कर सकेंगे ?

फिर इस प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ पर यह कहा गया है कि अक्तूबर, १९५९ में तिब्बत के लद्दाख सीमान्त पर कुछ घटनायें हुई थीं। मेरा निवेदन है कि ये घटनायें सीमान्त पर न हो कर हमारे राज्य-क्षेत्र के अन्दर हुई थीं। चांग चेमो की घटना भी भारतीय सीमान्त के ४५ मील दक्षिण में हुई थी। इसलिये यह कहना गलत है कि ये घटनायें तिब्बत के सीमान्त पर हुई थीं। अब चीनी सेनायें हमारे सीमान्त से ५०० मील दक्षिण में पहुंच गई हैं। वास्तव में इन्हें घटनायें नहीं कहा जाना चाहिये क्योंकि वे स्पष्ट अतिक्रमण हैं।

इसके बाद मैं काश्मीर के प्रश्न को लेता हूं। कहा जाता है कि राज्य सरकार की सिफारिश पर परमिट प्रणाली खत्म कर दी गई थी परन्तु लद्दाख तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में जाने वालों को अभी भी विशष प्रवेश पत्र लेने पड़ते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रारम्भ से ही परमिट प्रणाली चली आ रही है तो प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की ? मैं समझता हूं कि यह उपेक्षा मंत्रालय की असमर्थता की द्योतक है।

जहां तक नानावती के मामले का संबंध है इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिय। हमें अपनी सेना को बिल्कुल अमरीकी ढ़ांचे में नहीं ढ़ालना चाहिये फिर, तरक्कियों और सेवा-काल बढ़ाये जाने के संबंध में पूर्णतः निष्पक्षता बरती जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त पैराशूट तथा अन्य आवश्यक शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं जीपों के मामले के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं जो इंगलैंड में चल रहा था। मैंने सुना है कि उस को न्यायालय से वापस ले लिया गया है। इस का मतलब यह है कि सरकार उन खरीदों के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकी। मैं चाहता हूं कि इस के संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाय।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : सबसे पहिले मैं प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उनके द्वारा आपद्काल में किये गये सहायता कार्यों के लिये बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने केरल, तथा उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में प्रसंशनीय कार्य किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

जहां तक प्रतिरक्षा की मांगों का प्रश्न है देश की स्थिति को देखते हुए वे मांगें असंगत हैं । यह पहिला अवसर है जब कि हमारे देश का कुछ भाग किसी विदेशी शक्ति के अधीन है । इस के पूर्व हम ने चीन को अपना मित्र समझा था और यहां तक कि जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया तब भी हमने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी कि चीन साम्राज्यवादी तथा प्रसारवादी इरादों से, एशिया के अन्य देशों पर अतिक्रमण कर रहा है । चीन में तत्कालीन राजदूत के लेखों से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने कितना तुष्टिपूर्ण रवैया अपनाया था । उस का परिणाम यह हुआ कि १९५४ की संधि का कोई मूल्य नहीं रहा और १२,००० मील भारतीय क्षेत्र में विरोधी सेनाओं ने बलात कब्जा कर लिया ।

तथापि यह प्रसन्नता का विषय है कि जनमत के दबाव के कारण कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और उस ने भारत चीन सीमा समस्या नामक पुस्तिका में यह स्वीकार कर लिया है कि 'चीन ने तिब्बत पर हमला किया तत्पश्चात् भारतीय क्षेत्र के बड़े बड़े भाग किसी न किसी बहाने से हड़प लिये इस के फलस्वरूप साम्यवादी चीन विश्व की सभ्य जातियों की निगाह से गिर गया ।' चीन के इन शत्रुतापूर्ण कार्य को चुपचाप सहन करना भले ही कूटनीतिज्ञता कही जाये तथापि प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से यह विना शर्त समर्पण के समान है । इस के पूर्व भी हम काश्मीर में ऐसी गलती कर चुके हैं ठीक ऐसे समय जब कि हमलावर काश्मीर से भागने वाले थे उन्हें युद्ध बन्द करने के आदेश दे दिये गये ।

अभी हाल भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के बीच वार्ता होने वाली है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह वार्ता सफल हो और इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकल आये तथापि इस के लिये हमें अपने देश की प्रतिष्ठा की बली नहीं देनी चाहिये । वस्तुतः चीन इस मामले को हल नहीं करना चाहता है । इस के द्वारा वह वहां की जनता का ध्यान देश की समस्याओं से हटाये रखना चाहते हैं । इसीलिये वे माउन्ट एवरेस्ट पर भी अपना दावा करने लगे हैं । चीन केवल शक्ति के आगे ही हार मान सकता है । अतः परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित ही किया गया है कि इस वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा के लिये २८.५६ करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मांगा गया है तथापि विमान-बल के अनुमानों में जो २.९४ करोड़ की कमी की गई है मैं उस से सहमत नहीं हूं ।

हमारे हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण करना प्रतिवेदन की घटना बन गया है । इसका कारण यह है हमारे वायुसेना के विमान अच्छी तरह निगरानी नहीं करते हैं । यदि कोई अतिक्रमण भी किया जाता है तो हम सिवाय अभ्यावेदन भेजने के और कुछ नहीं कर सकते हैं जिसे या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या हमारे ऊपर उल्टे उनके हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण करने के योग्य आरोप लगाये जाते हैं ।

चीन रूस की सहायता से आधुनिकतम युद्धस्त्रों से लैस हो रहा है । चीन में मुकदेन के राज्य विमान कारखानों में १२.१५ विमान प्रति माह निर्मित हो रहे हैं जब कि भारत में केवल कुछ एच० टी० विमान बने हैं नाट तथा ओरफस जैट इंजिनों के लाइसेंस १९५६ में जारी कर दिये गये थे तथापि अभी तक कोई विमान नहीं बना । हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी में गाड़ियों के डिब्बे व कानपुर के कारखाने में किसान ट्रैक्टरों का निर्माण किया जा रहा है । मेरा सुझाव है फिलहाल इन के सामान में सा ी क्षमता का उपयोग युद्धस्त्रों के निर्माण में किया जाना चाहिये । अपनी सीमा की सुरक्षा के लिये हमें चाहिये कि हम अपनी वायु सेना को सुदृढ़ बनायें तथा उपयुक्त प्रकार के विमानों और हैलीकोप्टरों की ही खरीद करें ।

ऐसे समय जबकि पाकिस्तान का रवैया अनिश्चित है और चीन ने शत्रुतापूर्ण रुख धारण किया हुआ है हमें अपनी सेनाओं को आधुनिकतम हथियों से सज्जित करना चाहिये तथा उन्हें संतुष्ट रखना चाहिये। हम ने राजनीति में तटस्थता की नीति अपनाई है इस के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने देश को इतना शक्तिशाली बनायें कि कोई देश हमारे ऊपर आंखें नहीं दिखा सके, अन्यथा हम परिस्थितियों का दबाव पड़ने पर अधिक दिनों तक तटस्थ बने नहीं रह सकते हैं। यदि यह सत्य है कि चीन आणविक परीक्षण की तैयारी कर रहा है तो हमें भी इस क्षेत्र में अनुसन्धान करना चाहिये। तथा यदि हम आणविक बमों का प्रयोग तथा परीक्षण नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम उन से प्रतिरक्षा करने के सम्बन्ध में गवेषणा तो करनी ही चाहिये।

हमें अपने युद्धस्त्र कारखानों को इस योग्य बनाना चाहिये कि वे आधुनिकतम प्रकार के विस्फोटों का उत्पादन कर सकें क्योंकि इस की खरीद में हम बहुत धन व्यय कर रहे हैं।

हम विदेशी सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं मेरा सुझाव है कि यदि हमें कोई देश, बिना किसी शर्त के सैनिक सहायता दे तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

अब मैं सीमान्त क्षेत्रों के विकास को लेता हूं। वहां हमें वहां के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा के सुधार का प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा वे लोग साम्यवादियों के आकर्षक नारों के शिकार हो सकते हैं।

हम राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा क्षेत्री सेना को सुदृढ़ बनाना चाहिये। इन संगठनों का समस्त व्यय केन्द्र को वहन करना चाहिये। तथा कालेजों में प्रविष्टि पाने के लिये सैनिक प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिये।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि इस मंत्रालय के महत्व को देखते हुए वे इस मंत्रालय का प्रभार अपने ऊपर ले लेवें।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी) : कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में मेरे बन्धुओं ने विषद रूप में प्रकाश डाला दिया है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि सुरक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध सीधा समूचे देश के साथ आता है। यदि सुरक्षा मंत्रालय समृद्ध हो, सशक्त हो तो देश सुरक्षित है। यदि सुरक्षा मंत्रालय खतरे में है तो देश का भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं लम्बे समय से सुनता आ रहा हूं, देख रहा हूं कि सुरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में बिना सोचे विचारे केवल सुरक्षा मंत्री पर कुछ दिनों लोग अटैक करते रहे। मैं यह समझता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय अथवा सुरक्षा मंत्री का उतना दोष नहीं जितना कि समूचे शासन का मिलकर होता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी एक मंत्रालय को मंत्री बिना कैबिनेट की राय के, बिना सम्पूर्ण शासन की किसी नीति को ध्यान में रखे, स्वतंत्र रूप से काम करेगा। इसलिए किसी एक मंत्रालय विशेष का यह दोष नहीं हो सकता है जैसाकि लोग समझते हैं।

चाइना ने खास तौर पर सुरक्षा मंत्रालय की तरफ देशवासियों का और लोक सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यदि चाइना ने हमला न किया होता तो इस का इतना महत्व सम्भवतः हम न समझते जितना कि आज समझ रहे हैं। जहां तक चाइना के आक्रमण का सम्बन्ध है, उस ने हमारे साथ विश्वासघात किया, इस में रंच मात्र भी सन्देह नहीं है। हम समझते हैं कि वह हमारा मित्र है, मित्र हो गया है और इसके लिए हम पुराने इतिहास के पन्ने पलट कर सोचते थे कि

[पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश']

यह सम्बन्ध हमारा स्थायी रहेगा । परन्तु इस में सन्देह नहीं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि राष्ट्र में समाज, जातियों की प्रकृति और प्रवृत्ति बदलती रहती है । इसीलिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए देश का, काल का और पात्र, तीनों का ध्यान करना आवश्यक है । अब चाइना का देश वह देश नहीं रहा, उस के पात्र भी वे पात्र नहीं रहे और काल भी अब बदल गया है । रशिया में और चाइना में साम्यवाद का काल चलता है और वहां का चाइना अब "बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि" नहीं बोलता है । अब बुद्ध और संघ दोनों को हड़प कर और डकार लेकर, जहां से बुद्ध गवान चले थे, उस को भी हजम करने की उन की इच्छा है, ऐसा प्रतीत होता है, और इस के लिए श्री गणेशाय नमः कर दिया है और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ कर घोषणा करने लगा है कि यदि संसार में हम केवल पंचशील का नारा लगाते रहेंगे और साम्यवाद को दबाने के लिए सशक्त संगठन बना कर आगे नहीं आयेंगे तो इस एवरेस्ट की चोटी से वह संसार में साम्यवाद फैलायेगा । ऐसी चुनौती वह हमें ही नहीं दे रहा है, अपितु सारे संसार को यह चुनौती दे रहा है । इस चुनौती को संसार को स्वीकार करना चाहिए और भारतवर्ष को इस के माध्यम से संसार को सूचित कर देना चाहिए कि यह खतरा भारतवर्ष पर ही नहीं होगा अपितु सारे संसार पर आ रहा है ।

जहां तक सुरक्षा मंत्रालय की भूल की बात आती है, मैं समझता हूं कि यह हमारे शासन की नीति रही है कि जब कोई मारे तो फिर बड़े बन कर क्षमा कर देना, यद्यपि स्वयम् मारने की ताकत हम में है या नहीं यह नहीं देखना, लेकिन दुनियां को दिखाना कि हम बड़े रहे हैं इसलिए क्षमा कर रहे हैं । लेकिन वास्तव में बात यह है कि क्षमा तभी शोभा देती है जब हम में से उसे मारने की ताकत हो जिस को हम क्षमा कर रहे हैं । लेकिन यदि हम में मारने की ताकत नहीं है तो हमारे क्षमा करने का कोई मूल्य संसार में नहीं हो सकता है । अब हमें अधिक दिनों तक क्षमा का दम्भ नहीं करना चाहिए । संसार में शांति का नारा, पंचशील का नारा बड़ा उत्तम नारा है, यह मैं मानता हूं, लेकिन पंचशील का प्रभाव सुरक्षा मंत्रालय पर नहीं होना चाहिए, पंचशील का प्रभाव संसार पर पड़ना चाहिए । लेकिन पंचशील के माने यह नहीं होने चाहियें कि जब देश पर कोई आक्रमण हो तब भी हम पंचशील का नारा लगाते जायें । यही स्थिति हुई थी जिस समय पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर आक्रमण किया था, जब हमारी फौजों ने अपनी अपूर्व शक्ति और सामर्थ्य का प्राकट्य किया था और संसार को दिखा दिया था कि भारत के नवयुवक युद्ध में पीछे नहीं रह सकते । उस समय सीज फायर आडर नहीं होना चाहिए था । समूचा कश्मीर अपने हाथ में करने के पश्चात् दुनियां से पूछना चाहिए था कि अन्याय कौन कर रहा है । हम ने स्वयम् शान्ति का प्रदर्शन कर के, खतरा मोल ले कर, पाकिस्तान को अपने को मारने का आमंत्रण दे दिया था, चाइना को भी हम ने अपने को मारने का आमंत्रण दे दिया । यह वह भूल है जिस का परिणाम हमें इस समय भुगतना पड़ रहा है, और यदि इस समय हम ने गम्भीरतापूर्वक सोच कर पग नहीं उठाया तो इससे ज्यादा भयानक परिस्थिति इस के कारण निर्मित हो सकती है और उस का कुफल समूचे देश को भुगतना पड़ सकता है । यहां एक आध व्यक्ति का सवाल नहीं है, न यहां कोई श्री कृष्ण मेनन का सवाल है और न जावाहरलाल जी का सवाल है । जवाहरलाल और मेनन दोनों ही भारत माता के सपूत हैं और ऐसे अनेकों सपूत पैदा होते रहेंगे यदि भारत माता जिन्दा रही है और यदि उसका अन्त कर दिया गया तो न मेनन का सवाल है और न जवाहरलाल का प्रश्न है । इसलिए भारत को सुरक्षित रहना चाहिए । एक आदमी के क्रिटिसिज्म का प्रश्न नहीं है । सुरक्षा मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक बैठ कर वैदेशिक नीति पर अपने विचार प्रकट कर के निश्चय करना चाहिए कि देश का हित किस में है । आंख मूंद कर, चूंकि हमारे प्रधान मंत्री

कहते है इसलिए हम भी वही कहते जायें, यह कोई शोभा की बात नहीं है। हमें निश्चित करना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है।

यह ठीक है कि चीन के प्रधान मंत्री पधार रहे हैं, बात चीत होगी, लेकिन कोई महत्व का तथ्य निकलने वाला नहीं है। यह हमारे प्रधान मंत्री भी स्वयम् स्वीकार कर चुके हैं। वे यहां क्यों आयेंगे इस का कारण स्पष्ट है। लक्षण बता रहे हैं कि वे यहां पर आ कर क्या करेंगे। वे दुनियां को दिखाना चाहते हैं कि आक्रमण हम ने नहीं किया, हिन्दुस्तान ने किया है। फिर भी हम कुछ देने के लिए तैयार हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक तो हमारी भूमि पर अधिकार कर लिया और दूसरी ओर सज्जनता और सौजन्यता का भाव संसार के सामने प्रकट करना चाहता है। मगर दैवो दुर्बल घातक। दुर्बलता में कहीं कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए हमें सब से अधिक धन देश की सैनिक शक्ति को अधिक सशक्त बनाने के लिए देना चाहिए।

बार बार हमारे बीच में वा ुमंडल पैदा किया जाता है कि विरोधी दल वाले गवर्नमेंट को गलत या सही रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। प्रजातंत्र में यह होता है, लेकिन जैसे हम ने पंचशील का उद्घोष किया, जैसे हमारे वन्धु बैठे-बैठे कहते हैं कि हम ने चर्खे से अंग्रेजों को भगा दिया तो फिर पाकिस्तान से डरने की क्या बात है, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि श्रीमान् आप चाइना से क्यों डर रहे हैं? जब पाकिस्तान से डर नहीं था तो चाइना से भी मत डरिये। जब हम ने ब्रिटिशर्स को चर्खे से भगा दिया तो इस चाइना को तकली से भगा देंगे। न कभी चर्खे और तकली से शत्रु भागे हैं और न भाग सकते हैं। यह उद्घोष तो व्यर्थ है कि बिना खून बहाये हम ने हिन्दुस्तान को आजाद किया। हम ने रक्त दिया है, हम को रक्त देना है, हम रक्त दान कर सकते हैं और रक्त दान करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम रक्त दान नहीं करेंगे यह कहना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। दुष्ट के सामने हमें अपना रक्त बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उस का रक्त गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कोई ऐसे अहिंसक नहीं हैं कि कोई शत्रु हम पर चला आये, हमें मार कर खा जाये और हम शांति का पाठ पढ़ते रहें। जो बर्बरता करे, जो दुष्टता करे, अत्याचार करे, उस के सामने हमारी फौज, हम सब सशक्त रूप में सामने खड़े रहें, उस का मुकाबला करेंगे, यह भावना होनी चाहिए।

इस दृष्टि से देश में इस समय अनिवार्य सैनिक शिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सारे देश में सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रत्येक नवयुवक के मन में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि हमारी मातृ भूमि के लिए हमारे नेताओं ने घोर परिश्रम कर के जो स्वतंत्रता प्राप्त की, उस की रक्षा के लिए हमें सब कुछ बलिदान करना है। अब बंगाल की भूख का जिक्र नहीं करना है, उड़ीसा में कोई तड़प रहा है, इस का जिक्र नहीं करना है, अब हमें अपने देश की रक्षा के लिए प्राण देने हैं, यह भावना होनी चाहिए। आज छोटी छोटी चीजों के लिए, चपरासीगिरी के लिए लोग लड़ रहे हैं, कोई कोटे परमिट के लिए लड़ रहे हैं, कोई मोटर और कार के लिए लड़ रहे हैं और उधर से हमारा शत्रु चला आ रहा है। हमारे देश का ऐसा हाल हो रहा है कि हर एक आदमी कोटे कारखाने में इस तरह से उलझा है जैसे कि ईद का बकरा आराम से खाये जाता है, उसे पता नहीं होता कि दूसरे दिन उस की बलि चढ़ने वाली है। शरीर को दर्पण में देखते हैं कि हम कितने मोटे हो गये हैं लेकिन यह पता नहीं कि लाश गाड़ी जायेगी तो जमीन ज्यादा लगेगी और फूंकी जायेगी तो लकड़ी ज्यादा लगेगी। कोई लाभ होने वाला नहीं है, इस तरह से विचार नहीं कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा किस प्रकार हो सकेगी।

[पंडित ब्रज नारायण 'ब्रेजश']

आजादी किसी प्रकार भी आई, जो लाये उन को धन्यवाद है। जिन्होंने यह प्रयत्न किया वे सब बधाई के पात्र हैं, उस में हमें झगड़ा क्या करना है, लेकिन अब जो चीज आ गई है, उस की रक्षा कैसे हो यह प्रश्न हमारे सामने है। इस के लिए अर्थ मंत्री का और सुरक्षा मंत्री का, दोनों का सहयोग होना चाहिए। यदि अर्थ मंत्रालय के साथ सुरक्षा मंत्रालय नहीं मिल सका, यदि इन दोनों में यह मेल मिलाप नहीं हुआ तो अर्थ की जगह अनर्थ और सुरक्षा की जगह आपत्ति आ कर खड़ी हो जायगी। सलिए इस समय अधिक से अधिक पैसा सुरक्षा में लगना चाहिए।

सुरक्षा मंत्रालय का काम भी इस समय यह नहीं होना चाहिए कि मूली पैदा करने के लिए सिपाही खेत गोड़ रहे हैं और वे इतनी बड़ी मूली पैदा करने लगे हैं। जब हम ही मूली बन जायेंगे तो उस मूली को खायेगा कौन ? मैं तो कहता हूं कि इस समय सुरक्षा मंत्रालय को मूली नहीं पैदा करनी चाहिए, सुरक्षा मंत्रालय को सब से अधिक शस्त्र उत्पादन का काम करना चाहिये। सब से अधिक शस्त्र पैदा किये जाने चाहियें और वे शस्त्र पैदा किये जाने चाहियें जो चाइना का मुख मोड़ सकें, जो चाइना को सबक सिखा सकें। हमें यह देखना पड़ेगा कि हिमालय की चोटी पर हम उड़ान कर सकते हैं या नहीं और उड़ाने कर के ऊपर से बम्बार्डमेंट करके चाइना को हिमालय के भीतर कब्र में पहुंचा सकते हैं या नहीं। क्या चाइना ने समझ लिया है कि हिन्दुस्तान के लोग ऐसे हैं, सचमुच बुद्ध भगवान के चेले हैं और हम उन को खा जायेंगे, एक प्रदेश तो खा ही लिया और दूसरे प्रदेश खा लेंगे। चेले को तो हम ने खा लिया, गुरू को भी खा लेंगे। बुद्ध भगवान के दूसरे चेले हैं गांधी जी। बुद्ध भगवान को खा लेंगे तो गांधी जी कहां बचेंगे ? गांधी जी का नारा लगाने से क्या होगा ? अगर बुद्धवाद खत्म हो जायेगा तो गांधीवाद उस के बाद खत्म हो जायेगा, उस का पता ही नहीं चल सकेगा। बुद्धवाद की ही शाखा है गांधीवाद उस का प्रयोग राजनीति में करने से काम नहीं चलेगा। जब अशोक अहिंसा द्वारा अपनी राजनीति को नहीं बचा सका तो हम कैसे अहिंसा द्वारा अपनी राजनीति को बचा सकेंगे ?

अब सहयोग के माने यह नहीं होते हैं कि बकरी शेर के साथ सहयोग करे क्योंकि बकरी अगर शेर के साथ सहयोग करे तो शेर बकरी को खा जायेगा। सह अस्तित्व के माने यह नहीं होते कि तुम अकेले रहो और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाय। हम सहयोग करते हैं, अच्छे काम के लिए हम सहयोग करेंगे लेकिन बुरे काम के लिए हम सहयोग नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा शान्ति पकड़ेंगे तो चीन को इतना भयानक और इतना दुष्ट बना देंगे कि वह खाली हम को ही नहीं खायेगा बल्कि न जाने कितनों को खा जायेगा। दूसरों के प्राण बचाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा यह खाली अपने ही प्राण रक्षा का प्रश्न नहीं है। इस दृष्टि से सुरक्षा मंत्रालय को अधिक से अधिक पैसा मिलना चाहिए। जो उन्होंने मांग की है उसके लिए मेरा कहना है कि वह कम है और स्वीकृत धनराशि में से जो उन्होंने खर्च नहीं किया यह उनकी अदूरदर्शितापूर्ण नीति है और जो उन्होंने बचाया यह उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। एक पाई भी उन को बचाना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मांग करनी चाहिए। और कोई न दे तो हमारे कान में कह देना चाहिए और हम सदा आवश्यक धनराशि को दिलवाने के लिए तैयार हैं। आखिर भारत की सुरक्षा यदि कायम नहीं रहेगी तो फिर यह भाखड़ा बांध किस काम में आयेगा और उसका लाभ कौन उठायेगा ? यह जो बड़े बड़े उत्पादन के कार्य हो रहे हैं और देश के लोग नंगे भूखे रह कर पैसा देकर और टैक्स देकर अर्थ मंत्रालय को अपना पेट काट कर सम्पन्न बना रहे हैं तो उसका उपयोग किस के लिए होगा ? उस पैसे का उपयोग

हमारी सेना पर होना चाहिए ताकि हमारे देश की सुरक्षा पर आंच न आने पाये और वह तभी होगा जब सुरक्षा मंत्रालय समृद्ध होगा, सशक्त होगा और युद्ध करने में निपुण होगा। हमारी सेनाओं को युद्धकला में अधिक से अधिक निपुण होना चाहिए। इसलिए इस दिशा में सुरक्षा मंत्रालय जो कार्य कर रहा है और जो प्रयत्न कर रहा है वह स्वागत योग्य है और उसके लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। सिपाहियों को कुछ भी कहने का हमें अधिकार नहीं है क्योंकि वह सदा से देश के खातिर प्राण देते रहे हैं और आज भी उन्होंने अपने प्राण देकर दिखा दिया कि देश की रक्षा के खातिर वह अपनी जान की भी पर्वाह नहीं करते। चीन ने हमारे साथ कृपा की कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय को उनके जन्म दिन पर हमारे लोगों की लाशें भेज दीं और हमारे गौरव और सम्मान को इससे अधिक और क्या धक्का होगा। अब हम अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म को भूल गये हैं। अब सब से प्रथम श्रावणी कर्म में मस्तिष्क को पवित्र करना होता है और नया यज्ञोपवीत आदि धारण करना होता है और नवरात्रि में नौ दिन तक दुर्गा माता का आराधान करके विजयदशमी के दिन सीमोउल्लंघन करते हैं लेकिन आज मुझे इस बात का खेद है कि हम सीमोल्लंघन करना भूल गये और शत्रु हम पर सीमोउल्लंघन करके आता है तो हम शान्ति, अहिंसा और चर्खे के गीत गाते हैं लेकिन मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूं कि यह भेड़िया शान्ति के गीत से नहीं मानने वाला है। शान्ति के गीत सज्जनों में होने चाहिएं लेकिन बर्बरों के सामने तो सीना तान कर खड़ा हो जाना चाहिए और क्षात्र धर्म का पालन करना चाहिए। यह दोनों रूप हमारे सामने हैं। गुरु नानक को मस्तिष्क में रख कर और गुरु गोविन्द सिंह को भुजाओं में रख कर जिस दिन हमारे देशवासी और जवान खड़े हो जायेंगे उस दिन निश्चय जानिये संसार हमको गुरु के रूप में स्वीकार करेगा। वह ब्राह्मण और क्षात्र धर्म दोनों साथ में होने चाहिएं।

"न ब्रह्म क्षात्र मृघ्नोति न क्षात्रम् ब्रह्म वर्धते।

ब्रह्म क्षात्रंच सम्प्रक्त मिह चामुच वर्धते"॥

न तो अकेले पंडित जी बनने से काम चलेगा और न अकेले ठाकुर साहब बनने से ही काम चलेगा क्योंकि ठाकुर साहब और ज्यादा पी कर घर वालों को ही मारने पर लग गये तो घर का सत्यानाश हो जायगा और पंडित जी अगर वाममार्गियों के सामने वेद पाठ करते रहे तो भी मामला चौपट हो जायगा। इसलिए ब्रह्म और क्षात्र शक्ति इन दोनों का समन्वय करना होगा। हमको शक्ति के साथ शस्त्र को जोड़ना पड़ेगा लेकिन जो शान्ति भंग करेगा उस पर हम शस्त्र प्रयोग करेंगे और जो शान्ति रक्खेगा उसकी रक्षा के लिए हम शस्त्र लेकर खड़े रहेंगे। इस भावना के साथ हमें अपने पंचशील का प्रयोग, उपयोग और उद्घोष करना चाहिए। इस के विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए।

मैं सुरक्षा मंत्रालय से केवल एक ही निवेदन करूंगा। मेरा भी उससे कुछ सम्बन्ध चला आता है। जहां तक सुरक्षा मंत्रालय के मंत्री और उपमंत्री महोदय का सवाल है मैं समझता हूं कि स्वभाव से वे बड़े सुन्दर हैं, गम्भीर हैं और उदात्त हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने फौजियों की समस्याओं आदि को देखते और समझने का प्रयत्न भी करते होंगे और मुझे तो इस मंत्रालय की वर्किंग आदि के सम्बन्ध में उतने भीतर जाने का काम नहीं पड़ा है तो भी मेरे पास साधारणतया जो कुछ जवानों की आपत्तियां आई हैं वे इस प्रकार की हैं और मैं समझता हूं कि उस तरह की स्थिति समूचे देश में ही हो गई है कि ऊपर के अफसरान की जो लेविल है वह पूंजीवादी बन गई है और नीचे के जवानों और अफसरान की लेविल साम्यवादी संगठन बन गया है और दोनों में जो एक सहयोग और एकरूपता होनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती है। नीचे की साम्यवादी लेविल वाले असन्तुष्ट प्रतीत होते हैं और वे यह भीतर ही भीतर कानाफूंसी करते हैं कि देखिये इन बड़े अफसरान को तो १०—१० रुपये रोज मिलते हैं लेकिन हमको केवल १ ही रुपया मिलता है। इसी तरह फौजी जवानों

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

को जो राशन मिलता है तो उसमें भी काफी गड़बड़ चलती है। अब लड़ाकू लोग जो होते हैं अगर इनको खूराक अच्छी मिले तो यह मैदान में जान की बाजी लगा कर लड़ते हैं और जिस तरह एक पहलवान को दूध और मक्खन चाहिए और अगर उसको काफी दूध और मक्खन न मिले तो वह अखाड़े में उतरना पसन्द नहीं करेगा। ठीक वही हालत उनकी भी है। फौजियों को बढ़िया राशन मिलना चाहिए लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और फौजियों को जो बढ़िया राशन मिलना चाहिए उसको ठेकेदार बीच में खा जाता है और थर्ड क्लास माल वहां पर सप्लाई करता है। अब फौज के सिपाही को यदि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो वह दुश्मन से तबियत से लड़ेगा कैसे। जाहिर है कि जिसका खायेगा उसका गायेगा, अच्छा खाना खायेगा तो अच्छा बजायेगा और अच्छी मार लगायेगा। अगर उसको खूराक बढ़िया नहीं दी जायेगी तो वह अच्छी मार नहीं लगा पायेगा। इसलिए हमारे फौजी जवानों को राशन फर्स्ट क्लास का मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिए। अब शुद्ध घी तो मिलता नहीं है लेकिन उनको यह बंद डालडा का डिब्बा भी नहीं जाता है और पता नहीं कौन सा घटिया किस्म का वेजीटेबुल आयल जाता है। अब वेजीटेबुल आयल को कलर करने की बात चल पड़ी है तो मेरा कहना है कि देश का कलर खरा ब है और उसके कलर को बदलना चाहिए। अभी तो कलर गड़बड़ है। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे जवानों को घी अच्छा मिलना चाहिए, दूध अच्छा मिलना चाहिए और जो अंडे खाते हैं उनको अच्छे अंडे मिलने चाहिएं और जो मांस खाते हैं उनको खाने को अच्छा मांस मिलना चाहिए। अब यह दूसरी बात है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं मांस नहीं खाता लेकिन हमारे क्षत्रियों को यदि वे मांस खाना चाहें तो उनको मांस खाने का निषेध नहीं होना चाहिए जो मांस खाता है उसको मांस मिलना चाहिए लेकिन इसके साथ ही यह भी कहूंगा कि जो मांस नहीं खाते हैं उनको जबर्दस्ती खिलाना भी नहीं चाहिए। अब इसके लिए यदि यह कहा जाये कि हम दिल्ली में स्लाटर हाउस खोलें और वहां पर गाय आदि काटें और स्लाटर हाउस यदि गायें काटने के लिए खोलेंगे तो यह मरने का लक्षण है। बकरी और भैंस यह दोनों कायरता और मूर्खता की प्रतीक हैं और इनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। जब तक मूर्खता और कायरता की बलि नहीं चढ़ायेंगे तब तक शक्ति का अर्जन नहीं होगा। भैंसा मूर्खता का प्रतीक है। फ्रंटियर मेल चला आ रहा है लेकिन उसको पता नहीं चलता और वह कट कर उसके सामने मर जाता है। हार्न दो लेकिन वह ध्यान नहीं करता है तो मैं कहूंगा कि यह भैंसे रूपी मूर्खता हमारे लिए ठीक नहीं है। उस को मालूम नहीं कि चीन आ रहा है या रूस आ रहा है और इसलिए मैं कहूंगा कि यह मूर्खता ठीक नहीं है। यह मिमयाना और गिड़गिड़ाना गलत बात है क्योंकि याद रखिये बुजदिल आदमी संसार में खड़ा नहीं रह सकता है और हमें शक्ति का अर्जन करना होगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सेना के लोगों का जब ट्रान्सफर होता है तो उन के बच्चों को स्कूलों में ६–६ महीने तक दाखिला नहीं मिलता है। अब जो हमारे लड़ने वाले फौजी जवान हैं उन को अपने परिवारों की ओर से हर तरह निश्चित होना चाहिये तभी वे दिल से देश की सेवा कर सकेंगे और अपनी जान की बाजी लगाने में भी दरेग नहीं करेंगे। अगर उस को यही चिन्ता बनी रहे कि उस के परिवार का क्या होगा और उस की पत्नी का क्या होगा तो वह देश के लिये मर नहीं सकता है। प्रत्येक योद्धा को यह विश्वास होना चाहिये मेरी संतान और मेरे घर वालों के पीछे मेरा देश है और मेरे परिवार के लालन पालन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि की राष्ट्र द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी और ऐसा होने पर ही वह उत्तमतापूर्वक आगे बढ़ कर अपनी जान की बाजी लगाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। शिक्षा मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय में सहयोग होना चाहिए और हर प्रकार की शिक्षा आदि की सुविधायें फौजी जवानों के परिवार वालों को मिलनी चाहिये। देश में ऐसे वायमंडल का हमें निर्माण करना चाहिये जिस में ऐसे लोग जोकि बेकार हों और जिन

के पास रोजी कमाने का कोई धंधा न हो उन को यह समझ में आना चाहिये कि उन को देश की फौज में भरती हो कर देश की रक्षा करनी चाहिये। हमारे देश में इस तरह का वायुमंडल पैदा होना चाहिये। कोई आदमी रोता भी है और अगर उस को नौकरी नहीं मिलती है तो उस को पकड़ कर फौज में भरती कर देना चाहिये और उस से यह कह देना चाहिये कि फौज में क्यों नहीं भरती हो जाते और इस तरह बेकार भूखे क्यों मरते हो। भूखे मरने के बजाय फौज में भरती होना अच्छा है। तुम हम पर लदे हुए हो और उधर शत्रु भी लदा चला आ रहा है तो क्यों नहीं फौज में भरती हो कर देश का कल्याण करते। देश में ऐसे वायुमंडल का निर्माण होना आवश्यक है जिस में प्रत्येक नवयुवक को स्कूल में फौजी शिक्षा दी जाये। स्कूलों में लड़कों को कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जो लोग रिटायर हो गये हैं उन सब को वापिस बुला लेना चाहिये और आधी तनख्वाह तो उन्हें पेंशन के रूप में दे ही रहे हैं तो आधी और मिला कर उन को काम पर क्यों न लगाया जाये और उन से काम क्यों न लिया जाय क्योंकि जैसे सत्यानाश वैसे साढ़े सत्यानाश। दरिद्रता तो आई ही हुई है और ज्यादा आ जायेगी उस में बिगड़ता क्या है।

हम ने अखबारों में पढ़ा था कि करोड़ों रुपये की गाड़ियां ऊपर शैड न होने के कारण बेकार हो गईं और यदि इस प्रकार पैसा बर्बाद हो तो कैसे काम चलेगा। हमारी साधन सामग्री जो नष्ट हो रही है तो उस को रोकने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। साधना होनी चाहिये, साधना के साथ साथ भावना होनी चाहिये और प्रस्तावना होनी चाहिये तभी कामना पूरी होगी लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता ह कि न साधन है न भावना है केवल प्रस्तावना है। कार्य की सिद्धि के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि जो साधन हम को प्राप्त हैं उन साधनों को ठीक से बरता जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री की दूसरी बातों की चर्चा करने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूं ताकि उस को मैं भूल न जाऊं। काफी अर्सा हुआ कि पटियाले से एक बहिन ने लिखा था कि फौज के जो पेंशन के कायदे है, उनमें एक कायदा यह है कि अगर किसी विधवा को पेंशन दी जाती है, और अगर वह दूसरी शादी कर लेती है तो वह पेंशन बन्द हो जाती है। लेकिन अगर वह अपने पति के खानदान में ही दूसरी शादी कर ले तो उसे पेंशन मिलती रहती है। उस बहिन ने लिखा है कि इस कायदे की वजह से हम को उसी खानदान के किसी आदमी से शादी करने के लिये मजबूर किया जाता है, चाहे वह पति का छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, या दूर का भाई हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उस बहिन ने लिखा था कि बहिनों को इस मजबूरी से बचाने के लिये पेंशन के इस कायदे को बदलना चाहिये। मैं समझ ती हूं कि पेंशन का शादी से इस तरह ताल्लुक करना कि वह घर में किसी से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, शादी करने के लिये मजबूर की जाये, बहुत नामुनासिब है, और इस पर मिनिस्टर साहब गौर करें।

वक्त बहुत कम होने की वजह से मैं यह सोचती हूं कि उसी बात के बारे में कुछ कहूं कि जिसे दूसरे भाइयों ने कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बार्डर के बारे में जो भी हमारे मिनिस्टर साहब की पालिसी रही है और उस के बारे में जो उन्होंने भाषण दिये हैं, उन के लिये मैं उन को आज मुबारकबाद देती हूं। कभी कभी ऐसा इम्तिहान का वक्त आता है कि उस वक्त में मुल्क की परीक्षा होती है, मुल्क में रहने वालों की परीक्षा होती है, सरकार की परीक्षा होती है और जो जिम्मेदार होता है उस की भी परीक्षा होती है। उन पर मुखालिफ लोगों के कहने का असर नहीं हुआ और उन्होंने देश के अन्दर वारमांगरिंग का काम नहीं किया। अगर मिनिस्टर साहब उस वक्त कमजोरी दिखाते और जिस तरह से उन्हों ने काम किया उस तरह से न करते तो, आज जब एक तरफ से हमारे मुल्क

[श्रीमति सुभद्रा जोशी]

पर चीन की तरफ से मुसीबत की घटायें आ रही हैं, एक दूसरी मुसीबत की घटा और हमारे ऊपर आती और देश के बड़े-बड़े पैसे वाले, बड़े-बड़े सरमायेदार और बड़े-बड़े व्यापारी, अगर हमारे डिफेन्स मिनिस्टर नासमझी से काम लेते या हमारे प्रधान मंत्री नासमझी से काम लेते, उस का फायदा उठा कर कीमतों को जो पहले से ही बहुत बढ़ी हुई हैं और भी बढ़ा देते और लोगों के लिय मुश्किल हो जाती ।

जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, हो सकता है कि वह तकली और चरखे से रक्षा न हो सकती हो, लेकिन वह भाषणों से भी नहीं हो सकती । वह रक्षा सामान से होगी, हथियार बनाने से होगी, देश में आवश्यक चीजों के बनाने से होगी । आज कौन नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान की रक्षा हो, आज देश का बच्चा-बच्चा चाहता है कि देश की रक्षा हो, कौन नहीं चाहता कि यहां पर हथियार बनाये जायें, कौन नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छे से अच्छे हथियार हों, लेकिन इस वक्त देश के अन्दर खतरा पैदा किया जाय या खौफ पैदा किया जाय तो यह देश के लिये अच्छा नहीं होगा । हमारे साथी डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि हम को अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिये । यह ठीक है कि कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिये लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि हर वक्त अपनी कमजोरी को प्रकट कर दिया जाये । ऐसा करना हमेशा देश के लिये अच्छा नहीं होता ।

डा० राम सुभग सिंह : लड़ने की बात करिए न ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : एक माननीय सदस्य ने कहा कि सहयोग का मतलब यह तो नहीं कि हम दुश्मन के सामने बकरी की तरह बन जायें ताकि दुश्मन हम को खा जाये । लेकिन यह कौन कहता है कि दुश्मन के आग बकरी बन जायें, हमारी डिफेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब तो यह कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिये, वह तो यही कहते हैं कि जहां तक हो सके कोशिश की जाये कि हम को युद्ध न करना पड़े । और अगर कोशिश नाकामयाब होगी तो हिन्दुस्तान का कोई आदमी यह नहीं कहता कि हम दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे । लेकिन यह तो कहना ठीक नहीं कि कोशिश ही न की जाये । चीन के प्रधान मंत्री हमारे यहां बातचीत करने के लिये आ रहे हैं । हो सकता है कि कोई नतीजा न निकले और हो सकता है कि कोई नतीजा निकल भी आये । मैं तो चाहूंगी कि इस का नतीजा निकले । हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हो सकता है कि कोई नतीजा न निकले लेकिन कोशिश तो कर लेनी चाहिये । लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जोकि आज देश में गलत वातावरण पैदा कर रहे हैं, और चीनी प्रधान मंत्री के बायकाट करने का प्रचार किया जा रहा है । मैं आप से कहती हूं कि अगर तकली और चरखे से इस मसले का फैसला नहीं हो सकता तो जो ये बातें की जा रही हैं इन से भी फैसला नहीं हो सकता । आज दिल्ली में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं । एक बात कही जा रही है, उस से आप अन्दाजा लगायें कि उन को देश के डिफेन्स के बारे में क्या खयाल है । जैसेकि पंजाब में कुछ अनपढ़ आदमियों को यह कहा गया था कि सरकार पानी से बिजली निकाल लेती है इस से उस की ताकत निकल जाती है, इसी तरह से दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि चाउ-एन-लाई को आज बुलाया गया है उन का स्वागत भी होगा, लेकिन अगर वह वापस जाने से इन्कार कर दें तो फिर क्या होगा, उस वक्त कितनी मुश्किल हो जायगी । कहा जा रहा है कि चाऊ-एन-लाई को प्रधान मंत्री ने बुलाया है, लेकिन अगर उन्हों ने बाद में कह दिया कि मैं नहीं जाता तो क्या होगा । केरल में तो बैठ ही सकते हैं । उस हालत में गवर्नमेंट क्या करेगी । मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की बातें फैलाने से तो देश की रक्षा नहीं हो सकती । तो मैं अदब से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सवाल को बार-बार उठाना ठीक नहीं है कि जब हमला हो रहा था, बारडर इंसीडेंट हो रहे थे, उस वक्त डिफेन्स मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया इस का क्या

कारण है । इस बारे में बार-बार इस हाउस में बयान हो चुके हैं, स्टेटमेंट दिये जा चुके हैं, कि पहले बारडर की रक्षा डिफेंस के हाथ में नहीं थी, होम मिनिस्ट्री के हाथ में थी या सिविल आथारिटीज़ के हाथ में थी । यह सब होने के बाद भी अगर कोई उसी बात को बार-बार दुहराता रहे तो यह मेरी समझ में नहीं आता । जब-जब जरूरत समझी गयी और जब उस की रक्षा का सवाल उठा तो उस बारडर का काम डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया और मुझे शुबहा नहीं कि डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को करेगी ।

इसके बाद जो हमारे साथी हमारी आर्डनेंस फैक्टरियों में काम कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं । और मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को भी मुबारकबाद देती हूं कि जो हमारे लोग आर्डनेन्स फैक्टरियों में काम कर रहे थे उन को और भी काम करने का मौका .दया गया । एक वक्त था कि हमारी १९ आर्डनेन्स फैक्टरियों में उन को मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी जो थी उस का २५ या ३० फीसदी काम होता था, लेकिन आज उन की मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी का ४२ से ४५ पर सेंट तक काम उन में हो रहा है । जो कुछ सारा काम हो रहा है उस को मैं यहां नहीं बतलाना चाहती क्योंकि वह इस रिपोर्ट में दिया गया है । आज इन आर्डनेन्स फैक्टरियों में अच्छी से अच्छी चीजें बन रही हैं । मिनिस्ट्री ने जो एवरी ७४८ बनाया है और उस के लिये जो प्लांट लगाया है उस के लिये मैं मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देती हूं । लेकिन प्राइवेट सैक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि इस के लिये जो राल्स राइस का इंजन बनाया गया है वह इस में फिट नहीं होगा । मैं चाहूंगी कि मिनिस्टर साहब इस के बारे में अपना बयान दे दें, ताकि लोगों के दिल से यह सन्देह दूर हो जाये ।

मैं मिनिस्ट्री को इस के लिये भी मुबारकबाद देती हूं कि उस ने ट्रक्स और ट्रैक्टर तैयार कराए । बड़े-बड़े पूंजीपति लोगों को हम ने लाखों और करोड़ों रुपया दिया लेकिन उन्हों ने हम को कोई भी चीज बना कर नहीं दी । आज डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ चीजें बना रही है तो कहा जाता है कि तुम ने यह ठीक नहीं बनाया, वह ठीक नहीं बनाया, कोई कहता है कि तुम ने छोटी बन्दूक नहीं बनाई, और जो चीजें बनाई गई हैं उनके लिये कहा जाता है उन में यह काम ठीक नहीं किया वह काम ठीक नहीं किया । अगर आज एक चीज ठीक नहीं बनी है तो कल ठीक बनेगी । लेकिन इस का मतलब यह तो नहीं है कि हम हमेशा दूसरों को रुपया देते चले जायें और कभी अपनी चीजों के लिये सेल्फ सफीशेंट न हों । आप ने जो शक्तिमान बनाया उस के लिये मैं मुबारकबाद देती हूं । और भी दूसरी चीजों का जो उत्पादन बढ़ गया है उस के लिये भी वह बधाई के पात्र हैं ।

मैं यह भी अर्ज करूंगी कि हमारे यहां अगर इन आर्डनेन्स फैक्टरियों को अलग-अलग राज्यों में डिसेंट्रलाइज़ कर दिया जाये तो उस से ज्यादा फायदा होगा । दूसरे राज्यों के लोगों को भी इनमें काम करने का मौका मिलेगा ।

इस के अलावा जो इलेक्ट्रानिक लिमिटेड ने काम किया है उस की भी आज चर्चा हुई है । मुझे मालूम है कि कुछ गलतियां भी हो रही हैं, मगर सब से बड़ी बात देखने की यह है कि यह आगे की तरफ जा रहे हैं या नहीं । इस बार पहली दफा है कि लोगों को प्राफिट होने की उम्मीद है, यह हमारी रिपोर्ट में दिया गया है । सोलह से भी ज्यादा नई चीजें आज वे लोग बनाने लगे हैं । १९६०-६१ के लिये उन का जो टारगेट था, उस को वे बहुत पहले पूरा कर चुके हैं और टारगेट से भी ज्यादा दूसरी चीजें बनाने लगे हैं । जो चीजें वे बनायेंगे, उन में से पचास साठ परसेंट चीजें डिफेंस सर्विसेज़ के लिये होंगी ।

इसी तरह से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट वाले जितनी चीजें बना रहे हैं, हम लोग उन को भूल जाते हैं । यह कहा जाता है कि वे यह चीज़ नहीं बनाते, वह चीज़ नहीं बनाते । कौन कहता है कि

[श्रीमति सुभद्रा जोशी]

बे न बनायें ? लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दम सारी चीजें बन जायें, यह एक अच्छा ख्वाब है, लेकिन वह ख्वाब एक दिन में पूरा नहीं हो सकता है।

जो "अमर" हाउसिंग स्कीम डिफ़ेंस मिनिस्ट्री ने बनाई, वह सारे देश के लिए गौरव की बात है। जैसा कि मैं ने आप से कहा है, हिन्दुस्तान में जो वेस्टिड इन्ट्रस्टेस हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वे इन बातों से नाराज़ हैं। अभी हाल ही की बात है कि जब फौज बार्डर का चार्ज लेने के लिए आसाम भेजी गई, तो वहां के बड़े-बड़े ठेकेदार बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि फौज यहां पर आ रही है, हम को बड़े-बड़े ठेके मिलेंगे, कंस्ट्रेक्शन के बड़े-बड़े काम मिलेंगे। लेकिन जब हुक्म हुआ कि मिलिटरी सब सामान, बिल्डिंग वगैरह खुद बना लेगी, तो वे लोग रोज़ डिफ़ेंस मिनिस्ट्री और डिफ़ेंस मिनिस्टर को गालियां देने लगे। मुझे इस में कोई शुबहा नहीं कि अगर उन लोगों से पूछा जाये, तो वे कहेंगे कि यह मिनिस्ट्री चाइना से हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं कर सकती है। बात यह है कि वे लोग नहीं बोलते हैं, उन के पैसे का इन्ट्रेस्ट बोलता है।

यहां पर आडिट रिपोर्ट की बहुत चर्चा हुई। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, पर मैं इस बात को समझती हूं कि बहुत सी गलतियां हुई होंगी। कुछ बातों का मिनिस्ट्री जवाब देगी, लेकिन मैं इस हाउस के सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ़ दिलाना चाहती हूं कि बहुत पहले आक्शन कसे होते थे, इस को कौन नहीं जानता है। नई चीज़ आज खरीदी जाती थी और फ़ौरन ही उस को बेकार कह कर आक्शन कर दिया जाता था और उसी चीज़ को कल फिर खरीद लिया जाता था। कानपुर में बारह आने गज़ जो कैनवस बेच दिया गया, उसी कैनवस को उसी ठेकेदार से तीसरे चौथ दिन दो रुपये गज़ के हिसाब से लिया गया। दिल्ली में मैं ने देखा कि बिल्कुल नये प्रैशर कुकर, जो कागज़ से निकले थे, तीस-तीस रुपये पर दिल्ली के कबाड़ी बेच रहे थे। उन को मालूम नहीं था कि चीज़ क्या है। वे पांच रुपये सेर के हिसाब से तीस रुपये का प्रैशर कुकर बेच रहे थे जिस की कीमत चार साल पहले बाज़ार में तीन सौ रुपया थी।

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहती हूं कि जब एम्पलाईज़ की तरफ़ से, या हम लोगों की तरफ़ से कोई बात डिफ़ेंस मिनिस्ट्री के नोटिस में लाई जाती है, तो उस पर कार्यवाही होती है। अभी कानपुर का किस्सा है कि सोलह हज़ार रुपये पर कोई चीज़ आक्शन की गई। जब यह बात मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाई गई, तो उन्होंने उस को स्टे किया और उस के बाद वह चीज़ ६६,००० रुपये में आक्शन हुई। इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना नुक्सान होने वाला था और वक्त पर कार्यवाही से वह बच गया।

यह भी कहा गया है कि जब तक काम करने वालों की—चाहे वे सोलजर्ज़ हों और चाहे आर्डिनेंस फैक्टरीज़ के वर्कर्ज़—तसल्ली नहीं होगी, जब तक वे खुश नहीं रहेंगे, तब तक वे ठीक काम नहीं कर सकते। अभी तक हमारे यहां यह होता था कि डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में, आर्डनेंस फैक्टरीज़ में रिट्रेंचमेंट होती थी। हाउस के सदस्यों को याद होगा कि अभी बहुत पहले की बात नहीं है कि १९५६ में छः हज़ार लोग एक दम से रिट्रेंच कर दिये गये। इस की वजह यह थी कि उन दिनों ज्यादातर काम बाहर दिया जाता था और आर्डिनेंस फैक्टरीज़ में काम करने की कोशिश कम होती थी। मुझ को याद है कि दो साल की बात है कि इतने बड़े वर्कशाप होते हुए भी दिल्ली में बड़े-बड़े ट्रक्स की मरम्मत करने का काम एक ठेकेदार को दिया गया और बेस कमांड के एम्पलाईज़ खाली बैठे रहे। हम ने हुकमत का ध्यान इस तरफ़ दिलाया, तो डिफ़ेंस मिनिस्ट्री ने

समझा कि जब यह काम हम खुद कर सकते हैं, तो कोई वजह नहीं कि इसे ठेकेदारों को दिया जाये ।

पिछले साल कितनी ही स्ट्राइक्स हुईं, लेकिन आर्डनेंस फैक्टरीज़ में स्ट्राइक्स कम हुईं । इस के लिए मैं आर्डिनेंस फैक्टरीज़ के कारीगर भाइयों को मुबारकबाद देना चाहती हूं, जो कि अपने फ़र्ज़ को समझते हैं और समझते हैं कि हम को देश के काम को करना चाहिए ।

इस सिलसिले में मैं एक बात डिफ़ेंस मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहती हूं कि हमारे देश में एक जगह पर एक यूनियन से ज्यादा होना मज़दूरों के लिए हर जगह बहुत खतरनाक बात है । सरकारी महकमों में और खासकर डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में और डिफ़ेंस के कामों में अगर एक से ज्यादा यूनियन्ज़ एक जगह पर बनाई जायेंगी, तो वे देश के लिए तबाही का वायस होंगी, क्योंकि एक यूनियन अपनी मांगें रखे, उन के लिए लड़े, जो कुछ भी करे, यह उस का फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन अगर यूनियन्ज़ में आपस में काम्पीटीशन होता है कि कौन क्या मांगता है, कौन ज्यादा मांगता है, तो फिर डिफ़ेंस का काम, आर्डनेंस फैक्टरीज़ का काम बिल्कुल पीछे हो जायेगा, मुझे इस में कोई शुबहा नहीं है । जो रघुरामैया कमेटी बनाई गई, उस के लिए भी मुझे मुबारकबाद देना है और मैं चाहती हूं कि बड़े कर्मचारियों, सोलजर्ज़ और बाकी लोगों की तन्ख्वाहों का क्या हो, इस पर फ़ौरन कार्यवाही होनी चाहिए । उस की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आये, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संतोष हो और अगर मुसीबत पड़े—और अगर न भी पड़े—तो हमारी आर्मी के लोग अच्छा काम कर के देश की रक्षा कर सकें ।

†श्री मुरारका (झुंझनू) : मैंने इस मंत्रालय के सम्बन्ध में बोलते हुए पिछली बार यह आरोप लगाया था कि 'अधिक सामान मंगाया जाता है, ऊंची कीमतें दी जाती हैं, अधिक भुगतान किया जाता है, गलत माल दिया जाता है तथा सामान के रखने व उसकी निगरानी इत्यादि करने में ढिलाई की जाती है' इत्यादि । मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने आरोपों की प्रमाणों द्वारा पुष्टि करूं । अतः अपने आरोप की पुष्टि करने के लिए मैंने कुछ जानकारी एकत्र की है मैं उसे सभा-पटल पर रखना चाहता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने समय-समय पर जो निदेश दिये हैं उनके आधार पर, यह विवरण सभा पटल पर तभी रखा जा सकता है जबकि एक बार उसका अध्ययन कर लिया जाये । यदि उस में किसी प्रकार अवांछनीय बात नहीं होगी तो मैं उसको पटल पर रखने की अनुमति दे दूंगा ।

†श्री मुरारका : यह विवरण, लोक-लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर तैयार किया गया है उसमें मैंने अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा है ।

अब मैं उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिनका जिक्र इस विवरण में नहीं किया गया है । ऊंची कीमतों के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । १९६० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक वस्तु जिसकी बाजार दर ७२० रु० प्रति टन थी उसकी कीमत २६,००० रु० प्रति टन दी गई है ।

सामान रखने के गलत तरीकों के बारे में यह कहा गया है कि एक आयुध कारखाने में सामान रखने के गलत तरीकों के कारण १.७४ करोड़ की हानि हुई । इस सम्बन्ध में एक जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

समिति बिठाई गई जांच समिति इस परिणाम पर पहुंची कि इस हानि के लिए उक्त कारखाने के प्रबन्धकगण ही जिम्मेदार हैं।

अब मैं निरीक्षण में ढिलाई के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में लिखा है कि ५१.३० करोड़ रुपये के सामान को बेकार घोषित कर दिया गया था। जब इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई तो उसने यह घोषित किया कि केवल २१.१६ करोड़ के सामान को बेकार ठहराया जा सकता है, अवशेष का उपयोग किया जा सकता है।

ठेकों की शर्तें लिखने में जो असावधानी बरती जाती है उसके सम्बन्ध में मैं जीपों के सौदे, भारत इलेक्ट्रोनिक्स और लेवी से किये गये ठेकों का जिक्र करना चाहता हूं।

मुझे दुख है कि पिछली बार मैंने प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान इन अनियमिताओं की ओर इस आशा से दिलाया था कि वे उनमें सुधार करेंगे तथापि उन्होंने इनका सुधार करने के स्थान में इन पर क्षोभ प्रगट किया। इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

अब मैं प्रतिरक्षा उत्पादन के विषय पर आता हूं। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि हम ने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को अपना लक्ष्य मान लिया है। मंत्रालय के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथापि उसमें आंकड़े उत्पादन की मात्रा के न देकर रुपयों में दिये गये हैं इससे सही स्थिति ज्ञात नहीं होती है।

प्रतिवेदन में जिन समझौतों तथा उत्पादन के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग से प्रारम्भ होने वाली परियोजनाओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है वह अपर्याप्त और अस्पष्ट है। सभा में माननीय सदस्यों ने बार-बार इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया है तथापि वह जानकारी केवल इस कारण नहीं दी जाती कि उससे विदेशी सहकारी कम्पनियों के हितों पर आघात होगा। आश्चर्य यह है कि जब ऐसे ठेके अन्य मंत्रालयों द्वारा किये जाते हैं तो उन्हें गोपनीय नहीं रखा जाता है तथा उनका प्रतिवेदन भी सभा-पटल पर रख दिया जाता है, लेकिन जब प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा यह ठेके किये जाते हैं तो उन्हें गोपनीय कहा जाता है। हम ने विदेशी फर्मों के सहयोग से अपने देश में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की है, वे एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। उनके समझौते सभा पटल पर रखे गये और इनसे उनके हितों को किसी तरह से आघात नहीं पहुंचा। अतः मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि संसद् को इन ठेकों के बारे में कितनी जानकारी दी जाय इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों और मंत्री महोदय की इच्छानुसार कुछ नियम बनने चाहिएं तथा इसे विदेशी सहयोगियों की इच्छा पर आधारित नहीं रहना चाहिए।

यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उन ठकों की शर्तों को सभा-पटल पर नहीं रखवाना चाहता जो कि सामरिक महत्व के हैं तथापि वे ट्रैक्टरों या ट्रकों के सम्बन्ध में हुए विदेशी फर्मों से हुए ठेकों को सभा-पटल पर रख सकते हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखना बहुत अच्छी बात है तथापि इस संबंध में हमें तीन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये। पहिला यह कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन का भार सौंपना चाहिय जो कि सामरिक महत्व की हों और जिन का उत्पादन अन्य मंत्रालयों या गैर-सरकारी क्षेत्र को न दिया जा सके। उन्हें नागरिक आवश्यकता

की छोटी-छोटी चीजों को नहीं बनाना चाहिय । उदाहरण के लिये प्रतिरक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंत्रालय जीपों के कुछ अंश तैयार कर रहा है, यदि जीपों का निर्माण करना ही हो तो हमें यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय में करवाना चाहिये ।

प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में यह कहा है कि जब कभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की बात होती है तो मैं चिन्तित हो जाता हूं । मेरे विचार से उन के पद तथा स्थिति वाले व्यक्ति के लिये दूसरे लोगों पर इस प्रकार मिथ्या आरोप लगाना शोभा नहीं देता । मैं पिछले नौ वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं और अपने भाषणों में मैं ने जो कुछ कहा है, मैं आज भी उस का समर्थन करता हूं । यदि वे मेरे भाषणों में से एक भी शब्द ऐसा बता देंगे जिस में मैं ने गैर-सरकारी क्षेत्र का समर्थन किया है तो मैं उन के शब्दों को स्वीकार करने को तैयार हूं । जहां तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं तथापि मैं श्री हेन्सन के इन शब्दों का अनुमोदन करता हूं कि सरकार द्वारा उद्योगों का नियंत्रण हाथ में लिये बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती है ।

†श्री बि० दासगुप्त (पुरुलिया) : श्रीमान्, मैं देश की सशस्त्र सेनाओं को बधाई देने में माननीय सदस्यों के साथ हूं परन्तु मुझे खेद है कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री को इस योग्य नहीं पाता हूं कि उन को बधाई दी जाये क्योंकि वह भारत की सीमाओं की रक्षा करने में असफल रहे हैं । एक बाहरी देश ने हमारों हजारों मील की सीमा पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया है । मेरे विचार से संसार का निर्बल से निर्बल देश भी इतनी आसानी से अपनी भूमि पर दूसरे को कब्जा नहीं करने देता ।

उधर हमारे पड़ासी देश न भारतीय राष्ट्रजनों को मारा, भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार किया, भारतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा और हम ने कुछ नहीं किया । इस के विपरीत आज हम यह सोच रहे हैं कि उस को वैधानिक रूप देने के लिये संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाये । इसलिये हम देखते हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में आज प्रतिरक्षा मंत्री से लेकर मामूली सिपाही तक बौद्ध भिक्षु और अहिंसावादी सत्याग्रही बन गये हैं और कुछ दिनों में मैं समझता हूं कि यह हालत हो जायेगी कि कोई भी देश आक्रमण कर के हमारी भूमि पर कब्जा कर लेगा क्योंकि हम ने तो अहिंसा व्रत ले कर सोच रखा है कि एक भी गोली कहीं पर भी नहीं चलायेंगे । मेरा ख्याल है कि पंचशील की आड़ में यह हमारी कमजोरी के अलावा और कुछ नहीं है ।

मैं प्रतिरक्षा सेवाओं का १९६० का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पढ़ रहा था । प्रतिवेदन में एक वाक्य में स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है । प्रतिवेदन में "दोषपूर्ण आयोजन तथा दूर-दर्शिता की कमी" के कारण हुए कुछ मामलों का उल्लेख है । महालेखा परीक्षक की ये बातें सच हैं और यही वजह है कि हमारी सैनिक शक्ति में कमजोरियां हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय उचित प्रकार से नीति का निर्माण नहीं करता रहा है । इसी कारण हम लोगों को अब सन्देह होने लगा है कि किसी भी आक्रमण से भारत का बचाव यह मंत्रालय करने में समर्थ नहीं है । मैं समझता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनायें खोखली हो चुकी हैं । वायु सेना को लीजिये । कैनबरा विमान दुर्घटना से स्पष्ट हो गया है कि हमारी कितनी शक्ति है । हमारे पास जैट लड़ाकू विमान नहीं हैं जब कि हाल में ही समाचार मिला है कि पाकिस्तान ने अमरीका से बिल्कुल नवीन प्रकार के विमान मंगाये हैं, जो २००० मील की रफ्तार से उड़ सकते हैं और इस प्रकार पाकिस्तान जमशेदपुर तथा बंगलौर के हमारे औद्योगिक क्षेत्रों पर बड़ी आसानी से बम गिरा सकता है । मेरे विचार से हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिये और प्रयत्न करना चाहिये कि नवीनतम प्रकार के विमानों की पंक्तियां हमारी वायु सेना की शोभा बढ़ायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बि० दासगुप्त]

मैं इस बात से सहमत हूं कि विदेशों से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहें परन्तु मैं इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि हम पंचशील सिद्धान्त के द्वारा अपनी सशस्त्र सेनाओं को निर्बल बना दें। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को यंत्रों आदि से बलवान, शक्तिशाली बनाना चाहिये।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि हमें किसी से खतरा है तो अपने आन्तरिक शत्रुओं से खतरा है। हमें उन से समय रहते ही सावधान रहना चाहिये जिस से भविष्य में देश में गड़-बड़ की संभावना समाप्त हो जाये।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं ने अपनी कार्य कुशलता तथा योग्यता का परिचय देश में तथा विदेश में दिया है और इस के लिये हमें उन्हें बधाई देनी चाहिये। परन्तु जो असन्तोष जनता में हम इन के बारे में दिखाई देता है मेरे विचार से वह सैनिकों के प्रति न होकर मंत्रालयों की नीतियों के कारण है। मैं आशा करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री इस बात को समझेंगे और इस के बारे में उचित कार्यवाही करेंग।

माननीय सदस्यों ने इस विवाद में प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं, मुझ इस से मतलब नहीं कि बातें ठीक हैं या नहीं लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिये संसद् की एक गुप्त बैठक बुलाई जानी चाहिये जिस से माननीय सदस्य अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें।

यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिरक्षा सैनिकों का स्तर सर्वोत्तम प्रकार का बना रहे तो हमें उन के वेतन क्रम आदि बढ़ा कर उन को उत्साहित करना चाहिये। आज जीवन निर्वाह व्यय बढ़ जाने के कारण पदाधिकारी समझते हैं कि उन का वतन अपर्याप्त है। मैं मानता हूं कि भारत एक गरीब देश है परन्तु फिर भी कर्मचारियों को संतुष्ट रखना भी आवश्यक है इसलिये इस के बारे में की गई वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता से लागू कर दिया जाना चाहिये। इस के अलावा प्रतिरक्षा सेनाओं के साथ साथ असैनिक कर्मचारियों को भी काफी संख्या में रखा जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा सैनिको को १५-२० वर्ष की सेवा के बाद ही सेवा निवृत्ति हो जाना पड़ता है जब कि वह उम्र के ज्यादा नहीं होते। परन्तु युवावस्था में ही सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद उन को सेवानिवृत्ति के कारण बहुत कम पैसे मिलने लगते हैं और तंग हालत हो जाती है।

मैं अब सैनिकों की शिक्षा के प्रश्न को लेता हूं ब्रिटेन में वर्ष १६२० तक में ऐसी धारणा थी कि सैनिकों को शिक्षित करने से कोई लाभ नहीं, ज्यादातर सैनिक बिना पढ़े लिखे थे परन्तु धीरे धीरे अनुभव से पता लगता गया कि शिक्षित सैनिक ऐसे बहुत से काम कर सकता है जिन को अशिक्षित व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। आज सभी सैनिकों को शिक्षा दी जाती है और बहुत से सैनिक तो प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जिस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी वह अपना निर्वाह कर सकें। हमारी सेनाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था करन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें यह प्रयत्न करना चाहिय जिस से हमारे सैनिक शिक्षित हों तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात् कुछ धन कमा सकें।

आज आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। १२ या १५ वर्ष तक काम करने के बाद भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाय गया है। मेरा सुझाव है कि एक सिद्धान्त बना लेना चाहिये जिस के आधार पर पदोन्नति की जाय करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इसके अलावा प्रतिरक्षा सेवाओं में अन्य प्रकार के कर्मचारी भी हैं, जैसे खाना बनाने वाले पानी लाने वाले आदि। सैनिकों के बारे में तो नियम वगैरा बने हुए हैं लेकिन इन बेचारों पर कार्मिक संघों के आम नियम भी लागू नहीं होने दिये जाते। फ्रंटियर पर या विशेष क्षेत्रों में तो ठीक है कि अनुशासन वगैरह की सख्ती होनी चाहिये लेकिन अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं होना चाहिये। कुछ तरीके निकाले जाने चाहियें जिस से उन की कठिनाइयां दूर की जा सकें 'वर्क्स' समितियां बनाई गई हैं' जिन में अफसरों द्वारा नामजद लोग रखे जाते हैं इन समितियों से कर्मचारियों को सन्तोष नहीं हो सकता।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि श्रम संबंधी कानून के बारे में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, जैसे प्रतिरक्षा, गृह-कार्य, इस्पात, खान और ईंधन तथा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय हैं— समन्वय होना चाहिये। जब भी कोई यूनियन कोई बात उठाती है तो हर मंत्रालय अपने अलग ढंग से उस पर कार्यवाही करता है और श्रम मंत्रालय से शायद परामर्श नहीं लेता इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार के इन विभागों में समन्वय हो और जो दोष हों उन्हें दर किया जाये।

श्री हेम राज (कांगड़ा): सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे डिफेंस की डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं आप का इसलिये भी आभारी हूं कि उस इलाके के रहने वाले को आप ने बोलने का मौका दिया है, जिस इलाके की आज इस सदन में बहुत चर्चा की गई है। यहां पर यह कहा गया है कि तिब्बत का जो इलाका है वह बहुत खतरे में है। लेकिन इस से पहले कि मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि जब से उन्होंने इस महकमे को अपने हाथ में लिया है, तब से कुछ तरक्की की तरफ हम गये हैं। बहुत सी बातों की जो यहां चर्चा की गई है और त्रुटियों का जिक्र किया गया है, उन को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज भी एक रिपोर्ट का यहां पर ज़िक्र किया गया है जोकि आडिटर जनरल ने पेश की है। मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है, वे आज से दस साल पहले ही घटित हो चुकी हैं और दस साल पहले जो कुछ हो चुका है, उस के लिये मैं मानता हूं कि डिफेंस मिनिस्टरी तो जिम्मेदार हो सकती है लेकिन .....

श्री खुशवक्त राय (खेरी): १९५९-६० का भी उस में मामला है।

श्री हेम राज: मैं कह रहा हूं कि १९४८ से लेकर १९५७ तक की जो बातें हैं उन के मुताल्लिक आज आप यह कहें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। मामला यह है कि जिस वक्त से ही उन्होंने कार्यभार सम्भाला है उस वक्त से कितनी गड़बड़ी हुई है। आज देखने में यह आता है कि जितनी ज्यादा चोट डिफेंस मिनिस्टर पर की जाती है उतनी ज्यादा चोट डिफेंस मिनिस्टरी पर नहीं की जाती है। यह ठीक है कि किसी वक्त में कोई कमी रह गई है, लेकिन उस के लिये श्री मेनन साहब जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टरी तो हो सकती है। तो हमें देखना यह है कि जिस वक्त से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अपने हाथ में इस चीज़ को लिया है उस वक्त से हमारी जो आर्डनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, उन की क्या हालत रही है। अभी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है उस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो सरपलस लेबर थी, उस को भी काम में लाया गया है और जो सरपलस कैपेसीटी थी, उस को भी काम में लाया गया है, कोई बाहर की और लेबर नहीं लाई गई है। उस के बावजूद भी वहां पर जो प्रोडक्शन होती है, उस मे

[श्री हेम राज]

रोज़-ब-रोज़ तरक्की हो रही है और जो तरक्की हो रही है वह उन्होंने ज़ाहिर कर दी है । अगर सन् १९५७-५८ में १६ थी तो फिर २० हुई और अब २६ होने वाली है । इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

हमारी फौजों का आज यहां पर चीन की फौजों से मुकाबला किया गया है और कहा गया है कि उन फौजों का मुकाबला शायद हमारी फौज नहीं कर सकेंगी । मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस वक्त आज़ाद हुए और एक खतरा हमारे सामने उपस्थित हुआ जो कि पाकिस्तान की तरफ से उपस्थित हुआ था, उस खतरे का जिस शान से उस ने मुकाबला किया, उसे आप सब जानते हैं । उस वक्त यह भी खयाल किया जाता था कि जो अंग्रेज़ जेनरल थे वे फौज की कमांड बहुत अच्छी तरह से करते थे और अब हम शायद उस तरह से फौज की कमांड न कर सकें । जिस वक्त मुकाबला पड़ा तो हमारे जेनरलों ने, हमारी फौजों ने जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किये, उस से आप वाकिफ हैं । अगर यहां से आर्डर न होता कि फौजें आगे न बढें तो जिस इलाके को हम अब तक पाकिस्तान के हाथ में छोड़े हुए हैं, उस पर भी हमारा कब्जा होता । उस वक्त हमारी फौजों का हौसला बहुत बुलन्द था और आज भी है । तो यह कहना कि हमारी जो फौज है, हमारे जो सिपाही हैं, वे किन्हीं सूरतों में किसी से कम हैं, ठीक नहीं हैं । अगर चीनी सिपाही दो मुट्ठी चने खा कर गुज़ारा कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिपाही भी दो मुट्ठी चनों से सारी लड़ाई को जीत सकते हैं । मैं डूगर प्रदेश से आता हूं और मेरे जो डोगरे हैं, वे बड़ी बहादुरी से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा ही अपनी जान पर खेल कर मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे । इस वास्ते आप यह खयाल न करें कि जो डोगरे हैं या दूसरे हैं, वे इतनी जल्दी उन लोगों को आगे आने देंगे और अगर आप ऐसा खयाल करते हैं तो यह आप की खामखयाली है । आज तक इन लोगों ने बहादुरी के काम किये हैं और आगे भी वे बहादुरी के ही काम करने वाले हैं । इस वास्ते जो एक मायूसी की लहर हमारे दरम्यान में दौड़ गई है, वह नहीं दौड़नी चाहिये । इसलिये हमारे फौजी जवान जो हैं, हमारे जो सिपाही हैं, उन के लिये हमारा एक ही सन्देश है और वह सन्देशा यह है कि जो यह पार्लियामेंट है, वह उन की सहूलियत का हर काम करेगी, उन के खाने पीने का हर काम करेगी, और जो जो चीज़ भी उन्हें चाहिये, उन का पूरा पूरा बन्दोबस्त यह करने वाली है और उन को किसी किस्म की तकलीफ होने नहीं देगी ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि फौज हर वक्त ही बहादुरी के काम नहीं करती है, दूसरे और भी कई मौके आते हैं, जब वह बहादुरी दिखाती है । जिस वक्त कोई आड़ा वक्त आ जाता है, जिस वक्त भी सिविलियन्स को कोई तकलीफ होती है, उस वक्त भी हमारी फौज हमारे रेसक्यू पर आती है । भाखड़ा में जो इतना ज़बर्दस्त नुक्सान होने वाला था, जो आड़ा वक्त आया था, काम खतरे में पड़ गया था, उस वक्त नेवी के डाइवर्स ने जो शानदार काम किया, टनल को बन्द किया, आर्मी के ६०० या ७०० जवानों ने शानदार काम किया, वह आप के सामने है । ये सब चीज़ें हैं जिन से हमारा हौसला बढना चाहिये और हमारे लिये कोई मायूसी का कारण नहीं होना चाहिये । हमें यह देख कर खुशी होती है कि हमारी फौज हमेशा ही और हर वक्त अपनी जान पर खेलने के लिये तैयार है ।

कल यहां जिक्र किया गया कि बोर्डर एरियाज़ जो हैं, उन में जो आपरेशनल कमांड है, वह हमने आर्मी के सुपुर्द कर दी है । मैं भी लाहौल के इलाके में दो साल हुए गया था । वहां पर हमारी चौकियां जरूर हैं लेकिन वे पी० ए० पी० की चौकियां हैं । हमारी चौकियां केलांग में थीं, हमारी चौकियां डारचा (जसपा) में थीं । लेकिन मैं समझता हूं कि आपरेशनल कमांड से हमारा काम बनने वाला नहीं है । मैं जवानों से मिला हूं और मैं ने उन से बातचीत की है । मैं कहना चाहता हूं

कि मेरे माननीय सदस्य सरदार अजित सिंह जी ने जो तजवीज़ रखी है, मैं उस की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि एक जुदा कमांड होनी चाहिये और जिस तरह से हमारे कंटोनमेंट्स हुआ करते हैं, उस तरह के कंटोनमेंट्स हिमालय की सरहद पर जरूर होने चाहियें।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि उस से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर देश की रक्षा करनी है, तो देश की रक्षा महज़ फौज ही नहीं कर सकती है। हज़ारों मील लम्बी हमारी सरहद है, हमारी बार्डर लाइन पाकिस्तान से भी मिलती है, चीन से भी मिलती है। इस के लिये मैं समझता हूं कि जिस वक्त तक देश में तैयारी नहीं हो जाती है, उस वक्त तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। उस के लिये आप ने एक सेकिंड लाइन आफ डिफेंस बनाई हुई है। वह सेकिंड लाइन आफ डिफेंस जो है, वह हमारे लिये बहुत ज्यादा काम दे सकती है। अगर हम उसको पूरी तरह से आर्गेनाइज कर लें, तो वह बहुत मुफीद साबित हो सकती है। आप ने लोक सहायक सेना का जो लक्ष्य रखा है वह पांच लाख का रखा है। उस के लिये आपने इस बारे भी थोड़ा सा बजट में प्राविज़न रखा है। आज लोगों में यह भावना पैदा हो गई है कि चीन आने वाला है, क्या बनेगा और ऐसी भावना का पैदा होना अच्छी बात नहीं है। अगर इस भावना को दूर करना है और लोगों में डिसिप्लिन लाना है, तो जगह-ब-जगह इस के लिये आप को अधिक से अधिक खर्च करना पड़ेगा। जो सेकिंड लाइन आफ डिफेंस है, जिस में रिज़र्व आर्मी भी आती है, टेरिटोरियल आर्मी भी आती है, एन० सी० सी० भी आती है, कैडेट कोर भी आती है, लोक सहायक सेना भी आती है, इन सब की तरफ आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस की वजह यह है कि फौज अगर आप बहुत ज्यादा रखते हैं, तो बहुत अधिक खर्चा आता है लेकिन अगर देश में हर एक आदमी को ट्रेनिंग दे दी जाती है तो लाजिमी तौर पर लोगों में डिसिप्लिन पैदा होगा और किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा और न ही कोई यह कह सकेगा कि मैं, किसी वक्त भी जब जरूरत पड़े, अपने देश को डिफेंड करने को, तैयार नहीं हूं। हर एक आदमी अगर ट्रेनिंग ले चुका होगा तो किसी को भी इस तरह की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा और देश की रक्षा भी आसानी से हो सकेगी। इस तरह से ट्रेनिंग देने के लिये जितना रुपया आप आर्मी पर खर्च कर रहे हैं उस के मुकाबले में बहुत कम खर्च आयेगा। आप ने कहा है कि आप ने ५०,००० आदमी तैयार किये हैं और इस साल उस में आप ने खर्च के लिये करीब ६७ लाख रुपये रखे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप को सेकिंड लाइन आफ डिफेंस पर ज्यादा जोर देना चाहिये। इस पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिये। एन० सी० सी० के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस में एक चीज आई है। स्टूडेंट्स से भी इस के बारे में ज़िक्र हुआ है, आफिसर्स से भी हुआ है। जितने भी कालेज थे, जहां पर कि हड़तालें होती थीं या दूसरी बातें होती थीं, वहां पर आज अगर आप देखें तो आप को पता चलेगा कि पंजाब में कम से कम हड़तालें हुई हैं। इस की वजह हैं कि जहां जहां नैशनल केडेट कोर आपका गया है वहां डिसिप्लिन कायम हो गई हैं, वहां हड़तालें कम हो रही हैं। मैं समझता हूं कि देश के आने वाले जो लीडर्ज हैं उन में अगर डिसिप्लिन आयेगा तो देश को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं जिक्र करना चाहता हूं कि नैशनल केडेट कोर, आक्जिलरी केडेट कोर और लोक सहायक सेना जो है उन के ऊपर हम ज्यादा जोर दें। मैं आप से अर्ज कर रहा था कि जो नैशनल केडेट कोर है उस में गरीब आदमियों के लड़कों के लिये कोई जगह नहीं है। उन में बहुत से अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, लेकिन उन को आज तक कोई हेल्प नहीं मिली, वह आगे नहीं जा सकते। आप ने जिक्र किया है कि जो आफिसर्ज यूनिट्स है उन में जो परसेन्टज मुकर्रर किया गया था उसे शायद आप ने १० के बजाय १५ परसेन्ट कर दिया है। पिछले दिनों आप ने एक ब्रोशर निकाला था कि अफसरी रैंक्स में अच्छे आदमी आगे नहीं आते। मैं समझता हूं कि यह जो नौजवान आते हैं उन के लिये आप ज्यादा से ज्यादा मौका मुहैया करें और आप जो

[श्री हेम राज]

परसेन्टज १० से १५ कर रहे हैं उसे बढा कर २५ परसेंट तक ले जाये, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मौका मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ सकें और गरीबों के बेहतरीन आदमी आप के पास आ सकें ।

इसी तरह से मैं आप से यह भी अर्ज करूंगा कि जहां पर लोक सहायक सेना के कैम्प्स लगते हैं वहां पर आप के पास बेहतर से बेहतर आदमी आ जाते हैं । वहां पर अगर आप के रिक्रूटिंग सेन्टर्स हों तो वे बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं । आप ने आज मार्शल और नानमार्शल की बात तो छोड़ दी है । जहां तक आप की नेवी का ताल्लुक है, उस के जो फार्म्स हैं उन में आप ने सब क्लासेज के कायम को छोड़ दिया है, लेकिन जहां तक आर्मी का ताल्लुक है, आप ने सब क्लासेज के कालम को कायम रक्खा है । जब आप ने नेवी में वह कालम नहीं रक्खा तो फिर आप आर्मी में उसे क्यों रखते हैं ? आर्मी में भी आप एक ही कालम रखिये जैसे कि आपने नेवी में रक्खा है । सबक्लासेज के जो कालम हैं वह उड़ जाने चाहियें ।

एक बात और अर्ज कर दूं । आप समझते हैं कि आप की मिलिटरी में बहुत आदमी नहीं आते । हमारे श्री कृष्ण मेनन साहब की पिछली स्पीच है कि ३० लाख के करीब एक्स सर्विसमेन हैं और गालिबन आप २५ या ३० हजार आदमियों को वापस करते हैं । इस तरह का जिक्र हो रहा था लोगों का रिटायरमेंट बहुत जल्दी होता है । जिस वक्त वे अधेड़ उम्र में होते हैं उस वक्त वे लोग बाहर निकलते हैं । उन के लिए कोई चारा नहीं होता । आप ने एक्स सर्विसमेन के रिसेट्लमेन्ट का जो प्राविजन किया है उस में यह किया है कि सिर्फ ३ हजार एकड़ जमीन रखी है, जिस पर कि आप को उन्हें बसाना है । आप के पास आदमी इतने हैं कि उन के लिए आप के पास जगह नहीं है । कुछ थोड़ी सी जमीन आप सिविल में उन को दे देंगे । लेकिन जब उन को इतनी बड़ी तादाद में आप बाहर भेज रहे हैं तो उन के लिए आप को कोई न कोई स्कीम बनानी पड़ेगी जिस से वे ऐसे काम सीख जायें कि बजाय इस के कि वे आप के मुखालिफ बन जायें, आप के प्रचारक बन जायें । जिस जिस गांव में वे लोग जायेंगे, उस उस गांव में आप का एक एक प्रचारक बन जायेगा । अगर उन्होंने आप के मुखालिफ बन कर प्रचार किया तो आप की फौज में अच्छे आदमी आने वाले नहीं हैं । इसलिए भी आप को यह बात सोचनी चाहिए ।

हमारे बहुत से पुरानी मिलटरी आफिसर्स हैं उन के लिए भी बहुत दिनों से यह उम्मीद दिलवाई जा रही थी कि उन की पेंशनों में कुछ न कुछ इजाफा आम तौर पर कर दिया जायेगा । लेकिन वह मामला दो साल पुराना हो गया, अभी तक आप का कोई फैसला नहीं हुआ है । पिछले बजट में इस के लिए कुछ प्राविजन किया गया लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है । मैं अपने माननीय डिफेन्स मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस के लिए भी कोई न कोई फैसला करने की जल्दी कोशिश की जाय ।

जे० सी० ओज़ जो हैं और एन० सी० ओज़ जो हैं उन के लिए जो प्रमोशन्स हैं वह भी १० परसेन्ट रखे गये हैं । वे आप के बड़े अच्छे नौजवान हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम सीखा हुआ है, काफी पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन के प्रमोशन के परसेन्टेज को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि लोअर रैंक्स के आदमी भी आगे बढ़ सकें और आप की जो फौज है उस में अच्छे से अच्छे आदमी नीचे से आने शुरू हो सकें । इस तरह से वे आगे बढ़ कर आफिसर्स रैंक में जा सकते हैं ।

आखीर में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । अभी पिछले दिनों यहां एक सवाल हुआ था फील्ड फायरिंग के बारे में । हमारे यहां भी दो जगहें हैं जहां फील्ड फायरिंग के लिए

जगहें छोड़ी हुई हैं। जिस समय आप उस जगह को फायरिंग के बाद छोड़ते हैं उस वक्त आप के पास जो बहुत सा बारूद होता है, बाम्ब्स होते हैं, वे भी वहीं रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसे छोड़ने के बाद आप पांच या सात रोज में उसे अच्छी तरह से साफ कर दें ताकि वहां पर कोई कैजुअल्टी न हो। हमारे यहां गुरखड़ो और कच्छग्रारी दो मुकाम हैं, जहां कुछ कैजुअल्टीज हुई। मैं ने पिछली दफा क्वेश्चन किया था, लेकिन उन का मुआवजा आज तक नहीं मिला है, इस से लोगों में असन्तोष पैदा होता है।

मैं समझता हूं ।क माननीय मंत्री महोदय इन बातों की तरफ जरूर ध्यान देंगे। इस के साथ ही यह जो डिमान्ड हमारे रक्षा मंत्रालय की है उन को सपोर्ट करता हूं और रक्षा मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस काम को चलाया है। मैं समझता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा इस मंत्रालय को दे सकें, उतना ही बेहतर होगा।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, सुरक्षा मंत्रालय का काम देश की रक्षा करना है, और जहां तक विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के प्राथमिक कर्तव्य का सवाल है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा मंत्रालय अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। भारत की सीमायें हमारे पड़ोसियों के लिए सहज आक्रमण का विषय बन गई। ४२,००० वर्गमील भूमि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे में है। यह कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मोर पर आक्रमण किया तब हम तैयार नहीं थे, लेकिन यह तर्क चीन ने जो आक्रमण हमारे ऊपर किया है उस के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर म युद्ध की स्थिति है। जम्मू कश्मीर के आवागमन का नियंत्रण सुरक्षा मंत्रालय के हाथ में है। इस से जो बहुत से लोग जम्मू कश्मीर जाते थे, उन्हें सुरक्षा मंत्रालय से परमिट प्राप्त करनी होती थी। कभी कभी वह परमिट दिये जाने से रोक भी दिया जाता था। इस का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की सीमा और उस की सुरक्षा का भार पूरी तरह से सुरक्षा मंत्रालय के ऊपर था। लेकिन चीनी आक्रमणकारी लद्दाख में घुस आया और सुरक्षा मंत्रालय को उस का पता भी नहीं लगा। हम गये थे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने पाकिस्तान से, मगर वह चीनी आक्रमण का विषय बन गया, और इस के लिए सुरक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। क्यों नहीं हम ने लद्दाख की सीमा की पूरी व्यवस्था की? यह कहा जा सकता है कि हम चीन से आक्रमण की आशंका नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण को देखते हुए हम लद्दाख की रक्षा का पूरा इन्तजाम करना चाहिए था। यहा सीमा की ही बात नहीं है। चीनी आक्रमणकारी ४०, ४५ मील भारत की भूमि के अन्दर घुस आया। लेकिन हमारे सुरक्षा मंत्रालय को पता नहीं लगा। मैं समझता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय की सफलता का माप सुरक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित्त की जाने वाली वस्तुओं से नहीं लगाया जा सकता। उत्पादन में वृद्धि हो यह बड़े आनन्द की बात है। सुरक्षा मंत्रालय सब तरह का सामान तैयार करे इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन इस मंत्रालय का पहला काम देश की रक्षा करना है और मैं जानना चाहता हूं कि जब चीनियों ते लौंगजू पर आक्रमण कर दिया था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि **इट इज ए क्लीयर केस ऑफ एग्रेशन** तो उस के बाद कर्म सिंह और उनके साथियों को चीनी सेना की गोलियों का शिकार बनते के लिए लद्दाख में क्यों भेज दिया गया? सरकार जानती थी और सन् १९५७ में पता लग गया था कि चीन ने लद्दाख में घुस कर सड़क बनाई है तो फिर कर्म सिंह की पार्टी के साथ में कोई संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? उन के पास बड़े हथियार नहीं थे और वे जमीन के नीचे खड़े थे और चीनी सेनाएं ऊपर पहाड़ की चोटियों पर बैठी हुई थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय ने कर्मसिंह और उनकी पार्टी के साथ रक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया जिससे कि चीनी

[श्री वाजपेयी]

आक्रमण से वह बच सकते थे। अब कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है लेकिन मैं समझता हूं कि लद्दाख के बारे में यह बात लागू नहीं होतो है क्योंकि जब से पाकिस्तान ने लद्दाख पर आक्रमण किया है लद्दाख की रक्षा का भार केन्द्रीय सरकार के जिम्मे है। पहले तो चोनो आक्रमण का पता ही नहीं लग सका और उन्हें ४० मील भारत की सीमा के अन्दर आने से नहीं रोक सके और सबसे बड़ो गलतो यह को गई कि कर्मसिंह और उनके साथियों को चोनो सेना द्वारा मारने के लिए छोड़ दिया गया। सुरक्षा मंत्रालय को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मैं यह भो जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि जनरल थिमैय्या ने सन् १९५७ में इस बात को ओर संकेत किया था कि चोनो सेनाएं लद्दाख में घुस आई हैं। यह कहने के लिए मेरे पास एक आधार भो है। १४ दिसम्बर १९५९ के अमरीकी अखबार टाईम में जनरल थिमैय्या और श्री मुरारजो देसाई के बीच हुई बातचीत को उद्धृत किया है और सुरक्षा मंत्री ने जैसे उस दिन न्यूयार्क पोस्ट के सम्वाददाता को दो गई भेंट से इंकार कर दिया था अभी परमात्मा का शुक्र है कि वित्त मंत्रो महोदय ने उस भेंट से इंकार नहीं किया है और मैं यह भी नहीं मानता कि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं होगा। मैं इसका एक अंश सभापति महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रो द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्हें चीनी सड़क के सम्बन्ध में कब मालूम हुआ था जनरल तिमैया ने बताया कि १९५७ में मालूम हो गया था और उन्होंते भारत की सुरक्षा के प्रस्ताव प्रतिरक्षा मंत्रो के समक्ष पेश किये थे परन्तु प्रतिरक्षा मंत्री ने उनको यह कह कर नामंजूर कर दिया कि दुश्मन दूसरी ओर है। इसका अर्थ यह है कि सुरक्षा मंत्रालय ने और हमारे जनरल थिमैय्या ने कहा कि दुश्मन दूसरी तरफ है अर्थात् दुश्मन चीन की तरफ नहीं है बल्कि दुश्मन पाकिस्तान को तरफ है। मैं चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्री इसका खंडन करें यदि यह सही नहो लेकिन अगर यह बात सच है तो सुरक्षा मंत्री चोनो आक्रमण के सामने देश को खुला खोल कर रख देने के दोषी हैं। पाकिस्तान से आक्रमण की सम्भावना है। पाकिस्तान ने आक्रमण किया है इससे इंकार नहीं किया जा सकता मगर हमारे सुरक्षा मंत्री एक तरफ से आंखें बन्द कर लें और केवल अपना ध्यान पाकिस्तान की तरफ लगाये रहें तो देश की सुरक्षा के साथ वह न्याय नहीं कर सकते। अभी भी चोनो आक्रमण हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम चीनो आक्रमण को गम्भीरता को नहीं समझे हैं। अभी उस दिन जब एयर स्पेस सीमा के उल्लंघन की चर्चा चलो थो और प्रश्न पूछा गया तो जहां तक पाकिस्तान द्वारा हमारी ऐयर स्पेस के उल्लंघन का सवाल है सुरक्षा मंत्रो ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया मगर चीन को तरफ से आने वाले हवाई जहाजों के बारे में वे कुछ नहीं बोले। बाद में राज्य सभा में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देखा है सुना है वे ऐसा कहते हैं कि हवाईजहाज चीन की तरफ से आये थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सेनाएं चीन की तरफ से आने वाले हवाईजहाजों को सुन नहीं सकतीं या देख नहीं सकतीं और क्या हम उन को पहचान नहीं सकते या पहचान लेते हैं तो फिर हमारे सुरक्षा मंत्रो महोदय यहां सदन में आकर उसको कहने में झिझकते क्यों हैं? आखिर इसका कारण क्या है? अब अगर हवाई जहाज हम पहचान नहीं सकते तो यह सुरक्षा मंत्री और सुरक्षा मंत्रालय की प्रशंसा के जो पुल बांधे गये हैं यह कोई मतलब नहीं रखते। देश को स्वाधीनता प्राप्त किये हुए १३ साल हो गये और इस सदन ने कभी भी सुरक्षा मंत्री जो भी धन को मांग करें उसको उसने इन्कार कभी नहीं किया। हमने सदा जो उन्होंने मांग की उसको उन्हें दिया है। गत वर्ष भी यह कहा गया था और सदन में किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं की कि सुरक्षा के ऊपर अधिक धनखर्च किया जाना चाहिए। लेकिन उस दिन हमारे माननीय सदस्य श्री त्यागी ने सुरक्षा मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहा था कि भविष्य में चीनी हवाई जहाज भारत की सीमा का उल्लंघन करके नहीं आ सकेंगे, यह आश्वासन क्या आप दे सकते हैं तो उन्होंने कहा

था कि रिसोर्सेज परमिटिंग। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कनिसस्टेंट विद अवर लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं जानना चाहता हूं कि यदि हमारे देश की सीमाओं पर विदेशी हवाई जहाज घुस आते हैं तो वह किस देश के हवाई जहाज हैं क्या इसका पता लगाने के लिए भी हमारे पास साधन नहीं हैं ? अगर सुरक्षा मंत्रालय के पास साधन नहीं हैं तो वे इस सदन में आकर अधिक धन की मांग कर सकते हैं। जब भी उन्होंने कोई मांग की हमने उसको स्वीकार किया और कभी भी रुपया देने से हमने इंकार नहीं किया। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उत्तरी सीमाओं की उपेक्षा की गई है और आज भी उपेक्षा की जा रही है। चीनी आक्रमण हो जाने के बाद भी सुरक्षा मंत्रालय को अपने कर्तव्य का जिस तरह से पालन करना चाहिए था, वह नहीं कर रहा है और मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बड़ी गम्भीर बात है। हमारी सीमाएं दोनों ओर से अतिक्रमण का विषय बन गई हैं।

एक भूतपूर्व रिटायर्ड मेजर जनरल शिवदत्त सिंह आर्मी में रह चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो वे कहेंगे वे अनुभव के आधार पर कहते होंगे। इसलिये मैं उनका उल्लेख करता हूं। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान कभी एक साथ मिल कर हमारी सीमाओं पर हमला करें। अब पाकिस्तान को अमरीका से हथियार मिल रहे हैं और चीन को रूस से शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं.....

श्री त्यागी (देहरादून) : इसीलिये दोनों मेल नहीं कर सकते हैं।

श्री वाजपेयी : मैं एक रिटायर्ड मेजर जनरल को यहां पर कोट कर रहा हूं लेकिन अब अगर त्यागी जी उनसे ज्यादा अधिकारपूर्ण वाणी में कहना चाहते हैं तो मुझे उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री जोकीम आल्वा : सभापति महोदय, क्या मैं एक बात जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है यह मेजर जनरल सिर्फ इस वजह से अखबार में आर्टिकल नहीं भेजते थे कि अखबार उनके नाम के आगे रिटायर्ड मेजर जनरल लिखना चाहता था और वे चाहते थे कि रिटायर्ड शब्द न लिख कर केवल मेजर जनरल ही लिखा जाय ?

श्री वाजपेयी : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र क्या कह रहे हैं और जो वह कह रहे हैं उसको शायद वे भी नहीं जानते.....

श्री जोकीम आल्वा : मैं सही बात कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है.....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, हालत आज ऐसी हो रही है कि भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है।

लेकिन सुरक्षा के मामले में हम कोई खतरा नहीं ले सकते और हमें सब प्रकार की सम्भावनाओं पर विचार करके इस के लिये तैयार रहना चाहिये। और मुझे ऐसा दिखता है कि सुरक्षा मंत्रालय गम्भीरता के साथ अभी भी इस सवाल पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बजट में केवल २६ करोड़ रुपये की अधिक मांग की गयी है। मैं नहीं समझता कि चीन के आक्रमण से जो संकट पैदा हुआ है उसकी गम्भीरता को पहचानने का यह परिचायक है

श्री चाऊ एन लाई भारत आ रहे हैं, बातचीत सफल हो जाये तो बड़े आनन्द की बात है, लेकिन उन्होंने जो नया नोट भेजा है वह कोई वार्ता की सफलता का संकेत नहीं करता, वह तो अब एवरेस्ट

†मूल अंग्रेजी

[श्री वाजपेयी]

की चोटी मांग रहेहैं, अभी तक तो वह धरती मांग रहे थे, पर अब आसमान मांग रहे हैं। अभी तक जमीन मांग रहे थे, अब पहाड़ मांग रहे हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मांग रहे हैं। मैं नहीं समझता इस स्थिति में बात सफल होगी, और अगर दुर्भाग्य से बातचीत विफल हो गयी तब क्या होगा ? तब क्या ये २९ करोड़ रुपये पर्याप्त होंगे। क्या हमारे सुरक्षा मंत्रालय, हमारी सरकार के पास इतनी सैनिक शक्ति है कि चीनी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से खदेड़ कर बाहर कर सके। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये, और इस संदर्भ में सुरक्षा मंत्रालय की मांगों को देखा जाना चाहिये।

सभापति जी, जो रिपोर्ट रखी गयी है आडिट की तरफ से, उसमें नानावटी काण्ड का भी उल्लेख है। मैं समझता हूं, उसके बारे में चर्चा करने में सुरक्षा मंत्री को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दस हजार रुपया उनकी वकालत पर खर्च किया गया इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें एक बड़ा सिद्धान्त का सवाल पैदा होता है कि क्या सेना में काम करने वाले सैनिक और अफसर सामान्य नागरिकों से अलग हैं। कमाण्डर नानावटी ने जो कुछ किया वह जलसेना के अफसर के नाते नहीं किया एक व्यक्ति के नाते किया, और व्यक्ति के नाते उन्होंने जो कुछ किया उसका दण्ड उन्हें व्यक्ति के नाते भुगतने के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि गलत परम्परा नहीं डाली जाएगी। पंजाब में डी० एस० गिल को पंजाब सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, यद्यपि उन पर जो आरोप लगाया गया है वह उनके कर्तव्य की पूर्ति के सम्बन्ध में लगाया गया है, ऐसा कहा जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि श्री नानावटी के मामले में केन्द्र को हस्तक्षेप करने के लिये सुरक्षा मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग नहीं किया। हमारे प्रधान मंत्री ने उस दिन कहा कि एडमिरल कटारी मेरे पास आए। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर एडमिरल कटारी सुरक्षा मंत्री की उपेक्षा करके सीधे प्रधान मंत्री के पास कैसे चले गये। उनको इस तरह नहीं जाना चाहिये था और मैं समझता हूं कि वह गए भी नहीं हैं। जनरल थिमैया एक बार चले गये थे और उसके कारण कितना बवण्डर खड़ा हुआ यह आप जानते ही हैं। मैं नहीं समझता कि एडमिरल कटारी ने वही गलती की। और मेरा अनुमान है कि सुरक्षा मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और सदन से इस तथ्य को छिपाया गया। मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है।

धीरे धीरे देश में एक ऐसी हवा बनायी जा रही है जिसमें लोकतन्त्र कुंठित होता जा रहा है। सेना सहायता के काम में मदद करे, यह बड़ी प्रशंसा की बात लगती है। कहीं बाढ़ आ जाए तो सेना सहायता करे, कहीं ला एण्ड आर्डर की शक्तियों की सहायता के लिये सेना को बाजारों में मार्च कराया जाए, यह कानूनी है और हमारे संविधान के अन्तर्गत इसकी स्वीकृति है। लेकिन इसमें इस बात का बीज निहित है कि जो सिविल अथारिटी है वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा सेना के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। भारत के पास पड़ोस में जो घटनायें हो रही हैं, एशिया, अफ्रीका में लोकतन्त्र जिस तरह से आहत होता जा रहा है, और हमारे देश में भी जैसी अधिनायकवादी शक्तियां सिर उठा रही हैं, उस अवस्था में सेना यदि इस प्रकार के अधिक काम करेगी तो मैं नहीं समझता कि यह देश के लोकतन्त्र के भविष्य के लिये अच्छा होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की शक्ति को बढ़ाया जाए। विदेशी आक्रमण को ध्यान में रख कर हम अपनी सैनिक सामर्थ्य में वृद्धि करें। सेना में यदि प्रान्तीयता आती हुई दिखायी देती हो तो उसका निराकरण करें और और सेना में जो जातियों के नाम पर सेनाओं के नाम रखे गये हैं, जैसे मराठा रेजीमेंट, या जाट रेजीमेंट या सिख रेजीमेंट, मैं समझता हूं कि सिक्यूलर भारत में इन साम्प्रदायिक नामों के लिये स्थान नहीं है। इन नामों को खत्म कर दिया जाना चाहिये और सम्प्रदाय के आधार पर सेना का संगठन नहीं होना चाहिये।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकुन्दपुरम्): इसके पूर्व कि दूसरे माननीय सदस्य अपना भाषण प्रारम्भ करें मैं एक औचित्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। सभा पटल पर जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखा गया है वह अमान्य दस्तावेज है क्योंकि उस पर मुद्रण की तारीख १८ मार्च १९६० पड़ी है जबकि प्रतिरक्षा सेवाओं के लेखापरीक्षा निदेशक के हस्ताक्षर किये जाने की तारीख २४ मार्च, १९६० है और महालेखा परीक्षक के हस्ताक्षर किये जाने की तारीख २८ मार्च, १९६० है। जब यह प्रतिवेदन छपा था उस समय मूल प्रतिवेदन मौजद था ही नहीं क्योंकि मूल प्रतिवेदन पर तो १८ मार्च और २४ मार्च को हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रकार मेरा कहना है कि यह दस्तावेज अमान्य है।

†सभापति महोदय: इस प्रश्न का निर्णय मूल प्रति को देख कर ही किया जा सकता है। अतः मैं मूल प्रति को मंगवा कर देखूंगा तब निर्णय दूंगा।

†श्री राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): मैंने जो सात कटौती प्रस्ताव रखे है उनमें से पहला भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों की समस्या से सम्बन्धित है। इन लोगों को समस्त सुविधायें दी जानी चाहियें ताकि जो लोग अभी सक्रिय सेवा में हैं उन्हें यह विश्वास हो सके कि सेवानिवृत्त होने पर उनकी समुचित देखभाल की जाएगी। मैं चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को बेकार नहीं रहने देना चाहिये वरन् उपयुक्त कार्य दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व अधिकारियों को फार्म दिये जाने चाहियें जिनसे वे अपनी जीविका चला सकें।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव छावनियों के सम्बन्ध में है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक छावनी में फार्म और कारखाने हों। उनमें जो उत्पादन होगा उससे सेना का व्यय कम हो सकता है। मैं अनेक वर्षों से इस बात पर जोर देता आ रहा हूं। मुझे खुशी है कि अम्बाला छावनी के निर्माण में इस योजना को किसी हद तक क्रियान्वित किया गया है।

फिर मैं चाहता हूं कि सैनिक संगठन का उपयोग समाज कल्याण के लिये किया जाना चाहिये। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया है। मैं यह भी चाहता हूं सैनिकों को शराब देना बन्द कर दिया जाय। केवल ठण्डे स्थानों में ब्राण्डी की खुराक दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त समस्त छावनियों में फमिली क्वार्टर बनाये जाने चाहियें और बच्चों के लिये स्कूल भी। ऐसा करने से सैनिक सन्तुष्ट होंगे और हमें अधिक सैनिक मिल सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जाति और धर्म का भेदभाव भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि सब जातियां समान नहीं होती हैं। ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ बुद्धिप्रधान जातियां हैं जबकि राजपूत, जाट, मराठे, गूजर अहीर और गुरखा लड़ाकू जातियां हैं। हमें विभिन्न जातियों के गुणों का उपयोग समस्त राष्ट्र के लिये करना चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ छोटी छोटी बातों का निर्देश करना चाहता हूं। जब मैं रेलगाड़ी से आ रहा था तो मुझे पूना के एक इंजीनियरिंग कालेज के एक प्रोफेसर मिले थे। उन्होंने बताया कि चार प्रोफेसरों के वेतन की मंजूरी पिछले सात सालों से माहवार दी जाती है। यह बड़ी विचित्र बात है तथा उसके संबंध में जांच की जानी चाहिए।

फिर मुझे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देखकर बहुत धक्का पहुंचा। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा उपमंत्री तथा सभा-सचिव इसके संबन्ध में जांच करेंगे। इस प्रकार धन की बरबादी को रोका जाना चाहिए। मैंने स्वयं एक छावनी में देखा कि बहुत से ट्रक खुले स्थान में खड़े रहते हैं। उनके लिए शेल्टर बनाए जाने चाहिएं।

मने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद संसार की स्थिति काफी बदल गई है। हम अपनी रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ पर

†मूल अंग्रेजी में

[राजा महेन्द्र प्रताप]

निर्भर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रसंघ के पास एक बड़ी सेना हो जिससे वह अपने निर्णयों को क्रियान्वित करा सके। खेद है कि अभी इस प्रकार की सेना नहीं है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रसंघ की इच्छा के विरुद्ध अपनी मनमानी कर रहा है। यदि राष्ट्रसंघ के लिए सेना बनाई जा सके तो उसके आधार पर विश्व सरकार की स्थापना की जा सकती है।

जहां तक श्री चाऊ एन लाई के भारत आने का प्रश्न है मुझे दुख है कि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके साथ बातचीत से कोई अच्छा निर्णय हो सकेगा। यह कहना ठीक नहीं है कि उनको काले झण्डे दिखाए जाने चाहिएं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज साम्यवाद और पूंजीवाद का जो संघर्ष चल रहा है वह वास्तव में एंग्लो-सेक्शन व स्लाव जातियों का संघर्ष है। हमारे साम्यवादी मित्रों को यह समझना चाहिए कि साम्यवादी विचार एक यहूदी के मस्तिष्क की सूझ है। जब मैं रूस गया था तो मैंने देखा था कि बड़े बड़े पदों पर यहूदी ही थे। बाद में नीची श्रेणी के रूसियों ने यहूदियों को हटा दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे साम्यवादी मित्र यह समझें कि हम सब भाई-भाई हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिये वरन् मिलकर काम करना चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर छपी तारीख के संबंध में जो औचित्य प्रश्न उठाया गया था उसमें कोई सार नहीं है। जब कोई चीज़ मुद्रण के लिए भेजी जाती है तो उस समय संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार प्रतियां छपा तो पहले ही ली जाती हैं परन्तु उन्हें वितरित तभी किया जा सकता है जब कि मूल प्रति पर स्ताक्षर हो जायें। यह बड़ी साधारण सी बात है जो हम प्रतिदिन देखते हैं। अत : उसके संबंध में औचित्य प्रश्न उठाना निरर्थक है।

†श्री कृष्ण मेनन : अध्यक्ष महोदय, अनेक ऐसी बातें कही गयी हैं जो, यदि उनका उत्तर नहीं दिया जायेगा, गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। जहां तक मंत्रालय का संबंध है, इस आलोचना से हमें कोई नाराजी नहीं है। पर कुछ बातें ऐसी हैं, जिनसे सामान्य जनता पर यह असर पड़ेगा कि जैसे हमारी शक्ति बहुत कम है और इससे देश में भय व आशंका पैदा हो सकती है और बुरा असर पड़ सकता है।

मैं सभी भाषणों में कही गयी सब बातों को नहीं लूंगा, पर मैं कुछ बातों का उत्तर दूंगा। कहा गया कि हमारे पास बारूद नहीं है, बमवर्षक विमानों के पास बम नहीं हैं और पैराशूट इतने खराब हैं कि उड़ते समय वे फट जाते हैं। पैराशूट के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से आज उनकी उपयोगिता पहले से अधिक है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि हमारे सैनिक इस बात कला में बहुत ही कुशल हैं।

मैं सेना के उन कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं जो आज देश के पूर्वी भाग में शान्ति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें काफी कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और उनको सुविधायें भी बहुत थोड़ी है। वे वहां पर शान्ति स्थापन के कार्य में तथा प्रतिरक्षा व सुरक्षा के कार्य में लगे हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन लोगों को सहायता देने के लिए तथा उनकी तकलीफों को कम करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते रहे हैं ।

गत १० वर्षों से जम्मू और काश्मीर का ३०,००० से ४०,००० वर्ग मील का क्षेत्र दूसरों के कब्जे में है । हमारी जो सेना वहां गई है, उसको काफी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । हम उनको कुछ उचित व अच्छी सुविधायें देने जा रहे हैं । हम उनके लिए रखने आदि की अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

उसके बाद हमारी २००० मील लम्बी उत्तरी सीमा पर कठिनाइयां पैदा हुईं । ब्रिटिश शासन काल, उसके पूर्व और इस सरकार के समय में भी यह सीमा वैसे ही पड़ी थी । वहां कोई रक्षा सेना नहीं थी । पर अब वहां भी, कठिनाई के कारण, हमें सैनिकों को रखना पड़ा है । वहां का जीवन बहुत कठोर है । वहां तो केवल विमान द्वारा ही सैनिकों के लिए सारा सामान पहुंचाया जाता है । अतः यह कहना गलत है कि सरकार इन बातों के संबंध में चिन्ता नहीं करती और सैनिकों के लिए रहने की जगहें, जूते, गरम कपड़े आदि नहीं हैं । यदि सैनिकों को इस प्रकार की बातें सुनने को मिलें, तो उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा ।

बर्फ में चलने वाले जूते आदि आवश्यक सामान हमारे युद्धास्त्र कारखानों में बनाये जाते हैं । इसी तरह पैराशूट बनाये जाते हैं और हमारे पास इनका समुचित भंडार रहता है । जो विशेष चीजें हम नहीं बना सकते या जिनका बनाना लाभप्रद नहीं होता, उन्हें हम बाहर से मंगाते हैं ।

माननीय सदस्य ने परीक्षणात्मक क्रयादेश का जिक्र किया । अमरीका से हमने उचित तरीके से सामान मंगवाया है । माननीय सदस्यों ने मंगाने की प्रक्रिया पर आपत्ति की, मेरा कहना है कि इस संबंध में एक निर्धारित प्रक्रिया है । हमने उसी के आधार पर यह सामान मंगवाया था ।

कुछ पैराशूट खराब थे तथा हमारे काम लायक नहीं थे । उन्हीं को उड़ाकर परीक्षण किया गया था । अब उन्हें वापस कर दिया जायेगा और उनकी जगह पर नये पैराशूट आ जायेंगे । इस प्रकार परीक्षणात्मक ढंग के बिना किसी भी देश की प्रतिरक्षा का काम नहीं चल सकता क्यों कि सभी देशों में वर्षा, गर्मी आदि की स्थिति समान नहीं होती । मेरा कहना है कि हमारे देश में जो प्रतिरक्षा संबंधी सामान इस्तेमाल होते हैं, वे— भारत की जलवायु के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के होते हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : एक लाख डालर का यह क्रयादेश परीक्षणात्मक था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बीच-बीच में प्रश्न न पूछें । वे पहले अपनी बातें कह चुके हैं, अतः माननीय मंत्री की बात सुनें ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : संभरण के संबंध में जो आलोचना की गई है, उसमें कोई सत्यता नहीं है । यह भी कहा गया युद्धास्त्र कारखाने बेकार पड़े हैं और उनमें ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, जो उन्हें नहीं बनानी चाहिए । पर स्थिति ऐसी नहीं है । स्थिति यह है कि ये युद्धास्त्र कारखाने हमारी सेनाओं के लिए सामान और कपड़ा तैयार करते हैं । वे समय-समय पर भिन्न-भिन्न चीजें तैयार करते हैं और इसलिए उत्पादन का ढंग भी बदल जाता है ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में भी कड़ी आलोचना की गयी.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं जानना चाहता हूं कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में, जो कल सभा पटल पर रखा गया है, जो मंत्रालय को भेजा गया था, क्या उसमें अध्याय ८ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? फिर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजने से पहले क्या मंत्रालय को ६ सप्ताह का समय उत्तर देने के लिए दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : जब माननीय मंत्री लन्दन में हाई कमिश्नर थे, तो क्या उस समय वहां महालेखा परीक्षक डिप्टी हाई कमिश्नर थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : महालेखा परीक्षक के संबंन्ध में सभा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उनके विरुद्ध प्रस्ताव न प्रस्तुत किया गया हो। उनका प्रतिवेदन हमारे सामने है। यदि ६ सप्ताह वाली बात के संबन्ध में आपत्ति माननीय मंत्री करें, तो वह ठीक है। वह ६ सप्ताह का समय मांग सकते हैं। पर माननीय सदस्यों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह एक महत्वपूर्ण बात है। सामान्यतया प्रतिवेदन इस प्रकार नहीं आता होता यह है कि प्रत्येक मद को हमारे पास भेजा जाता है और हम उसका उत्तर देते हैं। वैसे वह हमारे जवाब को स्वीकार करें या न करें यह उनका काम है। पर इस मामले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। इस प्रतिवेदन के संबन्ध में अध्याय ८ को छोड़कर सारी मदें हमने देख ली थीं और हमने उनके उत्तर भेज दिये थे। इस आठवें अध्याय का शीर्षक है– **अन्य दिलचस्प बातें**।

श्री फीरोज गांधी द्वारा उठाई गई बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें ६ सप्ताह का समय मिलना चाहिए था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री चाहें, तो उत्तर दें या ६ सप्ताह का समय ले सकते हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरा मतलब यह है कि मंत्रालय के विरूद्ध आरोप लगाने से पहले महालेखा परीक्षक को सरकार से स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए था।

†**श्री उ० च० पटनायक** : एक औचित्य प्रश्न है। कल जब यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था, तो किसी ने आपत्ति नहीं की थी। मैं जानना चाहता हूं कि आज उस पर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है ?

†**श्री फीरोज गांधी** : सुबह ही कहा गया था कि यदि आप प्रतिवेदन की बातों का उल्लेख करने की अनुमति देंगे, तो दूसरे पक्ष को भी अपनी बात कहने की अनुमति देनी होगी।

†**श्री त्यागी** मेरा कहना है कि जब प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, तब यह औचित्य प्रश्न उठाया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं सिर्फ यह कह रहा था कि इस मामले में सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि प्रतिवेदन हमारे पास आता है; हम उसका उत्तर देते हैं और बाद में पुनः प्रतिवेदन हमारे पास आता है। पर आठवां अध्याय तो हमें देखने को भी नहीं मिला।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पटनायक ने बारूद वगैरह की कमी की बात भी उठाई। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सभी आवश्यक बारूद हमारे यहां बनाई जाती है और जो नहीं बनाई जाती, उसे हम मंगा कर इकट्ठा रखते हैं। अत : जहां तक हमारा अनुमान है, बारूद की कोई कमी नहीं है। सभा को विश्वास करना चाहिए कि सरकार प्रतिरक्षा की अवहेलना नहीं करेगी और अपनी पूर्ण क्षमता से रक्षा करेगी।

श्री मुरारका ने कहा कि युद्धास्त्र कारखानों की काफी क्षमता हेयर-क्लिपर तथा प्रेशर कुकर के बनाने में अप-व्यय की जा रही है। मेरा कहना है कि हेयर-क्लिपर हमारी सेनाओं के लिये आवश्यक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इन का आपात बन्द कर दिया है, अत: हम सैनिकों के बाल काटने के लिये इन्हें बनाने लगे हैं।

दूसरी बात प्रैशर कुकर की है। इस के बारे में इतना चिन्तित होने की क्या आवश्यकता है। कुछ ऊंचे स्थानों पर प्रैशर कुकर के बिना पानी गरम ही नहीं हो सकता। वहां पर खाना बनाना पड़ता है। बिना प्रैशर कुकर के यह काम नहीं हो सकता। फिर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस का भी आयात बन्द कर दिया है। अत: हम ने इसे बनाना शुरू कर दिया है हम ने यह भी देखा कि ये प्रैशर कुकर हम को आयात की कीमत के एक-चौथाई दामों में पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी पैसा बचाना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

सैनिकों की दशा के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया। मैं नहीं कहता कि उन की दशा संतोषजनक है। पर उन की दशा सुधारने के लिये हम ने कुछ प्रयत्न किये हैं। यह सब देश की आर्थिक दशा पर अधिक निर्भर है। हम ने उन्हें कुछ सुविधायें दी हैं और राशन संबंधी कुछ सुविधायें भी, जो पहले बन्द कर दी गयी थीं, हम ने पुन: चालू कर दी हैं। इसी प्रकार अन्य कई सुविधायें भी उन्हें दी गई हैं।

सैनिक अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया। शिक्षा का विषय राज्य का विषय है। अत: उन्हें भी अन्य नागरिकों की ही भांति सुविधायें प्राप्त हैं। इस के अतिरिक्त सेना के भी १८० या १९० स्कूल हैं। ये स्कूल बहुत अच्छे हैं। सरकार उन के लिये जहां तक संभव होता है, स्थान दे कर सहायता करती है। पदाधिकारियों के बच्चों के लिये के० जी० स्कूल में स्थान सुरक्षित होते हैं तथा उन को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। पर ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत कम है। हम उन के लिये अन्य स्कूल खोल रहे हैं और राज्य सरकारें भी ऐसे स्कूल खोल रही हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गयीं हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उत्पादन अधिक है, कुछ लोगों ने कहा कि उत्पादन कम है और कुछ लोगों ने कहा कि जनता को जो कुछ बताया गया है, उस में कोई सत्यता नहीं है। अत: आवश्यक है कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं : आज के युग में प्रतिरक्षा शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर निर्भर है। हमारे सैनिकों को उन शस्त्रों के प्रयोग की विधि भी आनी चाहिये। अत: आवश्यक है कि हम सैनिकों को शस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा अवश्य दें।

श्री मुरारका ने यह भी पूछा कि प्रतिरक्षा उत्पादन १४ करोड़ रुपये से बढ़ कर २६ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है पर उस का ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया है। यह वृद्धि लगभग १०० प्रतिशत है। यह सब उन लोगों के परिश्रम के फलस्वरूप संभव हो सका है, जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के थे और जिन्होंने युद्धास्त्र कारखानों को अच्छी हालत में रखा। मैं उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं जिन्हों ने इन कारखानों को बढ़ाया है। गत ३ वर्षों में युद्धास्त्र कारखानों का उत्पादन लगभग १०० प्रतिशत बढ़ गया है। पूछा जा सकता है कि यह वृद्धि धन के रूप में है या वास्तविक वृद्धि है, इस का उत्तर यही है कि यह २६ करोड़ रु० का उत्पादन आज के ४ वर्ष के पहले के २६ करोड़ रु०

[श्री कृष्ण मेनन]

के उत्पादन से ज्यादा है, क्योंकि हम ने कारखानों में नवीकरण किया है, वैज्ञानिक गवेषणा तथा विकास विभाग का सहयोग लिया है और प्रबन्ध संचालन तथा सुविधायें प्रदान करने में हम ने बहुत कुछ किया है और कारखानों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया है, यदि वे लोग यह महसूस न करते कि हम उत्पादन किस लिये कर रहे हैं, तो हमारा उत्पादन इतना न बढ़ता। साथ ही हमारी उत्पादन लागत भी कम है—क्योंकि हम नें मूल्य निर्धारण की एक नई प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटिश काल में लागत आंकने का आधार होता था सभी हानियों को एक में जोड़ना। इस प्रकार १०० पौण्ड की वस्तु लगभग ५०० पौण्ड की बेची जाती थी। इस २६ लाख के अन्दर युद्धास्त्र कारखानों, ट्रेक्टरों तथा ट्रक योजना का उत्पादन सम्मिलित नहीं है।

यह भी कहा गया कि ट्रकें क्यों बनाते हो। क्यों बनी बनाई नहीं खरीदते। हम ट्रकें इस लिये नहीं खरीदते कि इस के बनाने वाले सरकार के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, जैसा कि उन्ह करना चाहिये। ट्रक बनाने वाली तीन संस्थायें भारत में हैं। इन में से दो से हमें कभी भी कोई सामान नहीं मिला। एक के पास तो हमारा आर्डर दो साल से पड़ा हुआ है। एक अन्य सस्था जो ठीक समय पर सामान देती है, उस के दाम बहुत बढ़ गये। अतः इस सबंध में हमें कुछ उपाय करना पड़ा। गत दो वर्षों में पाकिस्तान के साथ तथा अन्य सीमा सबधी स्थिति को देखते हुए हम पुराने ट्रकों को हटा कर नये ट्रक ला रहे हैं। सेना के इंजीनियरों ने २०,००० पुराने ट्रकों को ठीक करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। उन में से कुछ तो बहुत ही पुराने हैं, जो शायद पुराने जमाने में फेंक दिये गये होते। हम उन्ह फेंक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम पर यह आरोप लगाया ठीक नहीं है कि हम ट्रकों को बना कर कुछ गलती कर रहे हैं।

अतः हमने ट्रकों को बनाना शुरू किया। इस समय युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक के पास ३ टन वजन के ४५०० ट्रकों टथा १ टन वजन के १२०० ट्रकों की मांग भेज दी गयी है। जब ये मिल जायेंगे, तो इस खरीद पर सरकार को ५ करोड़ रु० की बचत होगी। ३ टन वजन वाले ट्रकों के बनाये न जाने के बारे में काफी शिकायतें की गयीं और संसद् में उस पर चर्चा भी हुई थी। मैं बताना चाहता हूं कि कोई नया कारखाना नहीं खोला गया है। युद्धास्त्रों के महानिदेशक ने खाली पड़े मैदानों को इस्तेमाल कर लिया है। और वहीं पर सारा सामान इकट्ठा होता है और ट्रक बनाये जाते हैं।

अतः कारखाने ने गत मार्च में काम या उत्पादन शुरू कर दिया था। तीन महीने में पहला ट्रक बन कर आ गया था। उसका उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था।

उसके बाद हमारे सामने सामग्री की कठिनाई आ गई। इसमें १०० ट्रक प्रतिमास बनाने की योजना थी। इसे ३०० या ४०० ट्रकों तक बढ़ाना सम्भव था। इस्पात न मिलने से हमारा काम रुक गया। इस्पात, खान व ईंधन मंत्री की सहायता के बाद भी हमें इस्पात नहीं मिल सका। काले बाजार में हम इस्पात खरीद नहीं सकते।

अतः इस्पात न मिलने के कारण ट्रकों का ढ़ांचा नहीं बन पाया। आप कह सकते हैं कि यदि इस्पात नहीं है, तो आप दूसरी चीजों का उत्पादन क्यों नहीं करते? यदि हम वहां अन्य उत्पादन का काम करेंगे, तो वहां जगह की बड़ी तंगी हो जायेगी और सामान चोरी भी हो जायेगा क्योंकि वहां सामान यों ही पड़ा रहेगा। इसके अलावा इस पर आपत्ति भी की जा सकती है कि कारखाना ऐसा सामान क्यों इकट्ठा कर रहा है, जो उसे इकटठा नहीं करना चाहिये मह सब कठिनाइयां हैं;

अतः हमें उत्पादन रोकना पड़ा । लगभग एक महीने पहले सभा में एक सवाल पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि ४१२ ट्रक सेना को मिल चुके हैं । अब ५०० से अधिक मिल चुके हैं अर्थात् लगभग १०० ट्रक और मिल चुके हैं ।

माननीय सदस्यों ने ट्रकों के लक्ष्य के सम्बन्ध में २५०० ट्रक या ऐसा ही कुछ कहा था पर वास्तव में यह लक्ष्य १२०० या १००० ट्रक था । मार्च में दिये जाने के बजाय अब ये जून में दिये जायेंगे । उधर गैर-सरकारी क्षेत्र से हमें ३–४ वर्षों में भी ट्रक नहीं मिल पाये हैं । हमारे मामले में तो केवल २ महीने का विलम्ब हुआ है । इसके अलावा इनके दामों में भी बचत हुई है । इनका दाम लगभग ३६,००० रु० है । जबकि गैर-सरकारी संस्था से खरीदने पर दाम लगभग ४२,००० या ४३,०००रु० था । अतः लगभग ७,५०० रु० की बचत है ।

इतना ही नहीं ऐसे सामान का कार्यकाल सामान्यतः १० वर्ष होता है । इनके लिये हमें ५ गुने नट वगैरह की जरूरत होती है । नटों को अगर अलग से बाजार से खरीदा जाये, तो इनका दाम वे मनमाना लेते हैं । वे काफी लाभ कमाते हैं । अतः हम इनको भी बनाने जा रहे हैं । इससे सरकार को काफी लाभ होगा ।

यह भी सवाल पूछा गया कि आपने जर्मनी या किसी अन्य फ़र्म से इसमें सहायता क्यों नहीं ली । हम उस निर्माता के पास इसलिये नहीं गये कि उसके पास १ टन वजन के ट्रक बनाने की क्षमता नहीं थी । वह बनाने के लिये तैयार था पर १० लाख पौण्ड कीमत पर । अतः हमने ऐसी फर्म से बातचीत की, जिसके पास यह क्षमता थी । सेना ने उसके माल को देखा और उसका परीक्षण किया । वे उनसे प्रभावित हो गये । इस फर्म ने ८०० रु० कम पर माल तैयार किया । इन गाड़ियों की भारवहन क्षमता ५० प्रतिशत अधिक है और गति भी २५.३० प्रतिशत ज्यादा है । हमने इन सभी बातों के ब्यौरों का अध्ययन कर लिया है । इन प्रश्नों का जवाब भी मैं कई बार दे चुका हूं । मेरा ख्याल है कि जो जानकारी मैंने दी है, वह काफी होगी ।

यह भी पूछा गया कि इन करारों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता ? इसके कई कारण हैं । सभी करारों में यह लिखा होता है कि कितना सामान हमें चाहियें । संसार के सभी देशों के प्रतिरक्षा संगठन का नियम यही है कि यह न बताया जाय कि हम कितना और क्या सामान मंगा रहे हैं और उनका दाम हम क्या दे रहे हैं । अतः यदि करार सभा के सामने रखा जायेगा, तो सब को सब बातें पता लग जायेंगी । दूसरा कारण यह है कि सभी यूरोपीय देश जानते हैं कि हम उनसे यह सामान खरीदेंगे नहीं । हम खुद बनाना चाहते हैं । हम कम से कम मूल्य पर यह काम उनसे करवा रहे हैं । अतः वे नहीं चाहते कि इन दरों या मूल्यों का प्रचार किया जाये । इससे उनका बाजार बिगड़ जायेगा । श्री त्यागी ने भारत एलेक्ट्रानिक्स व फ्रांसीसी फर्म सी० एस० एफ० के सम्बन्ध में एक करार सभा पटल पर कुछ वर्ष पहले—रख दिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि उस फर्म ने काम करने से इनकार कर दिया । उसने कहा कि आप संसार को क्यों बताते हैं कि हम इतने सामान्य दरों पर तुम्हारा काम कर रहे हैं । अतः यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है । इसमें सरकार का क्या हित हो सकता है । सरकार तो देश की सेवा करना चाहती है । यदि संसद् व देश समझता है कि सरकार उत्तरदायित्व उठाने के योग्य नहीं है, तो इसके लिये अन्य उपाय हैं, जो काम में लाये जा सकते हैं ।

जहां तक हमारी सेना का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं बताऊंगा कि हमारी शक्ति कितनी है । वैसे मैं इतना बता देता हूं कि हमारी प्रतिरक्षा शक्ति बहुत बढ गई है । हमारी सेनायें कुछ मोर्चों की ओर गई हैं । वहां रहने की जगह की दिक्कत है । प्रधान मन्त्री एक आवास परियोजना का उद्घाटन

[श्री कृष्ण मेनन]

करने जा रहे हैं। पहली फरवरी को इसका काम शुरू हुआ था काम समाप्त करने के लिये ७० दिन दिये गये थे पर ६३ दिन में काम पूरा हो गया है। यहां आवास व्यवस्था करना अति आवश्यक था क्योंकि बिना इसके इस निचले भाग में पानी ही पानी था। आप देखेंगे कि हमारी सेना में कितना उत्साह है, कितनी क्षमता है तथा कितनी लग्न है। इस काम में रेलवे मंत्री ने भी हमारी बड़ी मदद की है।

सापेक्ष लागत के बारे में भी सवाल पूछा गया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि सैनिकों द्वारा काम करवा कर आवास बनवाना सस्ता पड़ता है। पर ऐसा नहीं है। जो भी सैनिक काम करते हैं। उनका वेतन उस परियोजना की लागत में से दिया जाता है। अतः यह सोचना गलत है कि चूंकि सैनिकों ने इस योजना को पूर्ण किया है, अतः इसमें खर्च कम लगा होगा। पर इतना जरूर है कि इस योजना में अन्य भवनों की तुलना में खर्च कम लगा है। इसी तरह अन्य अनेक भवन आदि भी बनाये जा रहे हैं।

इसके बाद मैं छायादार स्थान की बात लेता हूं। जो भी लोग देश में इधर-उधर जाते हैं, वे देखते हैं कि प्रतिरक्षा सामग्री खुली जगहों में पड़ी हुई है। मेरा कहना है कि इस सामान को न तो मैंने वहां रखवाया है न मेरे से पहले वाले मन्त्री ने। यह तो हमें युद्ध की विरासत के रूप में मिला और पड़ा हुआ है।

१९५०–५७ में हमारे पास छायादार स्थान लगभग २२ लाख वर्ग फुट था। १९५८ से १९६२ के बीच बनी व बनने वाली छायादार जगह लगभग ४० लाख वर्ग फुट हो जायेगी। १९६२–६४ के बीच २७ लाख वर्ग फुट छायादार जगह और तैयार हो जायेगी। इस समय ७७ प्रतिशत हमारा सामान व ४६ प्रतिशत हमारी गाड़ियां छायादार स्थानों में हैं। शेष के सम्बन्ध में हमें निर्णय व व्यवस्था करना है। इसमें कुछ चीजें खुली जगहों में पड़ी होने के कारण खराब भी हो जाती हैं। इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में ५० करोड़ के नुकसान की बात कही गई है। यह नुकसान १९५९–६० या १९५७–५८ का नहीं है बल्कि भारत के स्वतन्त्र होने के दिन से अब तक का है। स्पष्ट है कि यह नुकसान धीरे-धीरे आया है; किसी एक ही दिन में नहीं हो गया है। प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में २७ मदों का जिक्र है जिसमें से ४० मदें ऐसी हैं, जो १९५५–५६ या उससे भी पहले की हैं। मैं पूछता हूं कि यदि मन्त्रालय ने स्थिति को सुधारने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया, तो अन्य उत्तरदायी लोगों ने इन बातों की ओर सभा का ध्यान अभी तक क्यों आकृष्ट नहीं किया ?

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी प्रश्न पूछे गये। यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सेना में लोगों की भरती १७, १८ या १९ वर्ष की आयु में होती है। उन्हें ७ वर्ष की आवश्यक सेवा व ७ वर्ष की और सेवा करनी पड़ती है। इस प्रकार २७ या ३२ या ३४ वर्ष की आयु में उन्हें नौकरी से अलग हो जाना होता है। जब सैनिक सेना से बाहर नागरिक की भांति समाज में जाता है, तो उसे समाज की स्थिति में अपने को बैठाना पड़ता है। उन्हें कुछ काम काज भी करना पड़ता है। इस बात पर सरकार विचार कर रही है और भूतपूर्व सैनिकों के निदेशालय के अधीन इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। जब यह विभाग इस काम में सफल हो जायेगा, तब सरकार एक ऐसा संगठन बनाने की बात सोच रही है।

हर वर्ष हमारी सेनाओं से लगभग ३०००० सैनिक निवृत होते हैं। बहुत से पुराने भी हैं—प्रथम विश्व युद्ध के तथा द्वितीय विश्व युद्ध के। गत १२ महीनों में इस निदेशालय ने १०,००० से १३,००० तक भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार ढूंढ दिया है। हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक निदेशालय लगभग १५००० व्यक्तियों के लिये काम की व्यवस्था करने में सफल हो जायेगा।

ध्यान रहे कि हर एक भूतपूर्व सैनिक को निवृत होने के बाद किसी काम की जरूरत हो, यह जरूरी नहीं है। गांवों में अपने घर जाने पर वे कुछ-न-कुछ काम करने लग जाते हैं। नये भूमि सुधारों के फलस्वरूप नई स्थिति पैदा हो जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में हमारी योजना विचाराधीन है। लगभग १५ सहकारी समितियां खोल दी गई हैं, उन को पंजीकृत किया जा रहा है और नई सहकारी समितियां खोली जा रही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है और उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिये।

इस के पश्चात् वायु सेना की बात को मैं लेता हूं। मुझ से पूछा गया कि आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है। वैसे तो कोई भी कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। मेरा अभिप्राय आत्म-निर्भरता से यह था कि देश में बने सामान में वृद्धि तथा अधिकतर स्वयं पर निर्भर होना। इसी तरह पूर्ण-रोजगार की बात कही जाती है। पर पूर्ण-रोजगार कभी नहीं होता। यह भी कहा गया कि क्या उत्पादन में वृद्धि केवल कागजों पर ही है या वास्तव में हुई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने देशी वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं का भेद करने के लिये कुछ कसौटी निर्धारित कर दी है। देश में क्या चीजें बनती हैं और किन चीजों का आयात होता है, इस का पता आप को विदेशी मुद्रा की स्थिति देखकर चल सकता है। हम विदेशी मुद्रा का व्यय धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। नौ सेना में ११ प्रतिशत सामान विदेशी आता है स्थल सेना में वायुसेना से अधिक विदेशी सामान आता है। पर वह भी धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। हम ने इन सभी मामलों में लगभग २५ या ३० प्रतिशत तक विदेशी सामान की कमी कर दी है। हम अधिकांश बारूद आदि अब अपने देश में ही बनाने लग गये हैं। छोटे और बड़े शस्त्रों व औजारों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता और न इन से सम्बन्धित करारों को सभा के सामने रख सकता हूं। गत दो वर्षों में वायु सेना में खर्च बढ़ा है। हमारी वायु सेना में काफी वृद्धि हो गई है।

वायु सेना की शक्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हम ने बहुत सी पुरानी चीजों को भी काम योग्य बना लिया है। गत दो वर्ष से भी कम अवधि में हम ने केवल जहाज बनाने के ही कारखाने नहीं लगाये हैं, बल्कि मशीनी औजार तथा ऐसी ही अन्य चीजों के बनाने के कारखाने भी लगाये हैं।

हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट में मरम्मत के लिये भेजे गये बमवर्षक विमानों के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे गये थे। उन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उस का उल्लेख है। विमान उड़ाने वाले या वायु सेना को इस से क्या मतलब कि उस पर क्या खर्च होता है। इन वैम्पायर विमानों को, जो टूटे हुए थे और जिन्हें अमरीकन लोग छोड़ गये थे, हम ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इन में से एक की दुर्घटना कोयम्बटूर में हो गई। उस के बाद हम ने इन के मामले में विचार किया और इन्हें मरम्मत के लिये भेजा।

अतः हम अपनी वायु सेना में सभी प्रकार की चीजें तैयार करने लगे हैं। हमारा देश आज कह सकता है कि हमारी वायु सेना जेट विमानों की सेना है। अब हमारे विमान चालकों को जेट विमानों से प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः भारतीय वायु सेना जेट विमानों की वायु सेना बन गई है। हर साल नये विमान आने पर पुराने विमानों को रक्षित विमानों में रख दिया जाता है या उन्हें प्रशिक्षण के काम में लगा दिया जाता है। पुराने वैम्पायर विमानों को हमारी सहायक विमान सेना में इस्तेमाल किया जायेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुछ समय बाद हमारी वायु सेना में वायु से भी तेज जाने वाले विमानों की टुकड़ी बन जायेगी। भारत में बंगलौर, रॉल्स-रायस तथा सिडले में इन विमानों के तथा अन्य इंजन बनाये जा रहे हैं। तीन चार वर्ष में ये कारखाने पूरा उत्पादन करने लगेंगे। पहले वह पुर्जों को जोड़ कर विमान बनायेंगे। इंजनों का कारखाना बहुत बड़ा है। और इन संस्थाओं के साथ हमारा जो करार है, वह बहुत भारी विकास के सम्बन्ध में है।

[श्री कृष्ण मेनन]

नौसेना के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि उस की गति को कुछ धक्का लगा है। नौसेना का जो नावांगण बन रहा था उस के एक ठेकेदार ने अपना ठेका पूरा नहीं किया और नौसेना को इंजीनियरिंग का काम खुद अपने हाथ में लेना पड़ा। मुझे खुशी है कि अपने इंजीनियरों की सहायता से काम के प्रथम चरण को नौ सेना ने पूरा कर लिया है और उस पर खर्च भी बहुत कम आया है।

विमान वाहकों के बारे में भी प्रश्न पूछे गये। उस के बारे में शिकायत की गयी कि उस में त्रुटि है। मेरा कहना है कि अभी तो उसे चलाया भी नहीं गया है। युद्ध काल में अंग्रेजों ने उसे बनवाना शुरू किया था। युद्ध समाप्त होने पर १९४३ में उस का बनवाया जाना रोक दिया गया। अतः उसे पूरा करवाने का काम बाद में हम ने लिया। मुझे नहीं पता है कि उस में कोई भी त्रुटि है।

जहां तक निर्माण का सवाल है, हम ने हाल में ही एक कलकत्ते में और एक बम्बई में नावांगण ले लिया है। पहले इन में छोटे-छोटे जहाज बनाये जायेंगे। दो वर्ष बाद इन में ध्वन्सक भी बनायें जायेंगे। यह भी पूछा गया कि हम ने नई मशीनें खरीदी नहीं और नवांगण बना लिया। पर मेरा कहना है कि वैसा करने में हमें १०-१२ वर्ष का समय लग जाता है और जितना धन हमने व्यय किया है, उस का १० या १५ गुना अधिक धन लग जाता। अब मैं एक दो और चीजों का जिक्र करूंगा।

जन शक्ति के अभाव के कारण सशस्त्र सेनाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जन शक्ति का अभाव सामान्यतया सारे जगत में है क्योंकि जन शक्ति से इस प्रकरण में प्रभावशील प्रशिक्षित लोग अभिप्रेत हैं। इंजिनियरिंग कालेजों से निकलने वाले लड़कों को असैनिक विभागों में अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं और वे हमारे यहां नहीं आते। नौसेना उन्हें पहले ही ले लेती है और नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत वे वहां से नहीं निकल सकते। अतः हमारी इंजीनियरिंग सेवाओं में अल्प-सेवी कर्मचारी आ रहे हैं। सरकार ने देहरादून कालेज में अधिक लोगों को लेने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं। वहां ५० प्रतिशत संख्या तक, सेना छात्रों को फ्लेमिंग टाउन में रखा जायगा। यह कार्यवाही तात्क्षणिक है। अब देश की जनता कहां तक साथ देती है यह देखने की बात है। यह जनता की परीक्षा है। ये २०० नवयुवक खडकवासला में से नहीं आयेंगे। ये सामान्य शिक्षित जनता से ही आयेंगे और पदाधिकारी बनेंगे मुझे विश्वास है कि छात्र सेना इन में से अनेक युवकों को आकर्षित करेगी।

छात्र सेना की उपयोगिता तथा राष्ट्रीय जीवन में इस के उद्देश्य के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। छात्र सेना कोई सैनिक संगठन नहीं है। उस पर सैनिक कानून लागू नहीं होता। उस पर संसद् द्वारा पारित कानून लागू होते हैं। छात्र सेना तो एक आरम्भिक सेना है। नवयुवक अनुशासन सीख जाते हैं, हथियार चलाना जान लेते हैं। छात्र सेना अब काफी हद तक तैयार हो चुकी है क्योंकि लिये जाने वाले ५० प्रतिशत पदाधिकारी छात्र सेना से आते हैं। अधिकारी चाहे खड़कवासला में से आयें, या प्रतियोगिता से, ५० प्रतिशत छात्र सेना से ही होते हैं।

वर्तमान आपदकाल से हम सब ने यही सोचा कि चाहे हमारे यहां कितनी बड़ी सेना हो, कैसे ही हथियार क्यों न हों परन्तु ऐसे समय में जनता में अनुशासन होना बड़ा आवश्यक है; और छात्र सेना के माध्यम से यह काम हो सकता है। अतः सरकार ने छात्र सेना की संख्या २ $^{1}/_{2}$ लाख करने का निश्चय कर लिया है। छात्र सेना की वर्तमान संख्या शायद १ लाख है। छात्र सेना के नये विभाग में हल्के हथियार चलाने वाले २ $^{1}/_{2}$ लाख सैनिक होंगे जिन्हें अधिकांशतः कालेजों से लिया जायगा। इन के लिये १६ या १६ से ऊपर की आयु-सीमा रखी जायगी। यह योजना लड़कों की परीक्षाओं के एक वर्ष पहले मंजूर की गई थी। वह समय सामान्यतया अच्छा नहीं होता। ३१ मार्च तक

५०,००० विद्यार्थी भरती करने का लक्ष्य बनाया गया और २८ मार्च तक ५३,००० विद्यार्थियों को भरती कर लिया गया है। भरती करने से वह आशय नहीं है जो सेना के बारे में होता है। हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक २ १/२ लाख विद्यार्थी इस में सम्मिलित हो जायेंगे। यदि हमारे साधनों ने हमें आज्ञा दी तो शायद हम ज्यादा लोगों को भी ले लें और तब हमें जबरी भरती नहीं करनी होगी। यदि लोग अपने आप ही आगे बढ़ें तो बहुत ही शुभ बात है। मेरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी शारीरिक दृष्टि से ठीक होंगे और छात्र सेना में आना चाहेंगे, उन के लिये किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी।

लड़कियों ने भी शस्त्र शिक्षा लेने के लिये काफी आग्रह किया था। इस कारण उन की अलग छात्र सेना बना दी गई है जिन्हें हथियारों के संचालन की शिक्षा दी जाती है पर हथियार नहीं दिये जाते हैं। उन्हें इस के साथ नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

अब इस मामले पर समूचे रूप में विचार कर के हमें देश की अवस्था पर विचार करना है, अर्थात् हरेक पहलू से हमें सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम एक विशाल सेना को स्थायी तौर पर नहीं रख सकते। अगर हम चाहते हैं तो हम प्रथम विश्वयुद्ध की सी स्थितियों का विचार कर रहे हैं। परन्तु जनता को प्रतिरक्षा की परिधि में अधिकाधिक प्रविष्ट होना होगा। सरकार ने ५ लाख तक की क्षेत्रीय सेना की स्वीकृति दी है। शायद एक नयी किस्म और भी लागू करनी पड़े। मुझे तो नहीं पता कि क्या संसद् का कोई सदस्य भी क्षेत्रीय सेना का सदस्य है। सेना में प्रवेश पा सकने के योग्य आयु के सदस्यों से मैं ने प्रार्थना की थी कि वे क्षेत्रीय सेना में भाग लें।

हम क्षेत्र सेना में वायु सेना की शाखा भी खोलने जा रहे हैं। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, हम केवल उन्हें राजी करने की कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। परन्तु गोरखपुर में हम एक केन्द्र जरूर खोल देंगे।

परन्तु मैं संसद् को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे रहा हूं। मैं केवल सरकार के विचारों के बारे में आप को बता रहा हूं। जहां कहीं क्षेत्रीय सेना के समान स्तर पर प्रशिक्षण सम्भव नहीं होगा वहां पर विद्यमान छात्र सेना की सी शिक्षा का प्रबन्ध हो जायगा। किन्तु हमें तब भी पदाधिकारयों की संख्या का निर्धारण करना है। अतः अब जैसे हम साज सामान की बातों पर बड़ा महत्व देते हैं, उसी प्रकार से हमें जन शक्ति की बात पर भी बड़ा महत्व देना चाहिये।

भारतीय स्थल सेना के कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को इस बात का काफी श्रेय जाता है। उनमें से ८०० अफसर छात्र सेना के लिये नियुक्त कर दिये गये हैं। ये ही लोग इनको प्रशिक्षण देते हैं। कमीशन प्राप्त अधिकारी कमान सम्भालते हैं। हमने नौगांग में फिर से कालेज खोलने का निश्चय किया है जहां पर अन्य रैंक वाले लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आधुनिक सेना में शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि समाज के कुछ वर्गों में दुर्भाग्य से शिक्षा न हो तो उनसे सम्बद्ध व्यक्ति आगे की सैनिक शिक्षा को ग्रहण करने योग्य नहीं होंगे। उनके लिये एक रास्ता होगा। वह यह कि उन्हें सेना में ले लिया जाय, शिक्षण दिया जाय तथा फिर उन्हें उन्नति दे दी जाय। आज छोटे पदाधिकारियों को अनेक कमीशन वाले पद दिये जा रहे हैं।

लोग इस बात को प्रायः भूल जाते हैं कि कष्ठि कमीशन वाले सेना अधिकारी सीधे ही उन पदों पर नहीं लिये गये होते। उन्हें धीरे धीरे उन्नति मिलती रहती है। बाद में वे लेफ्टीनेंट इत्यादि

श्री कृष्णा मैनन

भी बन जाते हैं। इन अफसरों के बिना हमारी सेना बहुत कमजोर पड़ सकती है। हम इनके बिना सैनिक संचालन नहीं कर सकते। इसलिये वारण्ट आफिसर वर्ग को समाप्त करने की बात पूर्णत: अवास्तविक है। यदि वारण्ट अफसर न होंगें तो कमीशन प्राप्त अफसर रख जायेंगे। क्योंकि अफसरों के बिना काम नहीं चल सकता।

आदमियों को तैयार करने में बड़ा परिश्रम लगाना पड़ता है। भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों की पास्परिक वार्ता का परिणाम भले कुछ ही क्यों न निकले परन्तु यह तथ्य तो हमारे समक्ष रहेगा ही कि एक सीमान्त की समस्या जागृत हो उठी है और अब हमें अपने उत्तरी सीमान्त की देखभाल बड़े ध्यान से करनी होगी इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें अपने देश के उद्योगों को प्रगति देनी चाहिये और जनता में साहस का संचार करने के लिये प्रभावपूर्ण एवं सुप्रशिक्षित जन शक्ति का निर्माण करना चाहिये।

मैं जनता में आशंकायें और भ्रान्तियां फैलाना नहीं चाहता परन्तु अपनी रक्षा करने वाले देश को पहले पहल साधारण हानियां अवश्य उठानी पड़ती हैं। वस्तुत: आक्रमणकारी शत्रु, रक्षा करने वाली सेना को ऐसे स्थान पर इकट्ठा कर देता है जो उसके लिये उपयुक्त हो और फिर वह स्वयं किसी दूसरे स्थान से आग बढ़ने की चेष्टा करता है। यदि हम इस बात को भी ठीक तरह से नहीं समझ सकेंगे तो हम बड़े संकटों में फंस जायेंगे। हम अपनी सेनाओं को हर किसी जगह नहीं भेज सकते। हम विमानों द्वारा भी हरेक जगह नहीं जा सकते। हर चीज किसी न किसी योजनाबद्ध रीति के अनुसार की जाती है; उसके लिये जनता को तैयार करना पड़ता है। इस कारण अधिकाधिक जनता का लोक सहायक सेना में आना काफी आवश्यक हो गया है, क्योंकि इन लोगों से काफी फायदा पहुंचता है। यदि हम में पारस्परिक समझ बूझ पैदा हो जाय तो उस बात का तो मुकाबला ही नहीं हो सकता। हमारे प्रतिरक्षा संस्थानों तथा सभी प्रकार की सेवाओं में काम करने वाले लोगों का साहस बना रहना बड़े ही महत्व की चीज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से चेम्बर में मिला था और मैंने प्रार्थना की थी कि जब कभी विमान दुर्घटना हो जाया करे तो मुझे ही वक्तव्य देने का आदेश कृपया न दिया जाया करे। वायु-सेना संगठन में हवाई दुर्घटना दुखपूर्ण अनिवार्य पहलू है। हर समय इन दुर्घटनाओं के बारे में लम्बे वक्तव्य देना सम्भव नहीं है। हम सभी प्रकार की सावधानियां काम में लाते हैं; दुर्घटनाओं की जांच भी करवाते हैं परन्तु फिर भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण अवसर आ ही जाते हैं। इन बातों के कारण मां बाप अपने बच्चों को वायु सेना में भरती कराने से हिचकिचाते हैं अत: वायु सेना वालों की प्रार्थना पर ही मैंने आपसे इस प्रकार की प्रार्थना की थी।

मैंने पहले प्रशिक्षित जन शक्ति तथा सैनिक साज सामान की बात कही थी। वैज्ञानिक गवेषणा आदि विकास कार्यों में काफी प्रगति हुई है। आज से दो वर्ष पूर्व हमारे प्रधान मंत्री की हिदायतों पर प्रतिरक्षा वैज्ञानिक संगठन की नींव पड़ी थी। प्रोफसर ब्लेकिट जैसे महानुभावों ने इस संगठन का प्रा-दुर्भाव किया था। सारा देश उनका ऋणी है। पहले पहल तो यह संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ी। दो वर्ष पहले हमारे देश में १० प्रयोगशालायें थीं किन्तु आज बीस से भी ज्यादा प्रयोगशालाएं हमारे यहां हैं। संख्या ही कुछ कर नहीं सकती, बल्कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों का अच्छा प्रशिक्षण हो जाता है। प्रवर्तन सम्बन्धी गवेषणा का काम आगे बढ़ रहा जो न केवल युद्ध कला विज्ञान के बारे में आवश्यक है बल्कि सामान्य संगठन के लिये भी अत्यावश्यक है।

नये हथियार भी बनते हैं और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन भी किया जाता है। हमारा वैज्ञानिक संगठन उपचार के लिये परमाणविक शक्ति के प्रयोग पर काफी काम कर रहा है। आइसोटोप बनाये जा रहे हैं। उन्हें ऐसे कारखानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है जहां चीजों का निर्माण करने मे बहुत ज्यादा सुतश्यता या बारीकी से काम लेना पड़ता है। आज देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग काफी प्रगति कर गया है और इन चीजों में हम लगभग आत्मनिर्भर से ही हो रहे हैं।

इस सभा में भारत इलेक्ट्रानिक्स के बारे में काफी सवाल पूछे गये। आज इस उद्योग की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। पहले यहां पर ३५ लाख का सामान बनता था किन्तु अब एक करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान बनता है। इस प्रकार के एक ही कारखाने से काम नहीं चल सकता। यह बड़ा विशिष्ट कार्य है इस कारण वैज्ञानिक संगठन इस पर काफी अनुसंधान कार्य कर रहा है। इसके लिये मैं हमारे वैज्ञानिक परामर्शदाता को बधाई देता हूं। वे विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिकों में से हैं। जबतक हम इलेक्ट्रानिक विज्ञान सम्बन्धी जानकारी में पूर्ण व्यक्तियों को तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां वैज्ञानिक व टैक्निकल व्यक्तियों का उत्थान न होगा। इस लिये हमें विश्वविद्यालयों से पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है। जब हमें ठीक व्यक्ति मिलें हमें उन्हें ले लेना चाहिये।

सैनिक कानून के बारे में अब एक बात और है। किसी ने यह बात कही थी कि जैनरल तिम्मया ने कहा है कि भारत में पहले सैनिक न्यायालयों के समक्ष कोई मामले नहीं आते थे परन्तु अब मामलों की भरमार है। संसद में तिम्मया साहिब की ओर से मैं उत्तरदायी हूं। जो कुछ वे कहें उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हुं। अतः हमने उसके बारे में जांच पड़ताल की है। उन्होंने एक रोटेरी क्लब इतनी सी बात जरूर कही थी कि सनिकों को इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिये, पर यदि वे बोलें तो उसमें कुछ हरज भी नहीं है। उन्होंने कहा था :

> "युद्ध से पहले यदि सैनिक न्यायालय के सामने एक आध मामला भी आ जाता था तो हम बड़े दुर्भाग्य की बात जैसे समझते थे,.....परन्तु आजकल अनुशासन बहुत ढीला हो गया है और सैनिक न्यायालयों के समक्ष बहुत से मामले आते हैं। परन्तु अब भी तूलनात्मक दृष्टि से हमारे सैनिकों में अनुशासन की भावना कहीं ज्यादा है।"

इस पर ही मैंने सन्तोष नहीं किया, बल्कि मैंने सैनिक न्यायालयों के मामलों से सम्बन्धित आंकड़े भी मंगवाये। १९३९ में सैनिक न्यायालयों के मामलों की प्रतिशत अनुपात ३.५ था किन्तु उसके बाद इसमें काफी वृद्धि हुई और अनुपात ८.४ हो गया। किन्तु इसमें फिर कमी आई और आजकल अनुहात युद्धपूर्व के अनुपात से भी कम है, अर्थात् केवल २ प्रतिशत है।

सैनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की भी गुंजाइश है। यह ठीक है कि उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकती; यदि ऐसा हो जाए तो न जाने क्या हो। लम्बी मुकदमेबाजी से सैनिक अनुशासन रखना ही कठिन हो जाय। इस सम्बन्ध में तो संसद ही सोच सकती है परन्तु सरकार के पास अपील दायर करने के लिये सुनिश्चित प्रक्रिया है। वस्तुतः अनुशासनहीनता के हरेक विषय में जो कार्यवाही की जाती है उसे सैनिक न्यायालय के मामलों में के अन्तर्गत गिन लिया जाता है। इसी कारण संख्या में वृद्धि प्रतीत होती है। जब समूचे देश में ही अनुशासनहीनता का दौर होती है तो इसका प्रभाव सेना में होना भी जरूरी है; पर हमें इससे घबराहट नहीं है। सिपाही, नैसैनिक आदि सभी जानते है कि यदि वे आज्ञा का ठीक पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दण्ड भुगतना पड़ेगा। हमारी सेनाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य नहीं है।

श्री कृष्णा मेनन

इस प्रकार न केवल मैंने सभी आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयास किया है बल्कि संक्षेप में यह बताने की कोशिश भी की है कि हम किस प्रकार की प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। सभा ने सेना सम्बन्धी व्यय को बढ़ाने की बात भी समझी है। वस्तुतः २८ करोड़ की यह वृद्धि वास्तविक नहीं है। क्योंकि जगन्नाथदास समिति की सिफारिशों के अनुसार सैनिकों का वेतन भी बढ़ाना है। वास्तविक वृद्धि की और भी मदें हैं जिनके लिये हम फिर संसद् के सामने आयेंगे। जिस रुपये को हम तत्काल व्यय नहीं कर सकते थे उसको बजट में शामिल करने से कोई लाभ नहीं था। अभी काफी समय पड़ा है और संसद को इस पर विचार विमर्श करने का अवसर पुनः मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	३८,५८,०००
९	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी सेना	१,८४,२४,४५,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी नौ सेना	१७,९२,३५,०००
११	प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी वायु सेना	५७,४६,९९,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवा, अक्रियाकारी प्रभार	१४,१२,०९,०००
१०८	प्रतिरक्षा का पूंजी व्यय	३६,३०,००,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०/२२ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०
२० चैत्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४८९५–४९२१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७६	भारत-अमरीकी संयुक्त दल	४८९५–९६
१३७७	जमाये हुए तेल	४८९६—९८
१३८०	केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन	४८९८–९९
१३८१	कैंसर	४८९९–४९००
१३८२	पठानकोट-श्रीनगर मार्ग पर पर्यटकों के लिए वातानुकूलित बसें और कारें	४९०१—०३
१३८३	माल-डिब्बों का अनियमित रूप से रजिस्टर कराया जाना	४९०३—०५
१३८४	कारो नदी का जल-विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण	४९०५
१३८५	चीलर नदी योजना	४९०५–०६
१३८६	केरल में इडुकी जल-विद्युत् योजना	४९०६—०८
१३८७	चन्देरपुरा के लिए बॉयलर	४९०८–०९
१३८८	आगरा स्टेशन पर लोहे और कोयले की चोरी	४९०९–१०
१३९१	राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था	४९१०
१३९४	रेलों द्वारा कोयले का मार्ग में रोका जाना	४९१०—१३
१३९५	दिल्ली के लिए वृहद् योजना	४९१३–१४
१३९६	रत्नागिरि तट का सर्वेक्षण	४९१४–१५
१३९७	माल ढोने वाले विमानों का गौहाटी से आगे चलाया जाना	४९१५—१७
१३९८	चीनी का भाव	४९१७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४९२२—४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७८	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	४९२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३७९	पूर्णा परियोजना के लिए तार सम्बन्धी सुविधाएं .	४९२२
१३८९	काली नदी जल-विद्युत परियोजना . . .	४९२२
१३९०	आसाम में रज्जुपथ	४९२२–२३
१३९२	बारासेट-बसीरहाट रेलवे लाइन . . .	४९२३
१३९३	रतलाम-गोधरा लाइन	४९२३
१२३०	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का पर्यटक मानचित्र .	४९२४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९१३	सहकारी खेती समितियां	४९२४
१९१४	रेलवे में निरीक्षक	४९२४
१९१५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५	४९२५
१९१६	उड़ीसा में गांवों की सड़कें	४९२५
१९१७	उत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों में डकैतियां . . .	४९२५–२६
१९१८	भाखड़ा में विद्युत् एकक	४९२६
१९१९	राजपुरा में ऊपरी पुल	४९२६
१९२०	रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के लिए नयी प्रतिकर योजना	४९२६
१९२१	डिब्रूगढ़ के पास विमान दुर्घटना . . .	४९२७
१९२२	बंजर भूमि	४९२७
१९२३	हिमाचल प्रदेश में भेड़-पालन केन्द्र . . .	४९२७–२८
१९२४	बम्बई में पशुपालन और दुग्ध संभरण योजनायें . .	४९२८
१९२५	बम्बई के लिए मछली पकड़ने का सामान . .	४९२९
१९२६	त्रिपुरा में डाक्टर आदि	४९२९
१९२७	वन विभाग, अन्दमान	४९२९–३०
१९२८	दक्षिण पूर्व रेलवे पर विभागीय डाक्टर . . .	४९३०
१९२९	खाद्यान्न की राशन व्यवस्था . . .	४९३०
१९३०	सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर . . .	४९३०–३१
१९३१	रेलवे कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति . . .	४९३१
१९३२	अगादीर (मोरक्को) में भूकम्प . . .	४९३१
१९३३	हिमाचल प्रदेश में कृषि-योग्य बनाई गई भमि . .	४९३१–३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९३४	बरहामपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल . . .	४९३२
१९३५	उड़ीसा में डाक तार कर्मचारी . . .	४९३२
१९३६	इर्विन अस्पताल, दिल्ली . . .	४९३२
१९३७	काश्मीर मेल	४९३२–३३
१९३८	हिमाचल प्रदेश अस्पताल, शिमला . . .	४९३३
१९३९	टेलीफोन एक्सचेंज, आलोट (मध्य प्रदेश) . .	४९३३–३४
१९४०	मैसूर राज्य में तार और टेलीफोन व्यवस्था . .	४९३४–३५
१९४१	पूर्व रेलवे पर गाड़ियों का लेट चलना . .	४९३५–३६
१९४२	रेलवे कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त करना . .	४९३६
१९४३	पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में विशेष कर्तव्य अधिकारी की सिफारिशें	४९३६—३८
१९४४	रेलवे में जूते पालिश करने वाले लड़कों को लाइसेंस देना .	४९३८
१९४५	गैर-सरकारी कृषि संस्थाओं को सहायता .	४९३८
१९४६	मालेगांव में बम्बई-आगरा सड़क पर पुल . .	४९३९
१९४७	बिहार के लिए विमान . . .	४९३९
१९४८	सरकारी रेलवे पुलिस	४९४०
१९४९	हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टर . .	४९४०
१९५०	मेघनगर और बामनिया स्टेशनों पर ऊपरी पुल .	४९४०
१९५१	पश्चिम रेलवे पर टिकटों की बिक्री . . .	४९४०–४१
१९५२	रतलाम-दोहद सेक्शन पर शिकायतें . . .	४९४१
१९५३	पश्चिम रेलवे पर पीने के पानी की सुविधायें . .	४९४१–४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४९४२

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २६ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५५ ।

(२) दिनांक ३० मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७५ में प्रकाशित चावल और धान (आसाम) द्वितीय मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९४२
बयासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	४९४३–४४
श्री स० मो० बनर्जी ने जबलपुर के रांझी क्षेत्र में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	४९४५–४६
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने कांदला पत्तन के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
अनुदानों की मांगें	४९४६—९४
प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें स्वीकृत हुईं ।	
सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०/२२ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि	
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।	

GMGIPND—LSIII—243 (Ai)LSD—31-5-60—135